खण्ड-234, अंक-9
शुक्रवार, 30 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(21 सितम्बर, 1962 ई0)

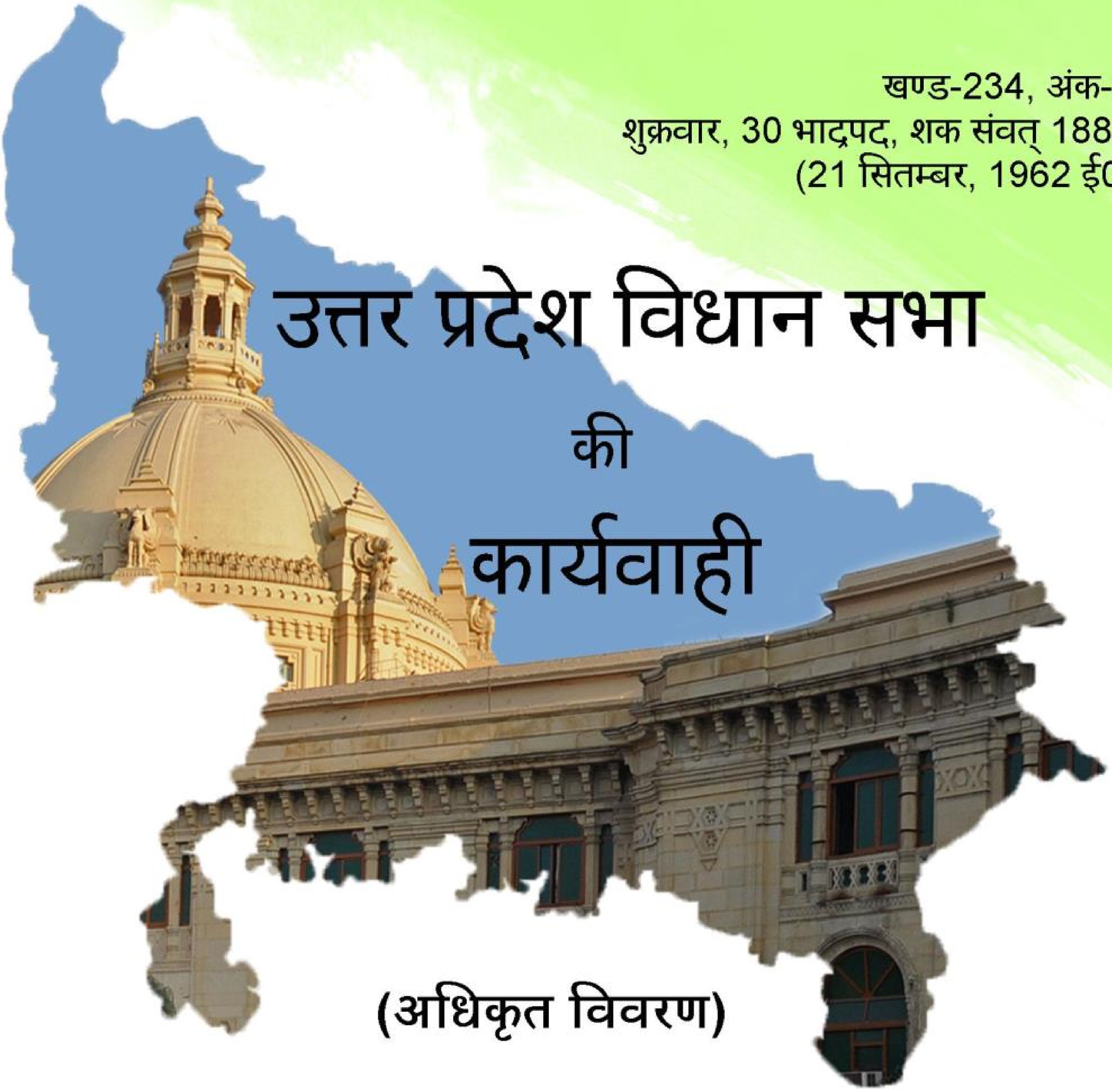

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 234 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१०२५–१०२९
प्रश्नोत्तर	१०२९–१०६८
उत्तर प्रदेश भूमि-विधि संशोधन विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	१०६८
विरोधी दलों के नेताओं द्वारा लिखे गये पत्र के कथित विवरण में अध्यक्ष के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१०६८–१०७३
श्री उग्रसेन द्वारा अध्यक्ष के प्रति कथित आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	१०७४–१०८२
उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२ के संबंध में याचिका (याचिका समिति को निर्दिष्ट)	१०८२–१०८४
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	१०८४–१०८६
गृह मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव (निर्णय सुरक्षित) ..	१०८६–१०८८
असरकारी कार्य को पूर्व निश्चयानुसार न लेने पर आपत्ति	१०८८–१०९०
उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ (विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक मेज पर रखा गया)	१०९१
विरोधी दलों की अनुपस्थिति में विधेयकों के पारण पर आपत्ति ..	१०९१–१०९७
गृह मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के संबंध में दिये गये प्रस्ताव पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	१०९७–१०९९
विरोधी दलों की अनुपस्थिति में विधेयकों के पारण पर उठाई गई आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	१०९९
नत्थियां	११००–११२६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २१ सितम्बर, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में साढ़े १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखंडप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अष्टभुजा, श्री
अमहद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० प्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रासद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाम्प, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज सिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री

पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंलगप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री

रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामअसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री

शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल बुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २१ सितम्बर, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर जिले के बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र में टैस्ट वर्क

*१—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतायेगी कि गोरखपुर जिले के बाढ़ एरिया में इस वर्ष रबी की फसल खराब हुई और उस एरिया से टैस्ट वर्क चलाने की मांग की गयी है और खास तौर पर बांसगांव और सदर तहसील में ? यदि हां, तो सरकार उस पर कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—जी हां, जहां रबी की फसल को क्षति हुई थी वहां से टैस्ट वर्क चलाने की मांग की गई थी । बांसगांव और सदर तहसीलों से टैस्ट वर्क चलाने की मांग नहीं की गई । क्षतिग्रस्त एरिया में ४९ टैस्ट वर्क चलाये गये ।

[२१ सितम्बर, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आपदाकालीन छात्रवृत्तियां

*१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों को कितना-कितना रुपया विद्यार्थियों को आपदाकालीन छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिये सितम्बर एवं अक्तूबर सन् ६१ की भीषण बाढ़ एवं अति वृष्टि के कारण प्रदान किया गया ?

*२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त धनराशियों में से कितना-कितना रुपया प्रत्येक जिले में व्यय किया गया है ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—इन्टरमीडियेट तक के विद्यार्थियों को आपत्कालीन छात्रवृत्तियां देने से संबंधित आवश्यक सूचना नत्थी 'च' वाली तालिका में दी हुई है।

विश्वविद्यालयों तथा डिग्री कालेजों के विद्यार्थियों को आपत्कालीन छात्रवृत्तियां देने के लिये संबंधित जिलाधीशों के द्वारा उपकुलपतियों को जो धनराशियां दी गईं तथा उनमें से जो व्यय हुआ उसका विवरण नत्थी 'छ' वाली तालिका में है।

(देखिये नत्थी 'क', आगे पृष्ठ ११००–११०१ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आपत्कालीन छात्रवृत्ति देने का जो आदेश सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ है वह कौन-कौन आपत्तियों वाले छात्रों के लिये था ?

श्री बृजबिहारी—अध्यक्ष महोदय, वह आदेश तो इस समय मेरे पास नहीं है लेकिन बाढ़ के संबंध में जो आपत्कालीन थे उन्हीं को देने के लिये आदेश था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि वाटर-लागिंग वाले क्षेत्र के छात्रों को फीस सरकार द्वारा प्रदान की गयी या नहीं की गयी, और क्या यह बात सही है कि वाटर लागिंग वाले क्षेत्र के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या यह सही है कि आपत्कालीन सहायता के लिये जो आदेश भेजे गये, उनमें इस बात को साफ नहीं किया गया है और केवल यह लिखा गया है कि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र के छात्रों को सहायता ३,८० हजार रुपये की धनराशि दी गयी इन्टरमिडियेट कालेज के छात्रों को तथा इसमें से २,९७,०७३ रुपया ही खर्च हुआ ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, मैंने निवेदन कर दिया था कि वह आदेश इस समय मेरे पास नहीं है, इसलिये उसका उत्तर इस समय नहीं दिया जा सकता। उसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इसको स्थगित कर दिया जाय क्योंकि उस आदेश की प्रतिलिपि न होने के कारण हम सप्लीमेंटरी सवालों का उत्तर नहीं पा रहे हैं जबकि उसी आदेश के द्वारा वे छात्रवृत्तियां दी गयीं।

श्री अध्यक्ष—श्री रामायणराय, आप अपना प्रश्न फिर से पूछ लीजिये।

श्री रामायणराय—मैंने यह प्रश्न किया था कि आपत्कालीन सहायता के लिये सरकार ने जो आदेश भेजे थे उनमें केवल यह लिखा हुआ था कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के छात्रों को सहायता देने के लिये, उसमें वाटर लागिंग या सूखा की चर्चा नहीं है। इसीलिये ३ लाख ८० हजार की जो धनराशि थी उसमें से केवल २,९७,०७३ रुपया ६६ न० पै० ही खर्च हुआ।

श्री अध्यक्ष—सितम्बर, अक्तूबर, ६१ की भीषण बाढ़ के बारे में यह प्रश्न था, अतिवृष्टि और वाटरलागिंग के बारे में प्रश्न स्पष्ट नहीं था।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अतिवृष्टि और वाटरलागिंग से भी तो फसल नष्ट हुई है।

श्री अध्यक्ष—ऐसा भी हो सकता है कि बगैर अतिवृष्टि और वाटरलागिंग के मकान गिर सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—यह बात बिलकुल सही है कि अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों को सहायता मिलनी चाहिये थी लेकिन सरकारी आफीसरों का ऐसा व्यवहार रहा कि बाढ़ वाले इलाकों को ही केवल छात्रवृत्ति दी गयी है और वाटरलागिंग और सूखा वाले क्षेत्रों को नहीं दी गयी है, क्या यह सच है ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, जो प्रश्न था उसी का उत्तर दिया गया है, आपद्ग्रस्त क्षेत्रों के छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष—इसमें अतिवृष्टि शामिल है या केवल बाढ़ ही है ? इसमें दो बातें हैं, बाढ़ एवं अतिवृष्टि। तो वह बाढ़ के कारण क्षति हुई है या अतिवृष्टि के कारण ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये अलग-अलग ब्योरा तो नहीं है। आपदाग्रस्त क्षेत्र क विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिये यह धन दिया गया था, यही लिखा हुआ है और यही उत्तर भी दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय राजस्व मंत्री इसकी फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले के लगभग सभी गरसरकारी जूनियर हाई स्कूल्स के छात्र ऐसी सहायता से वंचित रहे ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये जांच करायी जा सकती है, अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि आपदाकालीन छात्रवृत्ति पाने वालों में सूखा पड़ने वाले क्षेत्रों के छात्र भी शामिल हैं ?

श्री अध्यक्ष—देखिये, सिर्फ बाढ़ और अतिवृष्टि के आपदाकालीन विद्यार्थियों के लिये है।

श्री कमलासिंह यादव—आपदाकालीन छात्रवृत्ति में तो सूखा वाले भी हैं।

श्री बृजबिहारी—इस प्रश्न में सूखा का जिक्र कहीं नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि भीषण बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण।

श्री अध्यक्ष—वह खत्म हुआ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करगे कि आपदाकालीन छात्रवृत्ति किस समय से किस समय के लिये दी गयी और जिला बुलन्दशहर में इस छात्रवृत्ति में कितना धन दिया गया ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, इसमें लिखा हुआ है सितम्बर एवं अक्टूबर, सन् ६१ की भीषण बाढ़ एवं अतिवृष्टि....

श्री अध्यक्ष—वे पूछ रहे हैं कि छात्रवृत्ति के लिये जो धन दिया गया वह किस विशेष समय के लिये दिया गया और कितने दिन के लिये दिया गया। सितम्बर, अक्तूबर में तो बाढ़ आयी और आप पूछ रहे हैं कि छात्रवृत्ति कब से कब तक के लिये दी गयी।

श्री बृजबिहारी—४-५ महीने के लिये दी गयी थी।

श्री रामायणराय—नत्थी "छ" में विश्वविद्यालयों के लिये भी आपने दिया है, उससे यह साफ नहीं है कि विश्वविद्यालयों से जो संबंधित कालेज हैं उन कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी यह आपदाकालीन सहायता मिलेगी, तो उनके लिये भी आपने ऐसी कोई व्यवस्था की है ?

श्री बृजबिहारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों को जो गया है उसका अर्थ यह है कि उनके अन्तर्गत जितने विद्यालय हैं उनको भी अवश्य दिये होंगे।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि यह छात्रवृत्ति देवरिया जिले के बाढ़ग्रस्त इलाके के विद्यार्थियों को डेढ़, दो और तीन रुपये प्रति विद्यार्थी के हिसाब से दी गयी है ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। मैं निवेदन कर दूं कि अधिक से अधिक १० रु० प्रति मास के हिसाब से दिया गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से बतलाने की कृपा करेंगे कि अति वर्षा से पीड़ित छात्रों को यह सहायता दी गयी है कि नहीं ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है। अलग-अलग ब्योरा नहीं है, जैसा कि पहले भी उत्तर में निवेदन कर दिया गया है।

भूसडोही में तकावी की माफ़ी

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माल मंत्री ६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र की जांच कब समाप्त हुई और परिणाम क्या हुआ ?

श्री बृजबिहारी—उक्त प्रार्थना-पत्र के तीन प्रार्थियों, अर्थात् सर्वश्री झगरू हरिजन, महादेव हरिजन और मु० वसुई, के सम्बन्ध में अन्तिम जांच गत जुलाई मास में पूर्ण हुई और आयुक्त, गोरखपुर डिवीजन की ६ अगस्त, १९६२ की आज्ञा द्वारा उन पर तकावी की बकाया माफ कर दी गई है।

बाक़ी बचे हुए ५ प्रार्थियों, अर्थात् सर्वश्री सिधारी हरिजन, त्रिवेणी लोनिया और मु० सोमारी देवी की भूमि को कटे ५ वर्ष पूर्ण नहीं हुए, अतएव उनके मामलों को तकावी नियमावली के नियम २३० (बी) के अन्तर्गत जांच के हेतु पुनः तहसीलदार को भेजा गया है। जांच के पश्चात् ही आयुक्त द्वारा इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या राजस्व मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों ने सरकार के पास तकावी-माफी के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे क्या उनकी तकावी वसूली की मुल्तवी के आदेश सरकार द्वारा या कमिश्नर द्वारा दिये गये हैं या नहीं ?

श्री बृजबिहारी—इसमें तकावी के स्थान का प्रश्न नहीं है, प्रश्न माफी का है, और इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन कर दिया है।

गंगा नदी पर टेहरी का पुल तथा भल्डियाना-लमगांव मोटर रोड

*४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि टेहरी-गढ़वाल में जो टेहरी का पुल गंगा नदी पर बन रहा है अब तक तैयार न होने का कारण क्या है ? क्या टेहरी में सिराई के पुल, जो झूलादार बना है, उसके दोनों किनारे अरक्षित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों किनारों को सुरक्षित करने की व्यवस्था करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—ठेकेदार तथा उचित संख्या में प्रशिक्षित मजदूर न मिलने के कारण इस कार्य में कुछ देरी हुई। पुल अब तैयार हो गया है और १५ सितम्बर, १९६२ से यातायात के लिये खुल गया है। सिराई के पुल के दोनों किनारे कुछ अरक्षित हैं और उनको सुरक्षित करने की व्यवस्था की जा रही है।

*५—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि भल्डियाना-लमगांव मोटर रोड को सन् १९४८ से कितनी बार इलाइनमेन्ट्स पर बनाया गया और इस पर अब तक कितना रुपया खर्च हुआ है? क्या सड़क पूरी तौर से बन गई?

श्री गिरधारीलाल—इस सड़क का एक ही बार एलाइन्मेन्ट किया गया है। इस पर अब तक अनुमानित व्यय ७,६८,००० रुपये हुआ है। सड़क लगभग पूरी बन गई है।

*६—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार को पता है कि पहाड़ों में सामान्यतया एक बीस के ग्रेडीयन्ट पर सड़क बनायी जाती हैं किन्तु भल्डियाना-लमगांव मोटर रोड को कई स्थानों पर एक "६" के ग्रेडियन्ट पर बनाया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों बनाया गया?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। साधारणतया पहाड़ी सड़कों में १:२० ग्रेडियन्ट रखा जाता है किन्तु कहीं-कहीं पर ऐसा करना सम्भव नहीं होता है और ग्रेडियन्ट को बदलना पड़ता है। भल्डियाना-लमगांव सड़क के १०वें मील के ४ फर्लांग तथा ११वें मील के १, २ फर्लांग पर अधिक से अधिक १:१० का ग्रेडियन्ट रखा गया है।

*७—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[१४वें गुरुवार के लिए प्रश्न १५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इलाहाबाद में अंग्रेजी शराब की दूकानें

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद में अंग्रेजी शराब की दूकानों की संख्या कितनी है?

आबकारी राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—१८।

*९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इलाहाबाद में १९५९-६०, १९६०-६१ तथा १९६१-६२ में कौन-कौन सी दूकानें खत्म की गईं और कितने-कितने नये लाइसेन्स उसी समय में दिये गये?

डाक्टर सीताराम—इलाहाबाद में वर्ष १९५९-६०, १९६१-६२ में कोई अंग्रेजी शराब की दूकानें खत्म नहीं हुई, लाइसेन्स देने का प्रश्न नहीं उठता। हां, वर्ष १९६०-६१ में मोहल्ला चौक और जानसनगंज की दूकानों के दो लाइसेन्सदारों की मृत्यु के कारण इन दूकानों के लाइसेंस खत्म हो गए थे, परन्तु उस अवधि में कोई नया स्थायी लाइसेन्स नहीं दिया गया।

*१०—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के जानसनगंज मुहल्ले की दूकान जो मुसम्मात मोहनी देवी के नाम थी उनके मरने के पश्चात् उनके वारिसों के मांग करने पर नहीं दी गई? यदि हां, तो क्या कारण है?

डाक्टर सीताराम—मोहनी देवी के मरने के बाद लाइसेन्स उनके वारिस को जिलाधीश ने दे दिया।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की मद्यनिषेध की नीति होते हुये तथा यह देखते हुए कि इलाहाबाद नगर महापालिका का एक मत से प्रस्ताव सरकार के पास आया है कि उसको ड्राई एरिया घोषित किया जाय, सरकार ने वहां अभी तक क्यों एक दूकान भी कम नहीं की है?

डाक्टर सीताराम—इलाहाबाद मद्यनिषेध घोषित क्षेत्र नहीं है और यह २ पुरानी दूकानें जिनको चलाने का आर्डर दिया है ४० साल पुरानी थीं। इस सम्बन्ध में इलाहाबाद कारपोरेशन का पत्र जरूर प्राप्त हुआ था, लेकिन उसे सरकार ने इसलिये अस्वीकार कर दिया क्योंकि इलाहाबाद मद्यनिषेध घोषित क्षेत्र में नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—इसमें सरकार ने यह कहा है कि अस्थायी लाइसेंस नहीं दिये गये, इसके माने यह हैं कि स्थायी दिये गये हैं, तो जब वहां हर प्रकार की गन्दगी भरी पड़ी है तो किस तरह से वहां अस्थायी न देकर स्थायी दिये गये और वह किसको दिये गये हैं ?

डाक्टर सीताराम—एक्साइज मैनुअल की धारा ३३७ [लगायत ३४२ के अनुसार जिलाधीश को अधिकार है कि वह किसी को भी जिसको सूटेबिल समझे उसको अस्थायी लाइसेंस दे सकता ह जिससे कि सरकारी राजस्व की हानि न हो और इसीलिये जिलाधीश ने सन् १९६० में श्री कपूर के नाम की कमिश्नर को सिफारिश की थी लेकिन कमिश्नर ने जिलाधीश की संस्तुति को अस्वीकृत कर दिया और सरकार को लिखा कि वह वेकेन्सी डिक्लेयर करे और उसके बाद लाइसेंस दिया जाय। सरकार ने विचार करके जिलाधीश की मारफत मैनुअल की धारा ३४२ के अनुसार आवेदनपत्र इन्वाइट कर के जिनको उचित समझा उन को लाइसेंस दिये।

श्री हिम्मतसिंह—इलाहाबाद नगरपालिका का प्रस्ताव आया कि ड्राई किया जाय, मंत्री जी ने कहा कि अभी सरकार का ऐसा फसला नहीं हुआ, तो क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि कौन से कस्बे या नगर इनकी मद्य-निषेध योजना में लिये जायेंगे ?

डाक्टर सीताराम—अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इलाहाबाद नगर से इस आबकारी के सम्बन्ध में सरकार को कितनी आय प्राप्त होती है ?

डाक्टर सीताराम—तत्काल आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मेरा खयाल है कि इलाहाबाद नगर में करीब ४० लाख रुपया प्रति वर्ष सरकार को लाइसेंस फ़ी और ड्यूटी आदि मिला करके मिलता है।

*११-१२—**श्री जे० पी० मिश्र** (जिला हरदोई)—[१४वें गुरुवार के लिए प्रश्न ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किय गये।]

*१३-१५—**श्री कल्पनाथसिंह** (अनुपस्थित)—[१४वें गुरुवार के लिए प्रश्न ४०-४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१६-१८—**श्री सदामाप्रसाद गोस्वामी** (जिला झांसी)—[१७ सितम्बर, १९६२ को प्रश्न १५-१७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

गाजीपुर जिले में ठेकेदारों द्वारा सड़कों पर काम

*१९—**श्री कमलासिंह यादव**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में पी० डब्लू० डी० रोड का १९६०-६१ और १९६१-६२ में कितने-कितने ठेकेदारों को मिट्टी के फेंकने के लिये ठेका दिया गया था और उनका कितने का भुगतान हुआ ?

*२०—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के पी० डब्लू० डी० विभाग को १९६०-६१ और १९६१-६२ में कितना कोयला दिया गया था और वह किस रूप में खर्च किया गया था ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—वांछित सूचना† सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

---

† छापी नहीं गई।

*२१—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सैदपुर–सादात रोड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से किस सन् में पी० डब्लू० डी० द्वारा ली गई और क्यों? और उस पर अभी तक कितना खर्च किया गया?

श्री गनेशीलाल—यह सड़क १९४६–४७ में कच्ची सड़क निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा ली गई थी। १९५२ में यह सड़क जिला बोर्ड को वापस कर दी गई। इस बीच में इस सड़क पर १९३४ रुपया ९ आना विभाग द्वारा व्यय हुआ।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बतायेगी कि जितने ठेकेदारों का नाम इस लिस्ट में दिया गया है उसमें कितने गाजीपुर जिले के हैं और कितने बाहर के हैं?

श्री गनेशीलाल—यह तो कहना इस समय मुमकिन नहीं होगा।

श्री कमलासिंह यादव—मन्त्री जी बतायेंगे कि जितने ठेकेदार हैं उनमें नये कितने हैं? और क्या यह सही है कि जो नये ठेकेदार हैं उनको ही काम दिया जाता है और पुराने अच्छा काम करने वाले ठेकेदारों को काम नहीं दिया जाता है?

श्री गिरधारीलाल—काम सभी को दिया जाता है जो अच्छा काम करते हैं, नया हो या पुराना हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय—सरकार द्वारा जो ठेका मिट्टी फेंकने का दिया जाता है यह ठेकेदारों को न दे कर के गांव सभाओं द्वारा कराने में सरकार को क्या दिक्कत है?

श्री अध्यक्ष—यह सवाल आप अलग से कर सकते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बतायेगी कि यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग ने क्यों ली थी १९४६–४७ में और १९५२ में क्यों वापस कर दी?

श्री गिरधारीलाल—उस समय आजादी हासिल होने के बाद हमारे पास केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार का आदेश आया कि यह सरकार प्रोग्राम बना कर के उनके पास भेजे और उसके निर्माण के लिये पूरा-पूरा रुपया देंगे। उसके हिसाब से जितनी सूबे भर की इस प्रकार से सड़कें थीं वे ली गईं और उसके ऊपर वहां से रुपया आने पर थोड़ा बहुत काम चालू किया गया। उसके बाद १९५२ में फ़ाइनेंशियल स्ट्रिन्जेंसी होने की वजह से सब काम रुक गया। उसके बाद प्लान शुरू हुई और प्लान के मातहत सब कामों की शुरुआत हुई। इसी वजह से उस वक्त जो सड़कें प्लान के बाहर थीं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से पहिले ली थीं उनको वापस कर दिया गया।

श्री कमलासिंह यादव—मंत्री जी बतायेंगे कि यह सड़क बहुत इम्पारटेन्ट समझ कर पी० डब्लू० डी० ने ली थी और अब इस सड़क को न बना कर इसके बाद की बहुत सी-सड़कें बना दी गईं?

श्री अध्यक्ष—एक एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि सेन्टर से इंस्ट्रक्शंस आये थे; उसके मुताबिक सड़कें पहले ली गईं, फिर बाद में फ़ाइनेंशियल स्ट्रिन्जेंसी के कारण और प्लान शुरू होने के कारण उसी के मुताबिक उन पर काम किया गया और प्लान के बाहर की सड़कों को फिर वापस कर दिया।

श्री कमलासिंह यादव—मेरा कहना यह है कि इस सड़क को महत्वपूर्ण समझ कर पी० डब्लू० डी० ने लिया। इस सड़क को न बना कर बाद की सड़कें बनायी गईं, इसका क्या कारण है?

श्री गिरधारीलाल—जितनी भी सड़कें बनती हैं जब से प्लान चालू हुई उस समय से डिस्ट्रिक्ट लेविल पर सब से सलाह ले कर प्रायरिटी फिक्स की जाती है। तो जो प्रायरिटी फिक्स होगी उस हिसाब से ली गई। और जो नहीं ली गई उनके लिये कोई प्रायोरिटी वहां से नहीं दी गई होगी।

फरेंदा तहसील में सड़कें

*२२—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में "स्टार ग्रिड" फार्मूले के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में कितने मील सड़कें बनाई गई हैं ?

श्री गनेशीलाल—स्टार ऐन्ड ग्रिड फारमूला का हिसाब जिलेवार रखा जाता है न कि तहसीलवार। फरेन्दा तहसील में प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ७१ मील १ फर्लांग सड़क का निर्माण हुआ है।

*२३—**श्री नरसिंहनारायण पांडेय**—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में उपरोक्त तहसील में कितनी लम्बी सड़कें उपरोक्त फार्मूले के अनुसार कहां से कहां तक बनाई जायेंगी ?

श्री गनेशीलाल—दूसरी योजना के अन्त में जो स्वीकृत कार्य अधूरे रह गये थे उनको तीसरी योजना में पूर्ण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त फरेन्दा-महाराजगंज (१८ मील १ फ० १२६ गज) और हरखपुर क्रासिंग से रायपुर-माफी (२ मील) का निर्माण कार्य हाथ में लिया जायेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय मन्त्री ने बतलाया कि ७१ मील और १ फर्लांग जो सड़कों का निर्माण किया गया है तो ये कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनका निर्माण किया गया ?

श्री गनेशीलाल—एक लम्बी लिस्ट है। अगर आज्ञा हो तो पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष—कुछ संकेत कर दीजिये।

श्री गनेशीलाल—सिसवा-शिवदासपुर-छपरा (सी० सी० ट्रैक) तीन मील में से १ मील ६ फर्लांग, सिसवा-हवाली (सी० सी० ट्रैक) २ मील में से १ मील ५ फर्लांग, फरेंदा-महाराजगंज (सी० सी० ट्रैक) ४ मील में से २ मील ६ फर्लांग, घुघली-शिकारपुर (सी० सी० ट्रैक) २ मील में से १ मील ५ फर्लांग, आदि। इस तरह से ७१ मील १ फर्लांग तक सड़कों का निर्माण हुआ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—मेरा प्रश्न यह था कि कौन-कौन-सी सड़कें बनायी गयीं। माननीय मंत्री जी बतला रहे हैं कि एक भी सड़क फरेंदा तहसील में नहीं बनायी गई है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या कारण है।

श्री अध्यक्ष—उत्तर में दिया है कि स्टार ऐंड ग्रिड फारमूले के हिसाब से सड़कें जिलेवार रखी जाती हैं और तहसीलवार लिस्ट उनके पास नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—फरेंदा तहसील नेपाल राज्य से लगी हुई है और वहां पर कोई ऐसी सड़क नहीं है जिससे वहां पहुंचा जा सके। वहां पर रोज जो इस तरह की घटनायें होती रहती हैं और पी० डब्लू० डी० तथा पुलिस विभाग ने कहा है कि वहां पर उनको रोकने के लिये सड़क की नितान्त आवश्यकता है, तो स्टार ऐंड ग्रिड फारमूले के हिसाब से फरेंदा तहसील में सरकार कोई सड़क बनाने की कोशिश करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—अभी दो सड़कों के बारे में बताया कि वे भी वहां बन रही हैं।

श्री हिम्मतसिंह—स्टार ऐंड ग्रिड फारमूले के अन्तर्गत द्वितीय पंच वर्षीय योजना में गोरखपुर जिले में सारी सड़कें बन जानी चाहिये था लेकिन अगर नहीं बनी हैं तो उसका क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—जितनी सड़कें वहां पर रखी गयी हैं सब बनी हैं और साथ ही उनमें जितना रुपया दिया गया है वह सब का सब उन सड़कों पर खर्च हुआ है। रुपये की कमी हुई है तो वह तीसरी योजना के अन्तर्गत स्पिल ओवर में ले आये हैं।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—इस बात को देखते हुए कि बृजमनगंज से कुलही होते हुए नौतनवा और बृजमनगंज-आनन्दनगर से गोरखपुर की सड़कें जरूरी सड़कें हैं, सरहदी क्षेत्र को मिलाते हुए, तो क्या माननीय मन्त्री उनको स्टार एंड ग्रिड फारमूले के अन्तर्गत लेने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन, जैसा मैंने कहा' वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, डी० एम०, एस० पी० और जितने एम० एल० एज० हैं सब के सलाह मश्विरे से तीसरी योजना तैयार की गई है, उसमें जितनी सड़कें वहां रखी गयी हैं उन सभी सड़कों पर काम हो रहा है। उसके अलावा हमारे पास रुपया हुआ, जैसे कि हमारे दल के नेता बहुत ज्यादा उस बात के इच्छुक हैं कि रुपया इधर उधर से मिले और ज्यादा से ज्यादा सड़कों को बढ़ाया जाय, उसके अनुसार उस वक्त अगर इस सड़क की जरूरत हुई तो इसे देख लिया जायगा।

*२४–२५—**श्री राजेन्द्रसिंह** (जिला एटा)—[हटा दिये गये।]

*२६–२७—**श्री रामसुन्दर शास्त्री** (जिला गाजीपुर)—[हटा दिये गये।]

बोगेन नदी पर बदौसा पुल का टोल-टैक्स

*२८—**श्री मतोलासिंह** (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—जिला बांदा, तहसील नरेनी, ग्राम बदौसा में बोगेन नदी में एक अर्से से टोल-टैक्स लग रहा है, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आज तक पुल का व्यय टैक्स द्वारा किस कदर वसूल हो चुका और कितना बाकी है ?

श्री गिरधारीलाल—इस पुल पर १५ अगस्त, १९६२ तक ६,०५,७३४ रुपये वसूल हो चुके हैं और लगभग ७,०३,१३० रुपया वसूल होना बाकी है।

*२९—**श्री मतोलासिंह**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि किस अवधि तक टोल-टैक्स (पुल का व्यय) सरकार लेना बन्द कर देगी ?

श्री गिरधारीलाल—इस पुल पर उस अवधि के बाद टोल-टैक्स लेना बन्द किया जायगा जब इसके निर्माण की पूरी लागत वसूल हो जाय अथवा टौल लगाने की तिथि से २० वर्ष बाद, जो भी समय कम हो।

अवैध गांजा, शराब व अफीम

*३०—**श्री कल्पनार्थसिंह** (अनुपस्थित)—क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों में कितना-कितना अवैध गांजा, शराब और अफीम सन् १९६१ के मार्च से अब तक पकड़ी गई है और इस संबंध में कितने मुकदमे अब तक चल रहे हैं, कितने मुकदमों में सजा हुई है और कितने मुकदमे सबूत के अभाव में छूट गये ?

*३१—क्या सरकार को यह मालूम है कि उत्तर प्रदेश में गांजा, शराब और अफीम का अवैध व्यापार करने वाला कोई गिरोह है ? यदि हां, तो सरकार ने गिरोह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

निःशुल्क अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा

*३२—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य भर में निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा योजना लागू करने के लिये सरकार ने कोई निश्चित योजना तैयार की है ? यदि हां, तो इस योजना के अनुसार इस पर कितना रुपया व्यय होगा, राज्य में कुल कितने प्राइमरी स्कूल खोलने पड़ेंगे तथा छात्रों और अध्यापकों की अनुमानित संख्या क्या होगी ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—जी नहीं।

श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा योजना लागू करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के शिक्षा विभाग से कुछ निदेश राज्य सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

*३४—श्री चन्द्रजीत यादव (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के निरक्षर वयस्क, पुरुषों और स्त्रियों को साक्षर बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—शिक्षा विभाग के अन्तर्गत कोई ऐसी योजना नहीं है। नियोजन विभाग द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्य-क्रम चलाया जा रहा है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में नोटिंग ड्राफ्टिंग परीक्षा

*३५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ने ८ जनवरी, १९६२ के अपने पत्र द्वारा १ जनवरी, १९६१ से नियुक्त तथा पदोन्नत जूनियर नोटर एन्ड ड्राफ्टरों को ११, १२ अगस्त, १९६२ को परीक्षा देने का आदेश दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गनेशीलाल—जी हां। डिसिप्लीनरी प्रोसिडिंग्स इन्क्वायरी कमेटी के सुझाव के अनुसार कर्मचारियों की गिरती हुई कार्य कुशलता को रोकने के उद्देश्य से कथित परीक्षा ली गई है।

*३६—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या सेवाकाल से ऐसी परीक्षायें लेना सेवा नियमों के अन्तर्गत है और नियमानुकूल है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी ऐसी अवांछनीय आशा को जिससे विभागीय तथा अन्य राजकीय कर्मचारियों में क्षोभ और सेवा सुरक्षा की आशंका व्याप्त हो गई है तुरन्त वापस लेंगे और सुव्यवस्था कायम रखेंगे ?

श्री गनेशीलाल—जी हां। ये परीक्षायें सरकारी आदेशों पर आधारित हैं। ऐसी परीक्षाओं से कर्मचारियों को क्षोभ नहीं होना चाहिये, क्योंकि इनसे उनको अपनी योग्यता दर्शाने का एक रास्ता मिल जाता है और वे परीक्षा के डर से कार्य सीखने की पूरी कोशिश करते हैं, सरकारी कार्य में दक्षता भी बढ़ती है। इसलिये इन आदेशों को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

*३७—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त राजकीय कर्मचारियों की कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता बढ़ाने और उन्हें जन-कार्य करने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये आचरण पुस्तिका, वरीयता तथा उनकी अन्य सेवा शर्तें जैसे ई० बी० इत्यादि नियमों से काम नहीं लिया जा सकता है ?

श्री गनेशीलाल—आचरण पुस्तिका तथा दक्षता रोक (Efficiency Bar) के नियम स्वतः काफी नहीं हैं। कार्यकुशलता का परिचय परीक्षा से ही मिल सकता है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६१ से नियुक्त और पदोन्नति जूनियर ड्राफ्टर्स को परीक्षा देने के लिये क्यों बाध्य किया गया जबकि उनकी कार्य कुशलता और दक्षता जान कर के ही उनकी पदोन्नति की गयी थी ?

श्री गिरधारीलाल—जिस स्थान पर उनको पदोन्नत किया गया उसकी भी कार्य कुशलता देखी जायगी; साथ ही यह भी है कि जो विभाग में काम कर रहे हैं उनके अन्दर परी काबलियत है और इस बात का भी उनको खयाल रहे कि जो कमी है उसको दूर करना है, इसलिये इम्तहान लेने का एक तरीका रखा गया है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६१ से ही नियुक्त लोगों को परीक्षा देने के लिये बाध्य क्यों किया गया, इसके पहले के लोगों की दक्षता और कार्यकुशलता देखने के लिये परीक्षा क्यों नहीं ली गई ?

श्री गिरधारीलाल—वैसे डिसिप्लनरी इन्क्वायरी कमेटी ने १९५५ में ही इस प्रकार की सिफारिश की थी लेकिन इसको अभी लागू किया है और अब यह परीक्षा ली जा रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी एफिशियेन्सी बार के नियमों में कुछ संशोधन और परिवर्धन करेंगे जिससे कर्मचारियों को परीक्षा देने और विभागीय अन्य प्रकार की परेशानियों से बचने का अवसर मिल जाय ?

श्री गिरधारीलाल—परीक्षा में हम कोई रीयल चेन्ज नहीं करना चाहते।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—श्रीमन्, जवाब में यह कहा है कि वे नियम स्वतः काफी नहीं हैं। तो यदि काफी नहीं हैं तो क्या उनको काफी करने के लिये उनमें कोई संशोधन और परिवर्द्धन किया जायगा ?

श्री गिरधारीलाल—मैं समझता हूं कि उसमें कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष—आपने इसमें लिखा है कि जो नियम हैं वे काफी नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? नियमों का परिवर्तन या संवर्द्धन होगा या क्या होगा ?

श्री गिरधारीलाल—उनकी एफिशियेन्सी बढ़ाने के लिये जो तरीका अभी तक कैरेक्टर रोल, एफिशियन्सी बार आदि का है वह काफी नहीं है और उसकी पूर्ति करने के लिये यह परीक्षा रखी गयी है।

श्री अध्यक्ष—ठीक है।

चकबन्दी कर्मचारी

*३८—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग किस समय (साल) तक चालू रहेगा और कब तक प्रान्त में चकबन्दी कार्य पूर्ण हो जावेगा ?

श्री बृजबिहारी—प्रदेश में वित्तीय वर्ष १९७६–७७ तक चकबन्दी कार्य पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है और तभी तक चकबन्दी विभाग भी चालू रहेगा।

*३९—श्री दयाराम शाक्य—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी समाप्त होने पर विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को किसी भी विभाग में खपाने का निश्चय सरकार ने किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजबिहारी—चकबन्दी समाप्त होने पर विभाग के अस्थायी कर्मचारियों को किसी अन्य विभाग में खपाने का अभी निश्चय नहीं किया गया है।

चकबन्दी कार्य के प्रदेश भर में समाप्त होने की अवधि को देखते हुये इस मामले पर अभी विचार करना आवश्यक नहीं है।

श्री दयाराम शाक्य—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस विभाग में कितने चपरासी, लेखपाल, सी० ओ० और ए० सी० ओ० हैं ?

श्री बृजबिहारी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री दयाराम शाक्य—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अस्थाई कर्मचारी जिनकी १९७६–७७ के बाद सरकारी सर्विसेज के लिये आयु समाप्त हो जायगी उनको किसी स्थान पर लिये जाने का कोई विचार है या नहीं ?

श्री बृजबिहारी—इसका उत्तर, श्रीमन्, दे दिया गया है।

श्री ऊदल—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पूरे प्रदेश में चकबन्दी होने में कितने वर्ष लगेंगे ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, इसका भी उत्तर दे दिया गया है कि चकबन्दी का कार्य १९७६–७७ तक समाप्त होने की आशा है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी यह कहा है कि स्थायी कर्मचारियों को विभाग के खत्म होने पर कहीं न कहीं सरकारी सर्विस में रख लिया जायगा तो जितने अस्थायी कर्मचारी हैं उनके लिये सरकार क्या सोच रही है ?

श्री बृजबिहारी—स्थायी कर्मचारियों के बारे में तो प्रश्न ही नहीं है। अस्थायी कर्मचारियों के बारे में है, उसका उत्तर दे दिया गया है।

श्री दयाराम शाक्य—क्या सरकार बतायेगी कि इस विभाग से रेगुलर ब्रांच में प्रमोशन न किया जाय, ऐसा कोई नियम है ? जैसे ए० सी० ओ० हैं, वे नायब तहसीलदार के बराबर होते हैं, तो क्या उनको रेगुलेर ब्रांच में ट्रान्सफर किया जायगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—उनका मतलब यह है कि चकबन्दी विभाग से दूसरी ब्रांच में ले सकते हैं या नहीं।

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, इसका प्रश्न नहीं है।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि दूसरे नम्बर पर जो अब चकबन्दी जिन जिलों में हो रही है वह कब तक समाप्त हो जायगी?

श्री अध्यक्ष—जिलेवार वे इस समय नहीं बता सकते हैं।

श्री रामायणराय—इस विभाग के जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनके लिये सरकार को क्या दिक्कत है जैसे रिलीफ एन्ड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को फरदर इम्प्लायमेन्ट में सुविधायें दी गई हैं या सिविल सप्लाईज के कर्मचारियों को दूसरे इम्प्लायमेन्ट में विशेष सुविधायें दी हैं, इनको देने में क्या कठिनाई है ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, यह प्रश्न जब आयेगा उस समय इस पर विचार किया जायगा। यह हम नहीं कह रहे हैं कि उनको हटाया ही जायगा।

*४०—श्री लखीसिंह—[१३ वें बुधवार के लिये प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४१-४३—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*४४-४६—श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर), श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ) तथा श्री ऊदल—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बागों पर लगान

*४७—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागों पर कब से लगान लगाया गया है और उससे उत्तर प्रदेश सरकार को कितना और राजस्व बढ़ा है ?

श्री बृजबिहारी—बागों पर कोई नया लगान नहीं लगाया गया है, अतएव इस कारण राजस्व बढ़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बागों पर लगान लगा हुआ है ?

श्री बृजबिहारी—इस समय बागों पर कोई लगान नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—क्या बागों पर इस समय लगान नहीं लगाया गया है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो कह दिया है कि बागों पर लगान नहीं है। इसमें कुछ कानूनी भ्रम है।

*४८-४९—श्री चन्द्रबलीसिंह—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापकों का प्राविडेंट फंड

*५०—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर) तथा श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिये प्राविडेन्ट फन्ड की क्या योजना लागू है ?

शिक्षा मन्त्री के सभासचिव (श्री अजीज इमाम)—नियमों की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ११०२ पर)

*५१—श्री शारदानन्द तथा श्री कृष्णपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यही योजना विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य डिग्री कालेजों में भी लागू है ? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीज इमाम—जी नहीं। यह नियम डिग्री कालेजों में लागू नहीं है क्योंकि उनका स्तर विश्वविद्यालय के स्तर से भिन्न है।

तरबगंज तहसील में चकबन्दी

*५२—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—क्या माल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के तरबगंज तहसील में चकबन्दी का काम पूर्ण रूप से कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री बृजबिहारी—गोंडा जिले की तरबगंज तहसील में चकबन्दी का कार्य सितम्बर, १९६३ तक पूर्णरूप से समाप्त हो जाने की आशा है।

श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो समय दिया गया है यह अनुमानित समय के भीतर है या ज्यादा समय हो रहा है ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, कुछ ज्यादा समय अवश्य लग गया है लेकिन अच्छी तरह से काम करने में थोड़ा-सा समय लग ही जाता है ।

श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इसका क्या कारण है कि ज्यादा समय लग गया ?

श्री बृजबिहारी—श्रीमन्, जब अच्छी तरह से काम किया जाता है, तो थोड़ा-सा समय लग जाता है । यह क्षम्य है ।

*५३-५४—श्री विजयसिंह—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५५—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५६-५७—श्री [झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये) ।

*५८—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—[हटा दिया गया ।]

इण्टर कालेज, मछली शहर का प्रबन्ध

*५९—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इन्टर कालेज मछलीशहर, जौनपुर की प्रबन्ध समिति तथा पदाधिकारियों में कौन-कौन से लोग हैं ?

श्री अजीज इमाम—उक्त कालेज में १५ जून, सन् १९६२ से दो प्रबन्ध समितियाँ स्थापित हो गई हैं । दोनों समितियों के सदस्यों और पदाधिकारियों के नाम संलग्न सूची "क" में दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११०३-११०४ पर)

*६०—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त कालेज में कितने अध्यापक हैं, और उनकी क्या योग्यता है ? इस कालेज को कितनी ग्रांट मिलती है ?

श्री अजीज इमाम—इस कालेज में प्रधानाचार्य को लेकर १८ अध्यापक हैं । नकी योग्यता का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

इस कालेज को १९६१-६२ में १४,९१६ रु० आवर्तक अनुदान और १,४५५ रु० महंगाई भत्ता अनुदान मिला है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ११०३-११०४ पर)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मछलीशहर इंटर कालेज में दो प्रबन्ध समितियों का निर्माण क्यों हुआ ?

श्री अजीज इलाम—वहाँ सेक्रेटरी ने जो मीटिंग बुलाई वह प्रेसीडेंट के घर पर ऐनुअल मीटिंग बुलाई जिसमें प्रबन्ध समिति का चुनाव होता है हालाँकि कानून यह है कि या तो कालेज के अहाते के अन्दर या डाक बंगले में मीटिंग बुलानी चाहिए । उस पर असिस्टेंट सेक्रेटरी ने एक कालेज के अहाते में बुलायी । इस तरह से दोनों मीटिंग्स हुई और दोनों में चुनाव हुआ ।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इन दो प्रबन्ध समितियों में से किस समिति की मीटिंग कालेज के कम्पाउन्ड में हुई ?

श्री अजीज इमाम—जो मीटिंग असिस्टेंट सेक्रेटरी ने बुलायी वह कालेज के कम्पाउन्ड में हुई थी ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो मीटिंग कालेज में बुलायी गयी नियम के अनुसार और जिसके पदाधिकारियों में भूतपूर्व मंत्री रऊफ जाफरी साहब भी हैं उस समिति को मान्यता देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अजीज इमाम—यह दोनों अनियमित हैं इसलिए किसी को भी मान्यता नहीं दी गयी है ।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या आदरणीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर ने यह रिपोर्ट की है कि वहाँ पर मछलीशहर इंटर कालेज में ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाय और दोनों कमेटियाँ कार्य न करें ?

श्री अध्यक्ष—ऐसी कोई रिपोर्ट निरीक्षक महोदय की आयी है ?

श्री अजीज इमाम—वहाँ के इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने डी० डी० आर०, वाराणसी को यह रिपोर्ट की है कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर, एजूकेशन अमेंडमेंट ऐक्ट के मातहत मुकर्रर किया जाय ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करने में उनको क्या आपत्ति और कठिनाई आ रही है ?

श्री अध्यक्ष—अभी तो उन्होंने कुछ कहा नहीं । वह तो कह रहे हैं कि ऐसी रिपोर्ट आयी है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब दोनों चुनाव अनियमित हैं तो नियमित चुनाव कब तक हो जायेगा, इसके बारे में कोई सूचना है ?

श्री अजीज इमाम—इसकी तो कोई सूचना हम अभी नहीं दे सकते ।

श्री अध्यक्ष—आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं, यह प्रश्न है ?

श्री अजीज इमाम—इसमें तो हम कोई कार्यवाही कर ही नहीं सकते मीटिंग बुलाने के सिलसिले में ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपके एजूकेशन कोड की किसी धारा में ऐसी कोई व्यवस्था है कि कोई भी कालेज एक दिन भी बिना किसी नियमित प्रबन्ध समिति के कार्य कर सके ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिए तो सूचना की आवश्यकता है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, शिक्षा मंत्री हैं, एजूकेशन कोड के बारे में .....

श्री अध्यक्ष—अब हो गया, उसमें कमेन्टरी की जरूरत नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी इसके पहले कि ऐडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति पर विचार करें इस पर विचार करेंगे कि कालेज की मीटिंग एक बार फिर बुलायी जाय और उसमें नयी प्रबन्ध समिति बनाने पर विचार किया जाय ?

श्री अजीज इमाम—यह गवर्नमेंट के अधिकार के बाहर है, इसलिए इस पर हम लोग गौर नहीं कर सकते ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब दोनों कमेटियों का चुनाव अनियमित है तो उस स्कूल का प्रबन्ध इस वक्त किसके हाथ में है और अध्यापकों का वेतन किस प्रकार दिया जा रहा है ?

श्री अजीज इमाम—अभी वहाँ स्कूल का प्रबन्ध किसी के हाथ में नहीं है और अध्यापकों का वेतन भी अभी नहीं दिया गया है ।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विद्यालय की नियमावली में मीटिंग बुलाने का हक किस को दिया गया है ?

श्री अजीज इमाम—नियमावली के अनुसार सेक्रेटरी को मीटिंग बुलाने का अधिकार होता है ।

श्री माताप्रसाद—क्या आदरणीय मन्त्री जी यह देखते हुए कि ये दोनों कमेटियाँ काम नहीं कर रही हैं और वहाँ के अध्यापकों को आठ-आठ महीने से वेतन नहीं दिया गया है और वह अध्यापक बहुत परेशान हैं, तो कोई ऐसी व्यवस्था माननीय मंत्री जी करेंगे कि अध्यापकों को वेतन शीघ्र ही दिया जा सके ?

श्री अजीज इमाम—इस प्रश्न पर विचार हो रहा है । वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स ने इस प्रश्न पर रिपोर्ट डी० डी० आर०, वाराणसी को कर दी है कि वह डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को इजाजत दे दें तो वह गवर्नमेंट ग्रान्ट में से अध्यापकों का वेतन बांट दें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अध्यापकों का वेतन कितने महीने का बाकी है ?

श्री अध्यक्ष—वह तो उन्होंने बताया आठ महीने का ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—और क्या सरकार जो शिक्षा विधेयक है उसके जरिये जो यह प्राविजन है कि ग्रान्ट में से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वितरण करा दिया जाय, वह अगर अभी नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या है ?

श्री अजीज इमाम—वह अभी डी० डी० आर०, वाराणसी रीजन के विचाराधीन है ।

श्री मुख्तारुद्दीन "आसी" से प्राप्त फारसी पाण्डुलिपि

*६१—**श्री दयाराम शाक्य**—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने गत मई के अन्त अथवा जून के आरम्भ में फारसी लिपि में नई हस्तलिखित पुस्तक श्री मुख्तारुद्दीन "आसी" से इस आश्वासन पर प्राप्त की है कि उसे प्रकाशित कराया जावेगा ? यदि हाँ, तो इस विषय में मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अजीज इमाम—मई के अन्त में प्राप्त हुई पुस्तक पर आश्वासन कोई नहीं दिया गया । पांडुलिपि जाँचने पर प्रकाशन के योग्य नहीं समझी गई ।

श्री दयाराम शाक्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह पांडुलिपि इस समय कहाँ है ?

श्री अजीज इमाम—वह पाँडुलिपि आसी साहब को लौटाने की व्यवस्था की गई मगर वह अभी तक मिले नहीं हैं, इसलिये अभी तक वापस नहीं की जा सकी ।

श्री दयाराम शाक्य—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर (श्री नेकराम तथा श्री ऊबल से) अगर बात करना हो तो लाबी मौजूद है। जिसको बात करना हो वह लाबी में जाकर करे।

श्री दयाराम शाक्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त पांडुलिपि किस व्यक्ति के द्वारा दिये जाने के आदेश हुये हैं ?

श्री अजीज इमाम—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री दयाराम शाक्य—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस पांडुलिपि के आधे से ज्यादा पन्ने गायब हो गये हैं और उसी हालत में यहाँ से वापस भेजी गई है ?

श्री अजीज इमाम—ऐसी कोई सूचना नहीं है।

*६२—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

*६३–६५—श्री चन्द्रबली सिंह —[५ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

नार्मल स्कूल, मैनपुरी में छात्र की भर्ती पर रोक

*६६—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नारमल स्कूल, मैनपुरी में H. T. C. के प्रवेश के लिये D. D. R., आगरा से चुना गया छात्र कोई ऐसा भी है जो medically fit होते हुये भी वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा भरती नहीं किया गया है ?

श्री अजीज इमाम—जी हाँ।

*६७—श्री बृजेश्वरसहाय—क्या सरकार बतायेगी कि उपरोक्त बालक की डाक्टर द्वारा डाक्टरी कराने के बाद पुनः सिविल सर्जन, मैनपुरी से डाक्टरी कराई गई और उसके बाद भी उसे दाखिल नहीं किया गया और D. D. R., आगरा से उसे दाखिल न करने का आदेश मंगाया गया, क्या यह सच है ?

श्री अजीज इमाम—मामले की जाँच की जा रही है।

श्री बृजेश्वरसहाय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उस बालक का फिटनेस का सरटिफिकेट आने के बाद उससे सिविल सर्जन का सरटिफिकेट मांगा गया और वह उसने दाखिल कर दिया फिर भी उसका दाखिला नहीं किया गया, इसका क्या कारण है?

श्री अजीज इमाम—मैं पहले ही इसका जवाब दे चुका हूं कि इसकी जांच की जा रही है।

श्री बृजेश्वरसहाय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि और लड़कों से भी सिविल सर्जन का सरटिफिकेट मांगा गया है ? क्या उस बालक को दाखिल कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—अभी जांच हो रही है।

श्री बृजेश्वरसहाय—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस को ४ महीने बीत चुके हैं उसका दाखिला आज तक नहीं हुआ है उसको दाखिल कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अजीज इमाम—इसको अगर जांच के बाद उचित पाया जायगा तो दाखिला हो जायगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब से शुरू हुई और कब तक खत्म होने की सम्भावना है ?

श्री अजीज इमाम—इस प्रश्न के बाद गवर्नमेंट के सामने यह बात आई तो उसी वक्त से इसकी जांच शुरू कर दी गई है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—क्या शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि एच० टी० सी० में प्रवेश पाने के लिये हर अभ्यर्थी को कानूनी तौर पर मेडिकल सरटिफिकेट देना जरूरी है ?

श्री अजीज इमाम—इसमें अगर किसी कैंडीडेट को प्रिंसिपल अनफिट पाता है या उसका कोई अंग भंग होता है तो उसके लिये मेंडिकल सरटिफिकेट देने की जरूरत पड़ती है ।

श्री बृजेश्वरसहाय—हेड मास्टर किसी लड़के का अंग भंग पाते हैं तब उसका सरटिफिकेट मांगते हैं लेकिन सिविल सर्जन के सरटिफिकेट के बाद अगर वह फिटनेस का सरटिफिकेट दे देता है तो फिर भी उसको दाखिल नहीं किया जाता है । इसके बाद अगर वह प्रिंसिपल उसको दाखिल नहीं करता हैं तो उसके खिलाफ कोई कदम सरकार उठायेगी ?

श्री अजीज इमाम—अगर प्रिंसिपिल की गलती पाई जायगी तो कदम उठाया जायगा ।

जरवल कटी पर पुल निर्माण

*६८—श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जरवल कटी जनपद बहराइच में गतवर्षों में कितनी बार पुल का निर्माण कराया गया तथा उस पर कब कितना व्यय हुआ ?

श्री गनेशीलाल—पहिला काजवे (causeway) सन् १९५४ में ३३,००० रुपये की लागत से बना किन्तु उसके तुरन्त ही बाद पास में स्थित कराई नाला बन्द हो जाने के कारण जरवल कटी नाले में पानी बढ़ गया । बढ़े हुए पानी के निकास के लिये १९५७ में एक दर का पुल १,६४,४४३ रुपये पर और उसकी एप्रोच रोड ७५,००० रुपये की लागत पर बनाये गये । यह भी कुल पानी के निकास के लिये अपर्याप्त साबित हुआ और अब वहां पर एक और दो दर का पुल २,६५,००० रुपये की लागत पर निर्माण हो रहा है ।

*६९—श्री रामअधार कनौजिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जरवल कटी पर इस समय जो पुल का निर्माण हो रहा है कितने रुपयों की योजना है तथा कितना काम हुआ है, कितना धन व्यय हो चुका है ?

श्री गनेशीलाल—इस पुल की अनुमानित लागत २,६५,००० रुपया है । इस समय कुओं की गलाई का काम हो रहा है । अगस्त, ६२ तक ५२,३३० रुपया व्यय हो चुका है ।

*७०—श्री रामअधार कनौजिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जरवल कटी पर पुल का कार्य पूरा न होने से जनता जब नावों से उतरती है तो दो आना प्रति व्यक्ति की उतराई ली जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं ।

श्री रामअधार कनौजिया—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५४ में जो यह काजवे बनाया गया उसके बजाय पुल क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री गनेशीलाल—उस समय काजवें पर्याप्त समझा गया और इसलिये उसका ही इस्टीमेट किया गया और बनाया गया ।

श्री रामअधार कनौजिया—उसके बाद १९५७ में १ लाख ६४ हजार की एक योजना बनायी गयी थी तो क्या उसका सर्वे नहीं किया गया था ?

श्री गनेशीलाल—श्रीमन्, यह स्थान ऐसा है कि जहां के लिये कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। बराबर में नदी है, उसके बाद कुछ नाले हैं। वह नाले बंद भी हो जाते हैं और नये नाले भी निकल आते हैं। समय समय पर परिस्थिति बदलती रहती है और इसलिये उसके अनुसार ही काम होता रहता है।

श्री रामअधार कनौजिया—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जहां तक पुल का संबंध है, इससे पहले १९५१ मे यहां पर न तो कोई कटी थी और न कोई नाला था, सिर्फ जरवल के करीब कुछ नाले बह रहे थे। वहां काम चल रहा था, लेकिन उसका सही सर्वे न कराने के कारण यह तमाम रुपया वहां व्यय हो रहा है। तो किस अधिकारी द्वारा उसका सर्वे कराया गया था और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री गिरधारीलाल—प्रश्नकर्त्ता महोदय का प्वाइंट करीब करीब ठीक ही है। उपरोक्त परिस्थिति ऐसी थी कि आस पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिसकी वजह से बड़ा पुल बनाने की जरूरत पड़ती, इस वजह से काजवे से काम चलाया गया। लेकिन थोड़े दिनों में दूसरे साइड का एक नाला सिल्ट हो गया और उसकी वजह से उसका पानी बाहर आने लगा और उससे काफी नुकसान हुआ। ट्रैफिक के आने जाने में दिक्कत हुई और उस वजह से उसको बदलना पड़ा। जैसा कि अभी पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने बतलाया कि वहां की हालत ऐसी है कि जो बदलती रहती है और जिसकी वजह से यह करना पड़ा, सही है।

ए० सी० ओ० क्षेत्र, उरदौली में लेखपालों का छुट्टी लेना

*७१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री फतेहपुर जिले के ए० सी० ओ० क्षेत्र उरदौली तहसील बिन्दकी के उन रेगुलर तथा चकबन्दी लेखपालों के नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिन्होंने सन् १९६१-६२ व१९६२-६३में अब तक मेडिकल लीव पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, बिंदकी से छुट्टी ली और जिनका अवकाश अवशेष था, उनका वेतन मेडिकल लीव का ए० सी० ओ० की रिपोर्ट पर, बिना अवसर दिये जवाब का लेखपालों का वेतन काट लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ए० सी० ओ० क्षेत्र उरदौली में सन् १९६१-६२ व ६२-६३ में केवल श्री रामरतन रेगुलर लेखपाल व सर्व श्री महमूद हसन व जमालुद्दीन चकबन्दी लेखपालों को ही बिना वेतन का अवकाश स्वीकृत किया गया था। वे बिना पूर्व आज्ञा के अपने हल्कों से चले गये और उन्होंने अपना कार्य भार भी सम्बन्धित अधिकारी को नहीं सौपा था था तथा उनके द्वारा प्रेषित प्रमाण-पत्र अधिकृत चिकित्सक के नहीं थे। नियमानुकूल इन लेखपालों को किसी प्रकार का अवकाश नहीं मिल सकता था फिर भी रियायत करके उन्हें बिना वेतन का अवकाश प्रदान किया गया।

*७२—श्री रामकिशोर वमा (अनुपस्थित)—क्या राजस्व मंत्री संबंधित लेखपालों का मेडिकल लीव के अवसर के आधार पर लिये गये अवकाश का अवशेष वेतन दिलाने का विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह प्रश्न नहीं उठता।

बलरामपुर क्षेत्र में राप्ती पुल के निकट मन्दिर की सुरक्षा के लिये प्रार्थना

*७३—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राप्ती नदी पर बलरामपुर गोंडा में पुल बन जाने से एक तरफ दक्षिण में कटाव बड़े जोरों से होना प्रारम्भ हो गया है जिससे १०० गज की दूरी पर शताब्दियों से बिना मंदिर कटाव के करीब आ गया है ?

श्री गनेशी लाल—यह सत्य है कि पुल के दक्षिणी किनारे पर कुछ कटाव हो रहा है, यह कटाव पिछले वर्ष भी हुआ था और यह प्राकृतिक घटनाओं के कारण है।

*७४—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या सरकार को ज्ञात है कि यह मंदिर पुराना एवं पवित्र होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल मेला लगता है और गिर जाने से बड़ा ही धर्म का ह्रास होगा ?

श्री गनेशीलाल—मन्दिर पुराना है, इस मन्दिर की नीव दो वर्षों से लगातार नदी के कटाव के अन्दर आ रही है और मन्दिर में दरार भी आ गई है।

*७५—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या सरकार उक्त मंदिर के कटाव के स्थान पर पक्की ठोकर बना कर सुरक्षित करने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं।

श्री सुखदेवप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले साल अब जितना कटाव इस बार हुआ है, वह नहीं हुआ था और यह मानकर कि पुल बन जाने से ही यह कटाव अधिक हुआ है, उस मंदिर की कोई व्यवस्था करने की बात सरकार सोच रही है ?

श्री गनेशीलाल—जी नहीं।

श्री सुखदेवप्रसाद—पहले कुछ दूर कटाव था, लेकिन उसके बाद करीब ५० गज रह गया है। इसलिये यदि उस कटाव को रोकने के लिये ठोकर बना दी जाय तो उसकी सुरक्षा हो सकती है और इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आयेगा। तो मंत्री जी को क्या कष्ट है कि वह नहीं बनाया जा सकता ?

श्री गिरधारीलाल—जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से वह मंदिर ऐसी जगह पर बना है, जहां नदी का बहाव हमेशा उसको काटता है। मैं उसको फिर देख लूंगा कि उस पुल के बनने से ऐसा हुआ है, क्या खर्चा उसमें पड़ता है, यदि थोड़ा सा पड़ता है और यदि हो सकेगा तो करवा दूंगा।

*७६-७७—श्री अवधनारायण प्रतापसिंह (जिला गोंडा)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*७८—श्री मतोलासिंह (अनुपस्थित)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी जिले में आबकारी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी

*७९—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार का ध्यान झांसी से प्रकाशित होने वाले दैनिक "भास्कर" के २९ व ३० जून, १९६२ ई० के उन अंकों की ओर आकर्षित हुआ है जिनमें कि अनियमित रूप से झांसी शहर में भंग की माजून, पिसी हुई भंग की गोलियां व ठंडाई तथा खुली हुई शराब की निर्धारित समय के बाद बिक्री और एक इक्साइज इंस्पेक्टर के रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किये जाने के बावजूद भी उनके मुअत्तल न किये जाने के समाचार प्रकाशित हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त मामलों में उसने क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर सीताराम—यह सत्य है कि झांसी जिले में एक कैडेट आबकारी इंस्पेक्टर रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया और उसके निलम्बित करने का प्रश्न आबकारी आयुक्त के विचाराधीन है। शेष शिकायतें जांच के पश्चात् निराधार अथवा अतिशयोक्ति-पूर्ण पाई गई।

जूनियर हाई स्कूलों की पाठ्य पुस्तकें

*८०—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष जूनियर हाई स्कूल की कक्षाओं की पुस्तकें स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों को कब उपलब्ध हुईं और उनके इतने विलम्ब में उपलब्ध होने के क्या कारण हैं?

आचार्य जुगलकिशोर—भूगोल और इतिहास को छोड़कर शेष समस्त विषयों की पुस्तकें स्कूल खुलने पर विद्यार्थियों को समय से उपलब्ध हो गई थीं। भूगोल की केवल एक पुस्तक माला को छोड़कर जो कि अगस्त के पूर्वार्द्ध में उपलब्ध हुई, भूगोल व इतिहास की अन्य सभी पुस्तकें जुलाई, १९६२ के अन्दर ही उपलब्ध हो गई थीं।

विलम्ब का कारण यह था कि इन पुस्तकों में जो नक्शे आवश्यक थे वे सही रूप से तैयार करने थे जिसमें समय लगता है।

गन्ना विकास इण्टर कालेज, मुडरेवां के प्रिन्सिपल के विरुद्ध शिकायत

*८१—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—क्या यह सही है कि बस्ती जिले में गन्ना विकास इंटर कालेज मुडरेवां के प्रिंसिपल महोदय हर असफल विद्यार्थी से पुनः उसी कक्षा में दाखिल करते समय इस वर्ष नाजायज तरीके से ६० रुपये वसूल कर रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा विभाग जैसे पवित्र विभाग से ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी?

श्री अजीज इमाम—जी नहीं।

दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*८२—श्री श्यामलाल—क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उक्त प्रिंसिपल ने कितने हजार रुपये इस प्रकार वसूल कर लिये हैं?

श्री अजीज इमाम—प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त प्रिंसपल प्रति व्यक्ति ६० रुपया नाजायज तरीके से वसूल कर रहे हैं, हर असफल विद्यार्थी से, क्या यह सही है?

श्री अजीज इमाम—श्रीमन्, नाजायज तरीके से रुपया वसूल करने की बात की कोई सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री श्यामलाल—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस अधिकारी द्वारा यह जांच कराई गई है और कैसे वे इस परिणाम पर पहुंचे हैं?

श्री अजीज इमाम—उसकी कोई कम्पलेंट गवर्नमेंट में नहीं आई है। न जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं, उन्हीं के पास इसकी कोई कमप्लेंट आई है कि प्रिंसपल ऐसी रिश्वत ले रहे हैं। इसलिये उसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—क्या माननीय मंत्री महोदय, श्री श्याम लाल जी के प्रश्न को सूचना मानकर फिर से जांच कराने की कृपा करेंगे कि वहां पर कोई इस प्रकार की असफल विद्यार्थियों से ६० रुपये की रिश्वत ली जाती है?

श्री अजीज इमाम—अगर माननीय श्यामलाल जी या माननीय नरसिंह नारायण जी कोई कमप्लेंट करेंगे तो उसकी जांच कराई जायगी।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक चीज जानना चाहता हूं। सदन में जब कोई बात कही जाती है तो यहां एक परिपाटी सी चली जाती है, कहते हैं उधर से कि लिख कर दें। सदन में जब कोई बात कही जाती है तो वह लिखी तो जाती ही है। सदन से जो माननीय सदस्य बात कहते हैं तो वह अत्यन्त जिम्मेदारी के साथ और गम्भीरतापूर्वक ही कहते हैं। इसलिये यह क्या उचित माना जायगा इस सदन में कि कहा जाय कि लिख कर दें। इसके माने यह हैं कि सदन में कही हुई बात का कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है। इसलिये आप उस पर कोई व्यवस्था अपनी दें।

श्री अध्यक्ष—मैं इस पर बाद में बात करूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—अभी कहा गया कि इस बारे में जांच कराई जायगी। परन्तु माननीय सदस्य का सवाल ही इस संबंध में था कि ६० रुपये नाजायज तरीके से वसूल कर रहे हैं। तो किसी उचित अधिकारी से माननीय मंत्री जी ने क्यों नहीं जांच कराई, जब कि यह पूछा गया था कि रिश्वत ली जा रही है?

श्री अध्यक्ष—उनका तो प्रश्न यह है कि "क्या यह सही है कि बस्ती जिले में गन्ना विकास इंटर कालेज, मुडरेवां के प्रिंसिपल महोदय हर असफल विद्यार्थी से पुनः उसी कक्षा में दाखिल करते समय इस वर्ष नाजायज तरीके से ६० रुपये वसूल कर रहे हैं? यदि हां, तो कृपया सरकार शिक्षा विभाग जैसे पवित्र विभाग से ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी?" अब वह यह पूछते हैं तो फिर से जांच कराई जायगी, जब वह लिख कर देंगे?

श्री श्यामलाल—श्रीमन्, वह यह बता दें कि जांच कैसे कराई?

श्री अजीज इमाम—जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह कैसे मालूम हुआ कि ६० रुपये नाजायज वसूल नहीं हो रहे हैं।

श्री अजीज इमाम—श्रीमन्, यह डिस्ट्रिक्ट इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स की रिपोर्ट में है।

अस्थायी ओवरसियर्स

*८३—श्री रणबहादुरसिंह—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में निर्माण विभाग में दस वर्ष से अधिक काम करने वाले कितने ऐसे ओवरसियर हैं जो अभी तक स्थायी नहीं किये गये? क्या सरकार अपने नियमानुसार उन्हें स्थायी करने का विचार करेगी?

श्री गिरधारीलाल—१८ ऐसे ओवरसियर अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं। इनका स्थायी करण मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, के विचाराधीन है।

*८४—श्री रणबहादुरसिंह—क्या यह सच है कि एक साल काम करने के बाद उक्त ओवरसियरों में से कुछ लोगों को स्थायी कर दिया गया है और क्या यह भी सच है कि जिनकी सालाना तरक्की रोक ली गई थी तथा दक्षता रोक भी पार नहीं कर पाये थे वे स्थायी कर दिये गये?

श्री गिरधारीलाल—केवल ऐसे ४ ओवरसियरों ने अपने स्थायीकरण के लिये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास आवेदन-पत्र भेजे हैं और वे विचाराधीन हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न ८२ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*८५—श्री रणबहादुरसिंह—दस वर्ष से अधिक काम कर रहे कितने ओवरसियरों ने सरकार के पास अपना आवेदन-पत्र स्थायी होने के लिये दिया है ?

श्री गिरधारीलाल—ऐसा कोई ओवरसियर नहीं है जो केवल एक साल की सेवा के बाद स्थायी किया गया है। लोक सेवा आयोग ओवरसियरों की योग्यता तथा कार्यदक्षता के अनुसार उनके स्थाईकरण के लिये सिफारिश करता है और विभाग इस सिफारिश के अनुसार उनका स्थाईकरण करता है। सालाना तरक्की तथा दक्षता रोक विभागीय वस्तु है, लोक सेवा आयोग विभाग से इस विषय पर कोई राय नहीं मांगता। संभव है कि लोक सेवा आयोग ने ऐसे ओवरसियरों को भी स्थायी करने की सिफारिश की हो जिनकी दक्षता रोक या सालाना तरक्की बन्द हो। ऐसे ओवरसियरों की कोई अलग लिस्ट (list) नहीं रखी जाती।

*८६-८७—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—[हटा दिये गये।]

गोंडा जिले में सरजू नदी पर पुल बनाने का ठेका

*८८—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में सरजू नदी पर जो पुल बनाया जा रहा है उसका कितने धन का ठेका है और पुल कब तक बन जायेगा ?

श्री गिरधारीलाल—इस पुल के लिये १२,८३,१०१.३२ रुपये के ठेके दिये गये हैं तथा यह सितम्बर, १९६३ तक पूर्ण होने की आशा है।

*८९—श्री बाबूसिंह—[हटा दिया गया।]

पकड़ी ग्राम के वर्षा पीड़ितों की सहायता

*९०—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि बलिया जिला अन्तर्गत ग्राम पकड़ी, तहसील बांसडीह में दिनांक २६ जुलाई, १९६२ तथा २ अगस्त, १९६२ की अतिवृष्टि से वहां की सारी फसलें नष्ट हो गई हैं और वहां के किसानों के लिये अन्न तथा मवेशियों के लिये चारे का संकट उत्पन्न हो गया है। यदि हां, तो इस संकट से बचाने के लिये सरकार कौन-सी व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। यह सही है कि कथित अतिवृष्टि से ग्राम पकड़ी में फसलों को क्षति पहुंची है। इस ग्राम में अभी तक अन्न तथा चारे का कोई संकट नहीं है। पीड़ितों के सहायतार्थ मालगुजारी तथा तकावी की वसूली रोक दी गई है, तकावी बांटने का प्रबन्ध हो रहा है और खरीफ १३७० फसली के सहायता के प्रस्ताव तैयार होने पर मालगुजारी में नियमानुकूल छूट भी दी जावेगी।

*९१-९३—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

रायबरेली-फैजाबाद सड़क

*९४—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली से उन्नौना होकर फैजाबाद जाने वाली सड़क जो रायबरेली से केवल दो ही मील पक्की है और शेष कच्ची है तथा जो बरसात में पैदल भी चलने योग्य नहीं रह जाती है उसको सरकार पक्का करवाने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—जी नहीं।

मेरठ जिले में स्कूल इमारतों के लिए सामग्री

*९५—श्री जगदीशशरण रस्तोगी (जिला मेरठ)—क्या सरकार बतायेगी कि पिछले आठ वर्षों में जिला मेरठ में किन-किन हायर सेकेंड्री स्कूलों की इमारत बनवाने के लिये लोहा, कोयला तथा सीमेंट दिया गया है ?

*९६—क्या इन सब स्कूलों ने अपने-अपने कोटे का सही-सही इस्तेमाल किया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—पिछले आठ वर्षों की सूचना एकत्रित करने में जो समय लगेगा और व्यय होगा वह उसके लाभ के समतुल्य न होगा।

*९७—श्री जगदीशशरण रस्तोगी—क्या इस प्रकार का कोटा महात्मा गांधी हायर सेकेंड्री स्कूल अरनाबली, तहसील मेरठ को भी दिया गया था?

आचार्य जुगलकिशोर—जी, हाँ।

हाई स्कूल ऐण्ड इण्टरमीडिएट परीक्षाओं के परीक्षक

*९८—श्री रघुनाथसिंह—क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि बोर्ड आफ स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के प्रधान एवं उप-प्रधान परीक्षक तो प्रायः विश्वविद्यालयों के प्राध्यापक होते ही हैं, सहायक परीक्षक और सारणीयक भी उन्हें बनाया जाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां, यदि वे परिषद् द्वारा निर्धारित योग्यतायें पूरी करते हों। किन्तु यह धारणा ठीक नहीं है कि उल्लिखित कार्य प्रायः विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों को ही मिलता है।

*९९—श्री रघुनाथसिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि १९६२ की दोनों परीक्षाओं में बोर्ड से संबंधित शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के प्रधान, उप प्रधान सहायक परीक्षक तथा सारणीयक बनाये जाने का प्रतिशत क्या था ?

आचार्य जुगलकिशोर—वांछित सूचना निम्नवत् है:—

बोर्ड से संबंधित शिक्षा संस्थाओं के:—

प्रधान परीक्षक	..	६५.३ प्रतिशत
उप-प्रधान परीक्षक	..	९१.६ ,,
सहायक परीक्षक	..	९६.८ ,,
टेबुलेटर (सारणीयक)	..	९६.५ ,,

*१००—श्री रघुनाथसिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उत्तर प्रदेश के कुछ विश्वविद्यालयों में ३ साल का डिग्री कोर्स चालू हो गया तो राज्य के एजूकेशन बोर्ड शिक्षण क्रम में तीन साल का डिग्री कोर्स अभी क्यों नहीं लागू हो रहा है ? क्या इस से राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बाधा नहीं पड़ रही है? यदि हां, तो किस प्रकार नहीं पड़ रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—अभी तक केवल केन्द्रीय सरकार के दो विश्वविद्यालयों अलीगढ़ तथा बनारस में ही त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स लागू किया है। प्रदेशीय सरकार ने इस कोर्स को लागू करने के पूर्व इससे संबंधित समस्त प्रश्नों पर विचार करने के लिये एक समिति की नियुक्ति की है। उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है। राज्य की शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के निर्णय से अभी कोई बाधा नहीं पड़ रही है क्योंकि राज्य सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों में अभी द्विवर्षीय कोर्स लागू है।

खीरी जिले में जूनियर हाई स्कूलों के हेड-मास्टर

*१०१—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, सन् १९५७ में खीरी जिले के तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जो जूनियर हाई स्कूलों के हेड-मास्टर्स का चयन कराया गया था उसका आधार या सिद्धांत क्या था, योग्यता या अनुभव अथवा दोनों ?

आचार्य जुगलकिशोर—जिला विद्यालय निरीक्षक ने चुनाव नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उपयुक्तता (fitness) के प्रमाण-पत्र वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर दिये थे ।

*१०२—श्री छेदालाल चौधरी—क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त कथित चयन पद्धति से असन्तुष्ट और क्षुब्ध होकर के अधिकांश अध्यापकों ने राज्य के उच्च शिक्षा अधिकारियों की सेवा में अपनी अपीलें की थीं ? यदि हाँ, तो उसमें आज तक क्या कार्यवाही हुई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ । कुछ अध्यापकों का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ था । जांच के पश्चात उसमें कोई तथ्य नहीं पाया गया और वह निक्षेप कर दिया गया है ।

स्टेट एवेल्युएशन यूनिट

*१०३—श्री रामायण राय—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने परीक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन हेतु कोई समिति बनाने का सुझाव या आदेश इस सरकार को भेजा है ? यदि हाँ, तो उक्त समिति का निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हाँ, केन्द्रीय सरकार ने परीक्षा पद्धित में सुधार हेतु एक State Evaluation Unit के निर्माण हेतु कुछ सुझाव भेजे हैं जो शासन के विचाराधीन है ।

हाई स्कूल से कम शिक्षा वाले अध्यापक

*१०४—श्री कोतवाल सिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उनके यहाँ से इस प्रकार का कोई आदेश निकला है कि हाई स्कूल से कम शिक्षा वाले अध्यापक न रक्खे जायें और न उन्हें नार्मल आदि में भेजा जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं ।

टिड्डी आक्रमण

*१०५—श्री शारदानन्द—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ३१ जुलाई से ५ अगस्त के अन्दर किन-किन स्थानों पर टिड्डियों ने हमला किया तथा उससे कितनी क्षति हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त अवधि में टिड्डियों ने ३० जिलों में, जिनके नाम संलग्न सूची में दिये हैं, आक्रमण किया । अनुमानतः १४,७६० रुपये की क्षति हुई ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ट ११०५ पर)

मुस्लिम शिष्टमन्डल की मांगें

*१०६—श्री मन्नालाल तथा श्री हिम्मतसिंह—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६२ में उनसे मुसलमानों का कोई शिष्ट मंडल मिला था ? यदि हाँ, तो उस शिष्ट मंडल की माँगें क्या थीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—२१ जुलाई, १९६२ को दो शिष्ट मन्डल शिक्षा मंत्री जी से मिले थे, एक शिष्ट मंडल दीनी तालीमी कौंसिल का था और एक शिष्ट-मन्डल जम्इय्यतुल उलमा का था। पहले शिष्टमंडल की मांगें उनके दो प्रस्तावों में दी गई हैं जिसकी एक प्रति †संलग्न है। दूसरे शिष्ट मंडल की केवल एक माँग थी कि "बेसिक स्कूलों का अनुबन्धित पाठ्यक्रम और निर्देशिका" जो १९५७ में प्रकाशित हुई थी वापस ले ली जाय क्योंकि इसके कुछ भागों पर मुसलमानों को आपत्ति थी।

*१०७—**श्री मन्नालाल तथा श्री हिम्मतसिंह**—क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उक्त शिष्ट-मंडल को उनके द्वारा क्या आश्वासन दिये गये थे ?

आचार्य जुगलकिशोर—दीनी-तालीमी कौंसिल के शिष्ट मंडल को यह बताया गया था कि जिन बातों की उन्होंने माँग की थी उनकी ओर ध्यान दिया जायगा। जम्इय्यतुल उलमा के शिष्ट मंडल को यह सूचित कर दिया गया था कि वह निर्देशिका जिसके बारे में उन्हें आपति थी, कुछ रोज पहले ही विभाग द्वारा वापस ले ली गई थी।

फतेहपुर का कथित चकबन्दी कार्यालय

*१०८—**श्री रघुवीरसहाय कैथवार** (जिला फतेहपुर)—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फतेहपुर की तहसील फतेहपुर में चकबन्दी कार्यालय कायम रक्खा गया है ? यदि हाँ, तो वह कब तक कायम रक्खा जायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तारीख ११-९-६१ से जिला फतेहपुर की तहसील फतेहपुर में कोई भी चकबन्दी कार्यालय नहीं कायम रक्खा गया है।

*१०९—**श्री रघुवीरसहाय कैथवार**—क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चकबन्दी कार्यालय कलारन कोठी का माहवार किराया क्या है और वह किराया किस मद से अदा किया जाता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कलारन कोठी शहर फतेहपुर में कोई भी चकबन्दी कार्यालय नही है, इसलिये किराये की दर तथा मद का प्रश्न ही नहीं उठता।

*११०—**श्री रघुवीरसहाय कैथवार**—क्या यह सही है कि तहसील फतेहपुर में हो चुकी चकबन्दी का अधूरा पड़ा काम पूरा कराने हेतु उक्त कार्यालय कायम रक्खा गया है और बिन्दकी तहसील के अलावा उक्त अधूरे कार्य को पूरा करने व उक्त कार्यालय का किराया अदा करने का भार श्री जितई रामसहायक चकबन्दी अधिकारी पर छोड़ा गया है जो अपने पास से अदा करते हैं ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सही नहीं है। श्री जितई राम, सहायक चकबन्दी अधिकारी की नियुक्ति तहसील फतेहपुर की चकबन्दी क्रिया के अवशेष कार्यों की पूर्ति के लिये समय विशेष के लिये की गई है उनका अस्थाई कार्यालय बिन्दकी में चकबन्दी अधिकारी बिन्दकी के कार्यालय में है अतः किराये का भार श्री जितई राम, सहायक चकबन्दी अधिकारी पर पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*१११-११२—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया**—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*११३-११४—**श्री राजेन्द्रसिंह यादव**—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

---

†छापी नहीं गई।

*११५-११७—श्री शराफतहुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

राजेपुर ब्लाक में वृक्षारोपण

*११८—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में राजेपुर ब्लाक के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों में ग्राम समाज की कितनी-कितनी भूमि पर बन (बाग) सन् १९६० से अब तक लगाया गया, उसमें कितना रुपया खर्च हुआ और अब उसमें पेड़ों की संख्या क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—राजेपुर ब्लाक के अन्तर्गत केवल ग्राम महमूदपुर गढ़िया में सन् १९६० से अब तक ग्राम समाज की कुल २० एकड़ भूमि पर बबूल के वृक्ष लगाये गये। इसमें केवल ४०० रुपया खर्च हुआ तथा इस समय पेड़ों की संख्या २,५०० है।

*११९-१२०—श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—[हटा दिये गये।]

गोंडा जिले में अध्यापकों का प्रशिक्षण

*१२१—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री नौरंगसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला से इस वर्ष एच० टी० सी० (नार्मल ट्रेनिंग) के लिये कितने हाई स्कूल पास विद्यार्थियों ने आवेदन-पत्र दिया और कितने आठवें दर्जा पास और कितने हाई स्कूल पास विद्यार्थी चुने गये?

आचार्य जुगलकिशोर—गोंडा जिले में इस वर्ष एच० टी० सी० के लिये कुल ८६१ हाई स्कूल एवं ६७२ जूनियर हाई स्कूल पास अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र दिये। इनमें से ९६ हाई स्कूल पास अभ्यर्थी चुने गये।

*१२२—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह तथा श्री नौरंगसिंह—जो एल० टी० (L. T.), जे० टी० सी० (J. T. C.) और एच० टी० सी० (H. T. C.) (नार्मल) ट्रेनिंग के लिये शिक्षार्थी सरकार की ओर से नामजद किये उनके बारे में क्या सरकार बतलायेगी कि कितनी-कितनी संख्या में और कितने इन्टरमीडिएट, कितने हाई स्कूल और कितने मिडिल पास विद्यार्थी नामजद किये?

आचार्य जुगलकिशोर—दिनांक १९ सितम्बर, ६२ तक की वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ११०६ पर)

*१२३-१२४—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बदनगढ़ ग्राम में चकबन्दी

*१२५—श्री लखीसिंह—क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा के क्षेत्र छाता ग्राम बदनगढ़ में चक खराब होने की वजह से एक किसान ने आत्म-हत्या कर ली है? यदि हां तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं। चक खराब होने के कारण किसी काश्तकार ने आत्म-हत्या नहीं की।

*१२५-१२८—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को पढ़ाई में सहूलियत

*१२९—श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार के पास इस किस्म की शिकायत पहुंची है कि जी० ओ० नं० ए-३०६/१५—३००४(५९)-५८, दिनांक १० मार्च, १९६१ के अनुसार स्कूलों में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को जो सहूलियतें मिलनी चाहिये वह पूरी तरह से नहीं दी जा रही हैं ? अगर हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

चकबन्दी कर्मचारी

*१३०—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चकबन्दी विभाग में कितने चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी-कर्त्ता इस समय कार्य कर रहे हैं ? उनमें कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रदेश के चकबन्दी विभाग में इस इस समय कुल १७३ चकबन्दी अधिकारी, ८५९ सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा १६०६ चकबन्दी कर्ता कार्य कर रहे हैं। इनमें से क्रमशः ४०, २६ तथा ३०६ कर्मचारीगण स्थायी हैं और शेष अस्थायी हैं।

*३१३—श्री लखपतराम शर्मा—[हटा दिया गया।]

सहायक अभियन्ता, बलरामपुर को निर्माण-कार्यों के लिये धन

*१३२—श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा) तथा श्री सुखदेवप्रसाद—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पी० डब्ल्यू० डी० के असिस्टेंट इन्जीनियर, बलरामपुर, जिला गोंडा को १९६१-६२ के लिये कितना रुपया निर्माण-कार्यों के हेतु दिया गया था, उसमें से कितना व्यय हुआ, कितना शेष रहा और क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—आर्थिक वर्ष १९६१-६२ में सहायक अभियन्ता, बलरामपुर का फाइनल एलाटमेंट ८,५७,९१७ रु० था जिनमें से ८,५७,८९० रु०, निर्माण-कार्य में व्यय हुआ। २७ रु० शेष रहा जो कि नाममात्र ही है। स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

*१३३—श्री बलदेवसिंह तथा श्री सुखदेवप्रसाद—क्या यह सत्य है कि बलरामपुर के असिस्टेंट इक्जीक्यूटिव इंजीनियर का हेड आफिस बस्ती है जिससे ठेकेदारों तथा कर्मचारियों के आने-जाने में अधिक व्यय होता है तो क्या अपव्यय को रोकने के लिये उसे गोंडा (हेड आफिस) बनाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां। बलरामपुर सेक्शन का सारा काम, सिवाय नवाबगंज-मनकापुर-उतरवा सड़क के, जो कि अब तक बस्ती डिवीजन में था, गोंडा डिवीजन को दिया जा रहा है। यह आदेश १-१०-६२ से लागू होगा।

ढेला नदी तथा काशीपुर ठाकुरद्वारा के बीच पुलों में दरार

*१३४—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि ढेला नदी पर काशीपुर के पास (जिला नैनीताल) तथा काशीपुर और ठाकुर द्वारा के बीच (जिला मुरादाबाद) में पुलों का निर्माण कब हुआ ? क्या इनमें (cracks) आ गये हैं ? यदि हां, तो सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—यह दोनों पुल जुलाई, १९५७ में बनकर तैयार हुये थे और इनमें कुछ दरारें आ गई हैं। इसमें किसी कर्मचारी का दोष नहीं था इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*१३५—श्री बसन्तसिंह—[हटा दिया गया ।]

*१३६–१३८—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—[१४वें गुरुवार के लिए प्रश्न १५४–१५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*१३९—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)—[१३वें गुरुवार के लिए प्रश्न १४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१४०–१४१—श्री हरिगैनराम—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिए प्रश्न ६७–६८ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

रतसर इंटर कालेज तथा के० जी० इंटर कालेज, रसड़ा के आवेदन-पत्र

*१४२—श्री मान्धातासिंह (जिला बलिया)—क्या यह सत्य है कि रतसर इन्टर कालेज, रतसर (बलिया) तथा के० जी० इंटर कालेज, रसड़ा (बलिया) के प्रबंधक महोदय ने गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के सचिव के पास उस क्षेत्र के गरीब एवं होनहार विद्यार्थियों के लाभार्थ इस आशय का आवेदन-पत्र भेजा था कि उपरोक्त कालेजों को १९६४ की इंटर परीक्षा के लिये वैज्ञानिक वर्ग में मान्यता प्रदान की जाय ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां । किन्तु के० जी० एस० जे० इन्टर कालेज, रसरा (बलिया) का आवेदन-पत्र वैज्ञानिक वर्ग में जीव विज्ञान विषय में अतिरिक्त मान्यता हेतु था ।

*१४३—श्री मान्धातासिंह—क्या यह सत्य है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इहालाबाद की मान्यता समिति ने अपनी ७ जून, १९६२ की बैठक में यह निश्चय किया था कि उपरोक्त दोनों कालेजों को आवेदित मान्यता कुछ प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाय ? यदि हां, तो दोनों कालेजों के लिये अलग-अलग कौन प्रतिबन्ध थे ?

आचार्य जुगलकिशोर—मान्यता समिति मान्यता दिये जाने का निर्णय नहीं लेती केवल परिषद् को संस्तुति करती है ।

मान्यता समिति ने दिनांक ६ व ७ जून, १९६२ की बैठक में दोनों विद्यालयों को जिन प्रतिबन्धों के साथ मान्यता दिये जाने की संस्तुति की थी, वे परिशिष्ट में दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ११०७–११०८ पर ।)

*१४४—श्री मान्धातासिंह—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि रतसर इन्टर कालेज, रतसर, बलिया के इन्टर परीक्षा के लिये वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता क्यों अस्वीकार कर दी गयी ?

आचार्य जुगलकिशोर—१९६२ की हाई स्कूल परीक्षा में इस विद्यालय केन्द्र पर सामूहिक अनुचित साधन प्रयोग किये जाने के कारण ।

*१४५–१४७—श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१४८—श्री जगदीशप्रसाद—[हटा दिया गया ।]

खसरा खतौनी

*१४९—श्री देवदत्त मिश्र—क्या किसान के लिये सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार खसराखतौनी की कच्ची प्रतिलिपि भूमि प्रबंधक समिति के अध्यक्ष के पास रखाने की आवश्यकता पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

*१५०—श्री देवदत्त मिश्र—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

कालपी में यमुना तथा नादी गांव में यहूज नदी पर पुल निर्माण योजना

*१५१—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जमुना नदी में कालपी में रेलवे पुल के ऊपर से या बगल से यात्री पुल बनाने के लिये राज्य सरकार ने भारत सरकार को लिखा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—भारत सरकार ने कालपी में रेलवे पुल के ऊपर सड़क यातायात के लिये पुल बनाने का निश्चय किया है और इस कार्य को राष्ट्रीय मार्गों की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है ।

*१५२—श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जालौन जिले में नादी गांव के निकट यहूज नदी पर ऊंचा पुल बनाने के लिये कोई योजना बनाकर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार को भेजी है ? उसके लिये कितने रुपये का अनुदान मांगा है ?

श्री गिरधारीलाल—जी हां । इस पुल के लिये तीन लाख रुपये का अनुदान मांगा गया है ।

*१५३—श्री जमादारसिंह, श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—[१२वें शुक्रवार के लिये प्रश्न १३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१५४—श्री जमादारसिंह, श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—[१३वें गुरुवार के लिये प्रश्न १४५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

आबकारी विभाग में स्थायी चपरासी

*१५५—श्री रघुवीर—क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग में पियन के पद पर कितने कर्मचारी काम करते हैं ?

डाक्टर सीताराम—आबकारी विभाग में ८८० पियन हैं ।

*१५६—श्री रघुवीर—क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये कर्मचारी २०-२० वर्ष से कार्य कर रहे हैं लेकिन अस्थायी हैं ? यदि हां, तो कितने और स्थायी न करने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी जिले में स्प्रिट का भाव

*१५७—श्री लखपतराम शर्मा—क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में (झांसी) स्प्रिट किस भाव पर फी बोतल बेची जाती है व अन्य ५१ जिलों में स्प्रिट फी बोतल किस भाव पर बेची जाती है ? यदि भावों में अन्तर है तो उसका क्या कारण है ?

डाक्टर सीतारारम—सूचना एकत्र करने में जो श्रम एवं धन इस प्रश्नोत्तर में लगेगा अपेक्षित परिणाम के अनुकूल नहीं होगा ।

*१५८—चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—[१३वें गुरुवार के लिये प्रश्न १५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

मिसरिख तहसील में वर्षा से क्षति

*१५९—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि हाल में मिसरिख तहसील में बाढ़ आयी है और सीतापुर-मिसरिख के दर्मियान सीतापुर-हरदोई रोड पर कई जगह सड़क के दोनों तरफ १।। मील से ज्यादा पानी भरा हुआ है और हरदोई तक ऐसा कई जगह हुआ है जिससे हजारों एकड़ फसल तबाह हो गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हाल ही में मिसरिख तहसील में अधिक वर्षा से निचली भूमि में, जो प्रायः जंगल है, मिसरिख और सीतापुर के बीच पानी जमा हो गया था। सीतापुर-हरदोई रोड पर केवल एक स्थान पर सड़क के दोनों ओर २ या ३ फर्लांग तक पानी भरा हुआ था। जलमग्न क्षेत्र में बोया हुआ क्षेत्र कम था जिसमें उर्द की फसल को कुछ क्षति पहुंची है। जिला हरदोई में उक्त सड़क के आस-पास ७ स्थानों पर थोड़ा पानी भरा था किन्तु इससे फसल को जो हानि पहुंची है वह नगण्य थी।

*१६०—श्री मुहम्मद रफी खां—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि बरमी हाल्ट और मिसरिख रेलवे स्टेशन के बीच सड़क पर जो कि रेलवे लाइन के करीब ही है एक मील से ज्यादा इलाकों में कमर-कमर तक पानी भरा हुआ है क्योंकि रेलवे लाइन का लेबिल काफी ऊंचा है, लाइन पानी को रोक लेती है और लाइन के नीचे से पानी निकलने के लिये सिर्फ एक पुलिया है जो केवल एक दर की है और बाढ़ का पानी निकलने के लिये कतई नाकाफी है और इस वजह से वहां के कई गांवों के काश्तकारों को तबाही का मुंह देखना पड़ा ? क्या सरकार उन लोगों को उनके नुकसान को देखते हुये कोई छूट देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सही है कि बरमी हाल्ट के पास २ या ३ फर्लांग तक कमर-कमर तक पानी भरा हुआ था क्योंकि सड़क से रेलवे लाइन का स्तर काफी ऊंचा है, रेलवे लाइन पानी रोक देती है और पानी निकलने के लिये रेलवे लाइन पर केवल एक दर की एक पुलिया है जो बाढ़ के पानी को निकालने के लिये काफी नहीं है। उक्त स्थान पर बोये गये क्षेत्र के बजाय जंगल अधिक है और बोये गये क्षेत्र में फसल की क्षति का अनुमान अब तक रुपये में ५० नये पैसे से कम आंका गया है जिसमें नियमों के अन्तर्गत मालगुजारी में छूट नहीं दी जा सकती है। किन्तु यदि अन्त में सहायता के प्रस्ताव तैयार किये जाने के समय तक उक्त क्षेत्र में क्षति की मात्रा रुपये में ५० नये पैसे या उससे अधिक पाई गई तो मालगुजारी में नियमानुकूल छूट दी जावेगी।

*१६१—श्री मुहम्मद रफी खां—क्या सरकार रेलवे मिनिस्ट्री को लिख कर उन लोगों के नुकसान का मुआवजा दिलायेगी और वहां पर रेलवे की एक पुलिया और बनाने की दरख्वास्त करेगी क्योंकि कई साल से वहां पानी भरने का सबब सिर्फ उस पुलिया की चौड़ाई कम होना है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्षति की मात्रा कम है। अतः प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को मुआविजा दिलाने के सम्बन्ध में रेलवे मिनिस्ट्री को लिखने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। कथित स्थान पर रेलवे की वर्तमान पुलिया को बड़ा करने तथा वहां तीन और पुलिया बनाने के लिये रेलवे अधिकारियों से अनुरोध कर दिया गया है।

*१६२-१६३—श्री जगन्नाथ चौधरी—[हटा दिये गये।]

बेनीगंज के निकट स्प्रिट का अभाव

*१६४—श्री परमाई (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हरदोई में टाउन एरिया बेनीगंज के २० मील आस-पास स्प्रिट जनता को नहीं मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार लोगों को स्प्रिट दिलाने के लिये प्रबंध करेगी ?

डाक्टर सीताराम—सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। यदि बेनीगंज टाउन एरिया के आसपास जनता को डिनेचर्ड स्प्रिट मिलने में कोई कठिनाई है, तो उन्हें जिला अधिकारी को प्रार्थना-पत्र देना चाहिये, जिसकी सिफारिश पर नया लाइसेंस दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

*१६५-१६६—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६७—श्री घासीराम (जिला इटावा)—[१२ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

टेहरी-गढ़वाल के कुछ भाग को कीर्तिनगर अदालती क्षेत्र से अलग न करने की प्रार्थना

*१६८—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल की हिन्दाव नैलचामी और ग्यारह गांव पट्टियों की जनता ने शासन से मांग की है कि उन्हें कीर्तिनगर अदालत से पृथक कर टेहरी अदालत से सम्बद्ध किया जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

*१६९—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या राजस्व मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस मांग की पूर्ति की दिशा में अब तक शासन ने क्या काम किया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी में लोकोमोटिव कारखाने के लिये अध्याप्त भूमि

*१७०—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी में लोकोमोटिव कम्पनी के बगल में गांव पहाड़ी, गनेशपुर, जलाली पट्टी, कंचनपुर, भिरवारीपुर आदि गांवों की कितनी जमीन को सरकार ने एक्वायर करने के लिये भूमि प्राप्त अधिकारी, वाराणसी को लिखा है?

श्री गिरधारीलाल—कुल २४९.६४५ एकड़ भूमि को एक्वायर करने के लिये जिलाधीश, वाराणसी की सम्मति से लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ४ (१) के अन्तर्गत विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

*१७१—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त गांवों की जमीन किस कार्य के लिये और प्रति एकड़ कितने मुआवजे के हिसाब से दी जा रही है?

श्री गिरधारीलाल—उक्त भूमि रेलवे के डीजल लोकोमोटिव कारखाने के निर्माणार्थ ली जा रही है। चूंकि भूमि अभी एक्वायर नहीं हुई है, अतः मुआविजे की दर का अभी प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

१-३—श्री बृजेश्वरसहाय—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

उन्नाव जिले में कलेक्शन अमीन

४—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—क्या मालमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले में कलेक्शन के कितने अमीन हैं और उनमें से कितने स्थायी हैं तथा कितने अस्थायी हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन्नाव जिले में १२० कलेक्शन अमीन हैं और वे सभी अभी अस्थायी हैं ।

५—श्री श्रीराम तिवारी—क्या माल मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो कलेक्शन अमीन अस्थायी हैं उन्हें किन-किन कारणों से अभी तक स्थायी नहीं किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उन्नाव जिले के लिये १-४-६० से कलेक्शन अमीनों के जो ८२ स्थायी पद स्वीकृत हुये हैं उनको स्थायी रूप से भरने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । उक्त पदों पर कलेक्शन अमीन अभी तक मुख्यतः इसलिये नहीं स्थायी किये जा सके कि कुछ लोगों ने स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्धारित प्रमाण-पत्र नहीं दिये थे तथा कुछ लोगों की चरित्र पंजियां (character rolls) अपूर्ण थीं जिन्हें पूरा करने में समय लगा ।

एस० डी० ओ०, नकुड़ के विचाराधीन मुकदमे

६—श्री यशपाल (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि S.D.O. नकुड़, जिला सहारनपुर के न्यायालय में दाखिल खारिज के कितने (cases) हैं ? कितने समय से और क्यों (pending) में पड़े हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—S.D.O. नकुड़, जिला सहारनपुर के न्यायालय में ३-९-१९६२ को कुल २८ मुकदमे दाखिल खारिज के (pending) थे । इसमें से कुल ५ मुकदमे ऐसे हैं जो ६ माह पूर्व से (pending) हैं । ये सभी मुकदमें अधिक विवाद-ग्रस्त हैं ।

७-८—श्री झारखंडेराय—[२० सितम्बर, १९६२ को अतारांकित प्रश्न ६८-६९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

अमिला-लाटघाट सड़क पर टेस्ट वर्क

९—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ में गत दिसम्बर में गोफा-ताल नाला तथा अमिला-लाटघाट सड़क (घोसी तहसील) को जो टेस्ट वर्क में लिया गया था उसमें गत ६ मास में क्या प्रगति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गोफा ताल नाला टेस्ट वर्क के अन्दर नहीं लिया गया था । अमिला-लाटघाट सड़क पर टेस्ट वर्क के अन्तर्गत ५ जनवरी, १९६२ से २१ मार्च, १९६२ तक कार्य हुआ जिस अवधि में इस सड़क पर ३,५८,१९१ घनफुट मिट्टी डाली गई ।

१०-१२—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

१३—श्री मान्धातासिंह—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

१४—श्री झिलमिटराम—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

दुद्धी गवर्नमेंट स्टेट, मिर्जापुर के अध्यापकों का वेतन

१५—श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दुद्धी मिर्जापुर गवर्नमेन्ट स्टेट के अध्यापकों का (इन्क्रीमेंट) बढ़ोत्तरी वेतन अप्रैल, सन् १९४७ से सरकार ने रोक रक्खा है ? यदि हां, तो क्यों ? तो क्या सरकार १५ वर्षों का बकाया तथा इस समय से बढ़ोत्तरी को वेतन में मिलाकर देने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सरकार ने दुद्धी गवर्नमेन्ट स्टेट, मिर्जापुर के अध्यापकों का वेतन सन् १९४७ से नहीं रोका है। चूंकि अध्यापकों के बकाया वेतन बिल नहीं बन सके थे, इसलिये उनको सन् १९४७ से वार्षिक बढ़ोत्तरी वेतन नहीं दिया जा सका। तीन अध्यापकों के बढ़ोत्तरी के बकाया वेतन बिल बनाये जा चुके हैं और उनको भुगतान भी किया जा चुका है। ४१ अध्यापकों के बढ़ोत्तरी के बिल बनाये जा रहे हैं। जब यह बिल बन जायेंगे, तब इन अध्यापकों को भी बढ़ोत्तरी सहित वेतन दिये जाने के हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

१६—श्री ऊदल—क्या सरकार को पता है कि वहां पर वेतन स्केल, सीनियर, जूनियर, ट्रेन्ड, अन्ट्रेन्ड सब को २७ रु० वेतन व ३३ रु० महंगाई मिलती है? यदि हां, तो क्या जिला परिषद् के अध्यापकों के समान वेतन देने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री हुकुम सिंह विसेन—यह बात सही नहीं है। ट्रेन्ड और अन्ट्रेन्ड अध्यापकों के अलग-अलग स्केल हैं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता है।

इटावा जिले में सड़कों का निर्माण

१७—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में दूसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी मील सड़कें पक्की बन चुकीं और कितनी मील सड़कें अधूरी पड़ी हैं और वह सड़कें कौन-कौन-सी हैं?

श्री गिरधारीलाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ९ मील पक्की सड़कें बनाने का प्राविधान था जिसमें से ५ मील पक्की सड़कें बन चुकी हैं तथा शेष लखना-सन्दौस सड़क के ४ मील का भाग बनने को बाकी रह गया है।

१८—श्री सुखलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इटावा जिला में तीसरी पंचवर्षीय योजना में कितनी मील सड़कें पक्की करने का विचार कर रही है, वह सड़क कौन-कौन-सी हैं?

श्री गिरधारीलाल—तृतीय पंचवर्षीय योजना में किसी भी नई सड़क के निर्माण का प्राविधान नहीं है।

नगरपालिका ऋषिकेश द्वारा कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने के लिये प्रार्थना

१९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका, ऋषीकेश द्वारा कन्या जूनियर हाई स्कूल खोलने की अनुमति शिक्षा विभाग से मांगी गई है और नवीन हाई स्कूल खोलने का निवेदन किया गया है?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं, अध्यक्ष, नगरपालिका समिति, ऋषिकेश का यह सुझाव शासन को प्राप्त हुआ है कि यदि शासन राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, ऋषिकेश में कक्षा ९ तथा १० खोल दे तो इस स्कूल के कक्षा १–५ का भार नगरपालिका ले लेगी।

२०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा मंत्री गत दिनों जब उक्त स्थान पर गये थे तो उन्होंने अनुमति प्रदान करने का आश्वासन भी दिया था? यदि हां, तो उस स्थान पर कन्याओं को पढ़ाई के लिये विद्यालय भी स्थापित कर दिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक खुलने का विचार है?

आचार्य जुगलकिशोर—केवल सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया था। नगरपालिका ऋषिकेश के उपर्युक्त सुझाव को कार्यान्वित करना धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है। अतः इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ आश्वासन देना अभी सम्भव नहीं है।

टी० बी० एजूकेशन बोर्ड

२१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में "टी० बी०" एजूकेशन बोर्ड नाम की कोई संस्था चल रही है और उसके एकमेव अधिकारी श्री वाई० के० लोहानी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि इस संस्था का शिक्षा विभाग से क्या सम्बन्ध है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। श्री वाई० के० लोहानी इस बोर्ड के सचिव हैं। इस संस्था का शिक्षा विभाग से कोई संबंध नहीं है पर शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को टी० बी० गाइड का प्रशिक्षण इस संस्था द्वारा दिया जाता है।

२२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बतायेगी कि शिक्षा विभाग द्वारा कोई इस प्रकार का आदेश प्रदेश की शिक्षा संस्थाओं को दिया गया है कि वह अपने दो शिक्षक इस संस्था से प्रशिक्षित करावें ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

नार्मल ट्रेनिंग के लिये चुनाव तथा जालौन जिला परिषद् में लिये गये अध्यापक

२३—श्री विजय सिंह—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष सरकार की ओर से नार्मल चुनाव के बारे में कोई ऐसा आदेश जिलों को भेजा गया है कि वह केवल High School पास ही नार्मल के चुनाव में लें ? यदि हां, तो वह आदेश जिला जालौन क्यों नहीं भेजा गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं।

२४—श्री विजयसिंह—क्या मंत्री को यह ज्ञात है कि रियासतों के खत्म होने पर जालौन जिले में जो अध्यापक जिला परिषद् के अन्तर्गत आये हैं उनको अन्तरिम परिषद् के अध्यापकों के समान वेतन नहीं मिलता है ? यदि हां, तो वह संस्था नदी गांव क्षेत्र तथा कदौरा विलीन क्षेत्र के अध्यापकों की अलग-अलग कितनी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी नहीं, समान वेतन मिलता है।

२५—श्री विजयसिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि जिला जालौन में रियासतों के खत्म होने पर कितने अध्यापकों को जिला परिषद् के अन्तर्गत लिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—५६।

२६—श्री जमादारसिंह, श्री विजयपालसिंह तथा श्री ऊदल—[१४वें गुरुवार के लिए प्रश्न ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

ग्राम समाज मुद्रासन

२७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज, मुद्रासन, ब्लाक हरगांव, जिला सीतापुर में परती भूमि कितनी है ? वह भूमि किस प्रयोग में लाई जा रही है तथा उससे ग्राम समाज को वार्षिक धन कितना प्राप्त होता है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१५·३९ एकड़। जिसमें से १३.७९ एकड़ भूमि ४१ रु० ९८ न० पै० सालाना लगान पर आसामियों को उठायी गई है।

२८—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—उपरोक्त ग्राम समाज द्वारा रचनात्मक कार्य कौन-कौन से किये गये तथा उन कार्यों पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक कुएं की मरम्मत तथा नाली का निर्माण। इन कार्यों में क्रमशः २६० तथा १७० रु० खर्च हुआ।

२९—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—ग्राम समाज-मुद्रासन में आय के साधन कौन-कौन से हैं और सबसे अधिक आय का साधन कौन-सा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—आसामियों से लगान तथा मछली का नीलाम प्रथम साधन।

शिक्षा निदेशक द्वारा इलाहाबाद में गाड़ियों का प्रयोग

३०—श्री शिवदानसिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के शिक्षा निदेशक शिक्षा प्रसार अथवा विभागीय अन्य गाड़ियों का प्रयोग इलाहाबाद में करते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां। जब इलाहाबाद दौरे पर जाते हैं।

३१—श्री शिवदानसिंह—(अ) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राजाज्ञा नं० ३८६ टी० पी०/तीस—१०४५—टी—५८, दिनांक १७ फरवरी, १९५९ के अनुसार उन्होंने प्राइवेट-रनर्स का राजाज्ञा के प्रसारित होने से अब तक कितना धन राजकोष में जमा किया है ?

(ब) क्या जमा की हुई धनराशि उपरोक्त राजाज्ञा तथा लौग बुक के एन्ट्रीज के अनुसार है ?

आचार्य जुगलकिशोर—(अ) २०७.३७ नये पैसे।

(ब) जी हां।

३२—श्री शिवदानसिंह—क्या यह सही है कि शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद में ठहराव स्थान से कार्यालय तक कमीशन, बोर्ड अथवा अन्य मीटिंग स्थान को जाने-आने का भुगतान उपरोक्त राजाज्ञा के अनुसार ५० रु० महीने अथवा उसके अंश का न दे कर पचीस नये पैसे प्रतिमील के हिसाब से देते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—सरकारी रन्स के लिये कोई धनराशि नहीं देते हैं, वह दौरे पर स्टाफ कार के रूप में सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं।

३३—श्री शिवदानसिंह—जो धनराशि राजकोष में शिक्षा निदेशक द्वारा जमा की गयी है और जो राजाज्ञा के अनुसार जमा होनी थी उसमें कितना अन्तर है ?

आचार्य जुगलकिशोर—देय धन से कुछ अधिक ही जमा हुआ है।

३४—श्री शिवदानसिंह—क्या शिक्षा निदेशालय ने सरकार अथवा परिवहन विभाग से उपरोक्त राजाज्ञा के स्पष्टीकरण कराने हेतु पत्र-व्यवहार किया है ? यदि हां, तो वह क्या ?

आचार्य जुगलकिशोर—जी हां।

प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ११०९ पर)

बलिया जिले में घाघरा तथा गंगा का कटाव

३५—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विगत तीन वर्षों में गंगा तथा घाघरा के कटाव से बलिया जिले में कितने गांव कटे और उनमें किन गांवों के लोगों को बसने के लिये भूमि की व्यवस्था सरकार की ओर से की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—विगत तीन वर्षों में गंगा तथा घाघरा द्वारा कटे गांवों के नाम इस प्रकार हैं:—

गंगा द्वारा काटे गये ग्राम

आलमचक, मेलसंड, हरिहरपुर, उग्रसेनपुर, कोट, शिवपुरबियर, अगरौली, अजोरपुर, शाहपुर खास ।

घाघरा द्वारा काटे गये ग्राम

दुर्जनपुर, नरायनगढ़ ।

आलमचक, मेलसंड, शाहपुर खास के निवासियों को घोरहरा, शाहपुरखास और नरही गांव में बसाया गया ।

ग्राम दुर्जनपुर व नरायणगढ़ के निवासियों को बसाने के लिए मौजा श्रीकंतपुर में भूमि ली गई परन्तु वे लोग वहां बसना नहीं चाहते ।

अन्य गांवों के लोगों को अन्यत्र बसाने के हेतु भूमि हस्तगत करने की कार्यवाही चल रही है ।

नदावर घाट पुल

३६—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर में नदावर तथा भटनी घाट पर पुल बनाने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—नदावर घाट पर छोटी गंडक के ऊपर पुल के निर्माण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। भटनी घाट के ऊपर पुल के निर्माण की कोई व्यवस्था करना इस समय सम्भव नहीं है ।

भाटपार क्षेत्र के लेखपाल के विरुद्ध शिकायतें

३७—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया, तहसील सलेमपुर में भाटपार कानूनगो सर्किल में १९६२ में किसी लेखपाल के खिलाफ वहां की जनता ने दौरे के समय राजस्व मंत्री को लिखित शिकायतें दी थीं ? उन शिकायतों में क्या लिखा था और उन पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं ।

श्री बेगराजसिंह, चकबन्दी अधिकारी, कर्नेलगंज के विरुद्ध शिकायत

३८—श्री ईश्वर शरण (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कर्नेलगंज, जिला गोंडा हलके में कौन चकबन्दी अफसर १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्री बेगराज सिंह १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में कर्नेलगंज हलके के चकबन्दी अधिकारी के पद पर कार्य करते रहे हैं ।

३९—श्री ईश्वरशरण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त चकबन्दी अफसर कर्नेलगंज ने अपने पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह के नाम एक पास बुक सब-पोस्ट आफिस के हिसाब में ८०० रु० जमा किया है और पास बुक नं० ८९८६० है ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री नरेन्द्र सिंह की आय तथा आमदनी क्या है जिसके द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह ने यह रुपये बचा कर जमा किये तथा कितने दिनों में यह रकम जमा हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां। उक्त अधिकारी क नाबालिग पुत्र श्री नरेन्द्रसिंह के पास बुक (खाता नं० ८९८६०) में ८०० रु० नहीं बल्कि ८,१०० रु० तथा २० नये पैसे जमा हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह के पिता श्री बेगराज सिंह चकबन्दी अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे हैं तथा पता चला है कि वे अपने घर के सम्पन्न व्यक्ति हैं और उनकी कृषि से काफी आय होती है।

२२ मई, १९५८ से २२ जून, १९६२ तक में उक्त धनराशि जमा की गई।

४०—श्री ईश्वरशरण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त चकबन्दी अफसर के खिलाफ उक्त विषय पर कोई दरख्वास्त जिला भ्रष्टाचार निरोधन समिति को दी गयी है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री हुकुमसिंह विसेन—श्री बेगराज सिंह के विरुद्ध शासन को एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था। जांच के बाद उक्त शिकायत निराधार पाई गई, इसकी सूचना जिला भ्रष्टाचार निरोधन समिति को भी दी गई। जिला भ्रष्टाचार निरोधन समिति ने इस विषय में कुछ और सूचना जिलाधीश गोंडा से मांगी है जिस पर वे कार्यवाही कर रहे हैं।

भिनगा-लक्षिमनपुर सड़क

४१—श्री मुन्नूसिंह (जिला बहराइच)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भिनगा-लक्षिमनपुर सड़क जो बहराइच जिले की सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनने के लिये स्वीकृत है उस पर कब से काम प्रारम्भ होने की सम्भावना है?

श्री गिरधारीलाल—यह सड़क तृतीय योजना से इस समय निकाल दी गई है, इसलिये इसके निर्माण का प्रश्न अभी नहीं उठता।

४२—श्री गंगाप्रसाद—[हटा दिया गया।]

४३-४५—श्री मतोलासिंह (अनुपस्थित)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

४६-४७—श्री होरीलाल यादव—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

डलमऊ तहसील के लेखपाल की मुअत्तली

४८—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—क्या राजस्व मंत्री दिनांक ३ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि जो लेखपाल पकड़ा गया था उसके पास ऐसे नोट जिसमें कम्प्लेन्ट आफिसर के हस्ताक्षर थे या नम्बर नोट थे जेब से कितने बरामद हुये थे और कितने हाथ में मिले?

श्री हुकुमसिंह विसेन—एक दस रुपये का नोट जेब से और एक दस रुपये का नोट हाथ से।

४९—श्री गुप्तारसिंह—क्या राजस्व मंत्री दिनांक ३ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि मुअत्तिली के बाद दूसरे लेखपाल को चार्ज किस तारीख में मिला और किससे मिला—मुअत्तलशुदा पूर्व लेखपाल से या तहसील कार्यालय से?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१२ मई, १९६२ को गिरदावर कानूनगो से मिला।

५०—श्री गुप्तारसिंह—क्या राजस्व मंत्री दिनांक ३ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८५ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि जब उपरोक्त लेखपाल रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसके ऊपर कोई कार्यवाही अदालती या डिपार्टमेंटल हुई या नहीं? अगर हुई, तो क्या? अगर नहीं हुई, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सम्बन्धित लेखपाल के विरुद्ध डिपार्टमेंटल कार्यवाही करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मथुरा संग्रहालय से बुद्ध प्रतिमा की चोरी

५१—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार को पता है कि मथुरा अजायबघर (Museum) में वहाँ का सामान बहुत-सा चोरी हो गया है? यदि हाँ, तो कितना सामान और किस-किस प्रकार का सामान तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की?

डाक्टर सीताराम—सिर्फ एक Buddha Head के चोरी जाने की सूचना मिली है और इस मामले की जाँच हो रही है।

५२–५३—कुंवर रुद्रप्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

५४—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

५५—श्री मतोला सिंह (अनुपस्थित)—[१२ वें मंगलवार के लिए प्रश्न ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कन्नौज में जयचन्द का किला

५६—श्री पातीराम अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार फर्रुखाबाद जिले में प्राचीन ऐतिहासिक नगर कन्नौज में जो जयचन्द का किला है जिसमें बराबर ऐतिहासिक सिक्के और वस्तुयें प्राप्त होती रहती हैं, उनको वार्षिक नीलाम से मुक्ति देकर वन विभाग या नगर-पालिका, कन्नौज को देने की व्यवस्था करेगी जिससे इस प्राचीन स्थान की सुरक्षा बनी रहे?

डाक्टर सीताराम—नीलाम को बन्द किये जाने के लिए आदेश जारी किये जा चुके हैं। यह किला एक 'राष्ट्रीय महत्व का स्मारक' है। इसके रखरखाव और आवश्यक सुरक्षा की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है।

५७—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल—[५ अक्तूबर, १९६२ के लिए स्थगित किया गया।]

ईसन नदी पर हैदराबाद रिप्टन पुल

५८—श्री गंगाप्रसाद (जिला एटा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में एटा जिले के ग्राम रिजोर में हैदराबाद रिप्टन पुल जो ईसन नदी पर बना है, उसमें कितना रुपया खर्च हुआ?

श्री गिरधारीलाल—इस पुल के बनाने में १९,६७८ रुपया खर्च हुआ है।

उतरौला तहसील में सड़कों का निर्माण

५९—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में तहसील उतरौला के बुढ़ापार और सादुल्लानगर परगनों के अन्तर्गत द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी पक्की सड़कें बनीं?

श्री गिरधारी लाल—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई सड़क नहीं बनी।

६०—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में तहसील उतरौला के बुढ़ापार और सादुल्लानगर परगनों के अन्तर्गत तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितने मील और कौन-कौन-सी पक्की सड़कें बनेंगी ?

श्री गिरधारीलाल—तृतीय पंचवर्षीय योजना में १० मील ३ फर्लांग ३३० फुट लम्बी मनकापुर-सादुल्लानगर सड़क बनाई जा रही है।

६१—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में तहसील उतरौला के बूढ़ापार परगने में जो सड़क गौरा चौकी से मसकलवाँ को जाती है उसका सिंगार घाट का पुल पड़ता है ? यदि हां, तो उसे कब तक पक्का बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारीलाल—इस पुल के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

प्रशिक्षण विद्यालयों में अध्यापकों का वेतन

६२—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय में अध्यापन कार्य करने वालों तथा प्राइवेट प्रशिक्षण विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वालों के वेतन-क्रम में अन्तर है ? यदि हाँ, तो क्यों और कितना ?

आचार्य जुगलकिशोर—सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२ को सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १११०–१११६ पर)

विरोधी दलों के नेताओं द्वारा लिखे गये पत्र के कथित विवरण में अध्यक्ष के प्रति आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) ठहर जाइये। पहले मैं कुछ थोड़ी सी बातें इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। कुछ अखबारों में ऐसी बात छपी है जो नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं द्वारा मुझे लिखे गये एक पत्र के सन्दर्भ में है। मैं इतना निवेदन कर दूं कि जो नेतागण का पत्र मेरे पास आया है, वह बहुत ही शिष्ट भाषा में है और उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे मेरा या किसी व्यक्ति का अवमान होने का प्रश्न उठता हो, किन्तु स्वतंत्र भारत में जो रिपोर्ट है वह गलत है। मैं आपको वह पत्र पढ़ कर सुनाये देता हूं और जो समाचार-पत्र में है वह भी। समाचार-पत्रों के प्रतिनिधियों से, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो भी सूचनायें वे अपने पत्रों में छापें, उसके लिये वे पहले से अच्छी तरह से कन्फर्म कर लें, अन्यथा इसका उत्तरदायित्व प्रेस पर आता है और वह चीज न हमारे लिये सन्तोष की होगी और न सदन के सन्तोष की होगी कि मैं किसी समाचार-पत्र पर कोई आरोप लगाऊं। जो मेरे पास पत्र आया है उसका मन्तव्य केवल यह जानने का है कि हम और आप बैठकर प्रत्येक सप्ताह कुछ विचार-विनिमय करते हैं। तो उस विचार-विनिमय करने से कोई लाभ होगा या नहीं, यही इस पत्र का मन्तव्य है। पत्र इस प्रकार है—इस पर माननीय नेता विरोधी दल, माननीय गेंदा सिंह, माननीय उग्रसेन, माननीय झारखंडे राय, माननीय भानुप्रताप सिंह के हस्ताक्षर हैं—"माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ३ माननीय सदस्य, श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय, श्री रामायण राय और श्री चन्द्रजीत यादव के विशेषाधिकार के प्रस्तावों पर आप की

व्यवस्था सुन कर हमें दुख और आश्चर्य हुआ। आप को स्मरण होगा कि आप ने सदन में यह कहा था कि इस विशेषाधिकार पर मैं आप से बातें करके, तब निर्णय दूंगा। आप के उपरोक्त घोषणा के बाद १७-९-६२ को आप के कमरे में नेताओं की एक बैठक हुई। उस बैठक में विशेषाधिकार के विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। सदन क परिसर क विषय में जब चर्चा उठी उस समय नेता विरोधी दल के सुझाव पर यह निर्णय हुआ था कि इस विषय पर और विचार करने के बाद निर्णय किया जायगा। ऐसी स्थिति में आप का आज का निर्णय, बिना हम लोगों से बातचीत किये, अनुचित और हम लोगों के प्रति अन्याय है। हम जो इन कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि जो निर्णय आज आपने विशेषाधिकार के विषय में दिया है, सदन और सारा प्रदेश उससे यह समझेगा कि वह हम लोगों की सहमति से है। आप स्वयं इस बात पर विचार करें कि हमसे यदि आपने क्षण भर के लिये भी पूछा होता, तो हम आपका यह निर्णय न होने देते। हम ऐसा समझते हैं कि इस प्रकार का निर्णय देकर आपने हमसे वचन भंग किया है।

दुख के साथ यह भी सोचने की आवश्यकता महसूस हो रही है कि सप्ताह में एक बार आप से मिलने का जो निर्णय हुआ था, उसकी अब आवश्यकता है या नहीं।" अब स्वतंत्र भारत में यह छपा है—". . . . आपने सदन में यह घोषणा की थी कि इस प्रश्न पर निर्णय विपक्ष के नेताओं से बात करने के बाद तब देंगे। आप ने अपने कमरे में बाद को हम लोगों की एक बैठक बुलायी जिसके अन्त में विपक्ष के नेता ने यह सुझाव दिया था कि विषय पर और विचार करके तब निर्णय दिया जाय। ऐसी स्थिति में यह समाचार कि नेताओं ने यह लिखा है कि आपका निर्णय अनुचित और अन्यायपूर्ण है" यह ग़लत चीज़ है, क्योंकि निर्णय अन्यायपूर्ण कहीं नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा है कि आपने जो निर्णय दिया उससे हमारे प्रति अन्याय किया है। उनका यह मंशा नहीं था कि जो निर्णय दिया है, उसके ऊपर कोई आक्षेप करें।

इस सम्बन्ध में या तो कुछ भ्रम मेरे दिमाग में हो या कोई बात मैंने कही हो जिससे भ्रम अन्य नेतागण के मस्तिष्क में पैदा हुआ हो। मेरा मंशा यह था कि विशेषाधिकार के प्रश्न पर जो निर्णय देना है मुझे, वह अपनी जिम्मेदारी पर देना है कि विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है या नहीं। उस पर जजमेंट के लिये कदाचित मुझे किसी से प्रश्न करना या सलाह लेना कि मैं क्या लिखूं और किस तरह से निर्णय दूं, यह तो शायद सदन भी पसन्द नहीं करेगा। लेकिन उससे सम्बन्धित जो अन्य प्रश्न उठते हैं, उनका संकेत मैंने उस दिन कर दिया था कि सदन के सामने एक प्रदर्शन का होना, एक बड़ी मात्रा में जन-समूह का एकत्रित होना, और उससे जो परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जिनसे सदस्यों को असुविधा होती है, इन सब बातों के बारे में, मैं सोचता था कि माननीय नेताओं से विचार-विनिमय कर लूं।

दूसरा प्रश्न मेरे सामने जो था, जैसा कि कल मैंने संकेत किया है, वह है वाच ऐण्ड वार्ड का। इस बारे में, सभी नेताओं से मुझसे बातचीत हुई और यह भी करीब-करीब निर्णय हो गया कि कहां से, किस प्रकार से, वाच ऐण्ड वार्ड के संरक्षक होंगे।

इसके बाद प्रश्न उठता है कि इस सदन का परिसर कैसे निश्चित किया जाय? इस सम्बन्ध में अभी पूर्णतया निर्णय नहीं हुआ है। इसके ऊपर हमें विचार करना है। मेरा असली मतलब यह था कि विशेषाधिकार से सम्बन्धित इन तमाम प्रश्नों पर मैं नेताओं से विचार विनिमय करूं। मेरा खयाल है कि कदाचित माननीय नेता सोशलिस्ट दल का भी यह विचार-नहीं था, इस वास्ते कि कई बार मुझ से सदन में यह मांग की गई कि १० तारीख से सम्बन्धित प्रिविलेज के मोशन पर कब मैं निर्णय दे रहा हूं। मैंने कह दिया था कि मैं कल या परसों दूंगा। हो सकता है कि मेरी बात से इस किस्म का भ्रम नेता विरोधी दल और अन्य माननीय सदस्यों के हृदय में पैदा हुआ हो। लेकिन मेरा दरअसल मंशा यह था कि सम्बन्धित मामलों की छानबीन कर लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। अब माननीय श्यामलाल जी का इस सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रश्न आया है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—आपने जो कहा है, मैं इसके सम्बन्ध में आपको कुछ स्मरण दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। स्मरण मैं कर लूंगा।

श्री रामायणराय—मेरी आपकी खुद बातचीत हुई थी। आपने कहा था कि म नेताओं से बात करके तब फैसला दूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—कुछ निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष—कहिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त—श्यामलाल जी का विशेषाधिकार का प्रश्न हम लोगों पर...

श्री अध्यक्ष—मैं उसे पढ़ तो दूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—लेकिन निर्णय हम लोगों को सुनने के बाद लें।

श्री अध्यक्ष—वह यह है—"माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली की धारा ६४ के अधीन निम्नलिखित विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न माननीय यादवेन्द्रदत्त, नेता विरोधी दल, गेंदासिंह, नेता प्रसोपा दल, उग्रसेन, नेता सोशलिस्ट दल, भानुप्रताप सिंह, उपनेता स्वतन्त्र दल, एवं झारखंडे राय उपनेता कम्युनिस्ट दल, के विरुद्ध प्रस्तुत करता हूं—

कल २०-९-६२ को उक्त नेतागण विरोधी दलों ने अपनी एक विशेष बैठक में माननीय अध्यक्ष को अपने हस्ताक्षर से एक पत्र लिखा जिसमें निम्न शब्द थे जो 'स्वतन्त्र भारत' से उद्धरित करता हूं—

'आपने सदन में यह घोषणा की थी कि इस प्रश्न पर निर्णय विपक्ष के नेताओं से बात करने के बाद तब देंगे। आप ने अपने कमरे में बाद में एक बैठक हम लोगों की बुलाई जिसके अन्त में विपक्ष के नेता ने यह सुझाव दिया था कि इस विषय पर और विचार करके तब निर्णय दिया जाय। ऐसी स्थिति में आपका आज का निर्णय अनुचित और अन्यायपूर्ण है।'

माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था को अनुचित और अन्यायपूर्ण संज्ञा देना अध्यक्ष एवं आदरणीय सदन का सीधे-सीधे अवमान है।"

श्री यादवेन्द्रदत्त—तो यह प्रश्न उठता है कि....

श्री अध्यक्ष—मैं तो इसे रिजेक्ट कर रहा हूं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो प्रिविलेज का प्रश्न हम सब लोगों के ऊपर उठाया गया है इसे आप अवश्य प्रिविलेज कमेटी में भेज दें ताकि वहां इसका स्पष्टीकरण हो जाय। अगर आप नहीं भेजेंगे तो मैं यह कहूंगा कि यह हम लोगों के प्रति आपकी थोड़ी ज्यादती मैं समझूंगा। इसलिये मैं आशा करूंगा कि आप इसे अवश्यमेव प्रिविलेज कमेटी में भेजने की कृपा करेंगे।

श्री उग्रसेन—आपने इस मोशन में मेरा नाम लिया है। आप मुझे कुछ निवेदन करने दें।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मैं बैठ रहा हूं, मगर मुझे मौका दीजियेगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय नेता विरोधी दल ने जो प्रश्न उठाया है यह प्रश्न पहले यहां एक मर्तबा उठ चुका है। माननीय खेर की यह रूलिंग है कि किसी व्यक्ति के मानने से विशेषाधिकार का न प्रश्न उठता है और न विशेषाधिकार समिति को दिया जा सकता है। चाहे आरोपित व्यक्ति ही क्यों न कहे, लेकिन जब तक अध्यक्ष सन्तुष्ट नहीं होंगे तब तक वह समिति में नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, मैं इस विशेषाधिकार के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं।

श्री उग्रसेन—आप मुझे अब २ मिनट का मौका देंगे?

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—आप का ध्यान में कार्य-वृत्त...

श्री अध्यक्ष—दीपनारायण जी, आप बैठ जाइये।

श्री दीपनारायणसिंह—इसके बाद मुझे थोड़ा समय दिया जायगा? मैं बैठता हूं।

श्री उग्रसेन—चूंकि आपने मेरा नाम लिया है....

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। आप को बाद को सुना जायगा।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—कम से कम २ मिनट आप हमको दे दें तो हम स्पष्टीकरण करें कि ब्रीच आफ प्रिविलेज है या नहीं। उसके बाद आप अपनी रूलिंग देते।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये। इस सदन में जिस प्रकार से प्रश्न उठाये जाते हैं या पूछे जाते हैं, जो जानकारी प्राप्त करने की प्रथा सी पड़ गई है, उसके सम्बन्ध में मैं आपके सामने नियमावली के नियम ३०० और ३०१ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ताकि हमारे इस सदन के सदस्य जान लें कि प्वाइंट आफ आर्डर किस नाते और किस विषय पर उठाया जा सकेगा।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—सब इस चीज को जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है।

श्री दीपनारायणसिंह—आप की व्यवस्थायें खुद ऐसी होती रही हैं जो बाद को एक्सपंज कर दी गयी हैं।

श्री अध्यक्ष—अच्छा, आर्डर, आर्डर। नियम ३०० में है :—

"३००—औचित्य प्रश्न और उन पर विनिश्चय —(१) औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य, विनियमित होता है, निर्वाचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो।

(२) औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के सब कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा।

इसका मतलब यह हुआ कि जहां पर किसी रूल के इंटरप्रिटेशन का प्रश्न हो या कोई रूल भंग होता हो या उसके इन्फोर्समेंट का प्रश्न हो तब वह प्वाइंट आफ आर्डर या व्यवस्था का प्रश्न होगा। "औचित्य प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा"। इस सम्बन्ध में कृपया समझ लें कि जो कार्य सदन में उपस्थित हो उस सम्बन्ध में अगर कोई प्रश्न उठाना चाहें तो तत्काल उठाया जायगा" परन्तु अध्यक्ष किसी सदस्य को कार्य की एक मद समाप्त होने और दूसरी के प्रारम्भ होने के बीच की अन्तरावधि में औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे यदि यह सदन में व्यवस्था बनाये रखने या सदन के समक्ष कार्यविन्यास के सम्बन्ध में हो।

(३) उपनियम (१) तथा (२) में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुये कोई सदस्य औचित्य प्रश्न उठा सकेगा और अध्यक्ष यह विनिश्चय करेंगे कि उठाया गया प्रश्न औचित्य प्रश्न है या नहीं और यदि हो तो उस पर अपना विनिश्चय देंगे जो अन्तिम होगा।

[श्री अध्यक्ष]

(४) किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी, किन्तु अध्यक्ष यदि वे ठीक समझें, अपना विनिश्चय देने से पहले सदस्यों की बात सुन सकेंगे।

(५) औचित्य प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है।

(६) कोई सदस्य—

(क) जानकारी मांगने के लिये, या

(ख) अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये, या

(ग) जब प्रस्ताव पर कोई प्रश्न सदन के सामने रखा जा रहा हो, या

(घ) काल्पनिक, या

(ङ) विभाजन की घंटियां नहीं बजीं या सुनाई नहीं पड़ीं, ऐसा औचित्य प्रश्न नहीं उठायेगा।"

तो आप जो बीच में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि अगर यह स्थिति हो तो क्या हो या अपनी स्थिति आप स्पष्ट करना चाहते हैं तो यह व्यवस्था के रूप में नहीं उठ सकेगा।

अब ३०१ यह है :—

"३०१—ऐसा विषय उठाना जो औचित्य प्रश्न न हो—जो सदस्य सदन की जानकारी में कोई ऐसा विषय लाना चाहे जो औचित्य प्रश्न न हो तो वह सचिव को लिखित रूप से सूचना देगा, जिसमें संक्षेप में उस विषय को बतायेगा जिसे वह सदन में उठाना चाहता हो तथा साथ में कारण भी बतायेगा कि वह उसे क्यों उठाना चाहता है और उसे ऐसा प्रश्न उठाने की अनुज्ञा अध्यक्ष द्वारा सम्मति दिये जाने के बाद ही तथा ऐसे समय और तिथि के लिये दी जायेगी जो अध्यक्ष निश्चित करे।"

यदि आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सचिव को नोटिस दें और फिर उसके बाद आप पूछ सकते हैं। तो यहां पर जो प्रथा है कि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वह नहीं चलेगी जब तक कि आप उसकी नोटिस लिखकर न दें। मैं आपको कमरे में बुला सकता हूं या सदन के समक्ष भी उसको दे सकता हूं। कृपया मेरी यह बात ध्यान में रखें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जरा ठहर जाइये। अब आपके सामने मैंने नियम रख दिया और आप इस वक्त कोई स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते। अगर आप चाहते हैं तो लिखकर दे दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—आपने जो वक्तव्य अभी दिया है उसका स्पष्टीकरण कर दें कि बिना माननीय सदस्यों को सुने हुये ही आप किस प्रकार कह सकते हैं कि यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। सदा से यहां की परम्परा रही है कि सदस्य खड़े होते हैं, व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं तो आपके द्वारा व्यवस्था होती है कि कोई व्यवस्था नहीं है, बैठिये। तो बिना सदस्यों को सुने हुये किस प्रकार व्यवस्था का प्रश्न आप लेने से इन्कार करते हैं।

श्री अध्यक्ष—अगर कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठायें तो मैंने उसके लिये निवेदन तो कर दिया कि नियम का इस प्रकार से भंग हो गया है। उसको अपनी नोटिस में यह लिखना चाहिये और फिर उसके बाद मेरी अनुज्ञा होने पर उसके सपोर्ट में जो चाहे कह दें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर था.....

श्री अध्यक्ष—श्री दीपनारायण सिंह जी, फिर आप बहस करने लगे ।

श्री दीपनारायणसिंह—मैंने प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया था, मुझे प्वाइन्ट आफ आर्डर पर निकाला गया था। कल का आप कार्यवृत्त देखिये ।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—आप हमें संतुष्ट कर दें। माननीय सदस्य जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो बिना व्यवस्था के प्रश्न को सुने ही या उसके द्वारा कहे ही आप तुरन्त आदेश दे देते हैं—बैठो, कहने की कोई जरूरत नहीं है । तो आपको यह कैसे ज्ञात हो जाता है कि माननीय सदस्य का विचार या कहना क्या था ?

श्री अध्यक्ष—मैं बता दूं । जब कोई कार्यवाही सदन में होती हो तो उस कार्यवाही के संबंध में प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज हो सकता है । लेकिन अगर एक कार्यवाही समाप्त हो गयी है और दूसरी कार्यवाही आरम्भ नहीं हुई है और उस समय बीच में कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई ऐसी बात उठाना चाहता है जिसका संबंध उस कार्यवाही से नहीं है जो प्रारम्भ होने वाली है, अतः उस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, मेरा एक वैधानिक प्रश्न है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मान्यवर, एक व्यावहारिकता का प्रश्न है । कोई माननीय सदस्य व्यवस्था के प्रश्न पर उठा तो उसके कम से कम दो शब्द आप सुन लें। अभी मुंह से कुछ निकला ही नहीं, मन की बात मन में है, सब समझ लिया और उसको बैठा दिया। यह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—इस संबंध में आप लोग शाम को मुझसे मिल लें। हम लोग बैठकर विचार कर लेंगे ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, हमें आप मौका दें। व्यवस्था के प्रश्न पर मैं खड़ा हुआ हूं। इस पर आप व्यवस्था दें। श्रीमन्, हम लोगों ने जो आपसे व्यवस्था के लिये कहा था उसका मतलब यह कदापि नहीं था कि बिना हम लोगों को सुने ही आप माननीय रामायणराय जी, चन्द्रजीत जी, नरसिंह नारायण जी के विशेषाधिकार के प्रश्न पर व्यवस्था दे दें । सोशलिस्ट पार्टी बराबर यह मांग करती रही है और नरसिंह नरायण जी आपसे व्यवस्था देने के लिये मांग करते रहे तो उसका मतलब यह कतई नहीं था कि आप लोगों की राय ही न लें । अब भी श्रीमन्, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अपनी उस व्यवस्था पर पुनर्विचार करें और उस पर पुनः अपनी राय कायम करें।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं आपकी आज्ञा से बोलना चाहता हूं, केवल एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष—दीपनारायण सिंह जी, आप बैठें, मैं बोल रहा हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, व्यवस्था के प्रश्न के लिये यह व्यवस्था इस हाउस में रही है.....

श्री अध्यक्ष—अभी आप बैठिये, मैंने आपको नहीं बुलाया है । नियम में यह है कि जब मैं बुलाऊं तब आप बोलें ।

श्री उग्रसेन द्वारा अध्यक्ष के प्रति कथित आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—श्री बैजनाथ सिंह जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय उग्रसेन जी के विरुद्ध दिया है । वह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इस प्रकार है—

"मैं श्री उग्रसेन सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। आज दिनांक २०-९-६२ को आपने जब पुलिस के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर अपना निर्णय दिया उसके उपरान्त श्री उग्रसेन सिंह ने बिना आपकी आज्ञा लिये बोलना प्रारम्भ किया कि आपका विनिश्चय अन्यायपूर्ण है ।

श्री उग्रसेन जी ने दीपनारायण सिंह के विरुद्ध दिये हुये आपके विनिश्चय को भी अन्यायपूर्ण कहा—आप के विनिश्चयों के विरुद्ध आपत्ति करना और उन्हे अन्यायपूर्ण कदम कहना प्रक्रिया नियमावली की धारा २८६ व ३१८ का स्पष्ट उल्लंघन है तथा सदन का अपमान है और विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अपमान की परिधि में आता है । अतः आप उचित कार्यवाही इनके विरुद्ध करें । "

(श्री बैजनाथ सिंह से) माननीय उग्रसेन जी को आपने इसकी प्रतिलिपि दे दी है ?

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—मैंने आपको दो प्रति दी हैं ।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मुझे ऐसा लगता है कि आप तीन-चार चीजों को एक साथ कर देते हैं जिससे हम लोगों को साफ नहीं होता है कि यह चीज क्या है। पहले आप "स्वतंत्र भारत" का उद्धरण दे रहे थे कि हम लोगों के आप के नाम लिखे पत्र और अखबार में छपे बयान में कोई मेल नहीं है । उस पर यदि कोई मेम्बर कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ निवेदन करना चाहता है तो उनको पहले आप सुन लेते तो ज्यादा साफ हो जाता और फिर आगे बढ़ते । उसके बाद प्रिविलेज मोशन माननीय श्यामलाल ने जो उठाया, उससे हम लोगों को ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ और कुछ परेशानी भी हुई । हम जरूर जानना चाहते हैं कि कैसे उन्होंने हम लोगों को उस जुर्म में शामिल कर लिया । अच्छा होता कि पहले हम लोगों को समझा दिया जाता, फिर आप आगे बढ़ते । तो आप कृपा करके जो माननीय सदस्य किसी विषय पर बोलना चाहें पहले उन्हें सुन लें, तब आगे बढ़ें ताकि एक चीज खतम हो जाय तब दूसरी चीज ली जाय। तब मामला आगे बढ़ सकेगा।

श्री अध्यक्ष—तो मैं यह समझूं कि जो सूचना मुझे अपने कक्ष में बैठकर खारिज करने का अधिकार है वहीं आदेश कर दिया करूं और यहां बतलाने की आवश्यकता नहीं है ? अगर यही है तो ऐसा ही किया जायगा ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मेरे प्वाइन्ट आफ आर्डर के बारे में आप पुराने अध्यक्ष की रूलिंग को देख । उन्होंने कहा है कि बीच में किसी विषय के जारी रहने पर भी कोई माननीय सदस्य प्वाइंट आफ आर्डर प्रस्तुत कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष—वह ठीक है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अभी आपने रूलिंग दी. . .

श्री अध्यक्ष—मेरे मन में कोई दूसरी बात उठ सकती है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—तो बिना कार्यवाही के हम लोग कैसे बतला सकते हैं ?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—मुझे प्वाइंट आफ आर्डर के ऊपर कांस्टीट्यूशनली कुछ कहना है ।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त नहीं।

तो मैं समझता हूं कि उन (श्री उग्रसेन से) को कापी दे दी जाय। (श्री उग्रसेन से) बहरहाल आप नोटिस चाहते हैं। आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तब मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था।

(सचिव विधान सभा से) अगर ये नोटिस चाहते हैं तो नोटिस जरूर दे दी जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अगर किसी को नोटिस दी गयी हो और नोटिस देने का नियम हो तो मुझे भी दे दें।

श्री अध्यक्ष—सदन के समक्ष यह बात हुई। आपने कहा कि "मेरे साथ अन्याय हुआ है"। इस पर मैंने कहा कि आपने जो "अन्याय" शब्द का व्यवहार किया है वह असंसदीय है, और इसे आपको वापस लेना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—मेरा एक वैधानिक प्रश्न है।

श्री उग्रसेन—आपने कभी नहीं कहा था कि वापस लेना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—आपने कहा था कि आपने सदन का अवमान किया है।

श्री अध्यक्ष—आपने कहा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, जिस पर मैंने कहा था "माननीय उग्रसेन जी, जो आपने कहा है 'अन्याय हुआ है' यह सदन का अपमान है, मैं बतला देता हूं।"

(श्री काशीनाथ के खड़े होने पर) मैं अभी उग्रसेन जी से बात कर रहा हूं। आप बैठें।

(सचिव विधान सभा से) इन (श्री उग्रसेन) को नोटिस दी जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, कल जिस समय माननीय उग्रसेन जी ने यह कहा था कि यह अन्यायपूर्ण है या आपकी व्यवस्था उचित नहीं है, उस वक्त सदन नहीं चल रहा था और आज भी श्रीमन्, सदन. . . . .

श्री अध्यक्ष—यह प्रश्न इस वक्त नहीं है, आप बैठ जायं।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न है कि सदन में अध्यक्ष की हैसियत से इस वक्त आप विराजमान नहीं हैं, इसलिये पहले मेरी बात सुन लें तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष—इस वक्त प्रश्न यह है कि माननीय उग्रसेन जी को नोटिस दे दिया गया है। जो बयान नोटिस में है उसका जवाब वे देंगे। इस वक्त कोई वैधानिक प्रश्न नहीं उठता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—इसी वक्त मैं उठाना चाहता हूं। मेरी आपत्ति है कि इस वक्त यह सदन वैधानिक मर्यादा के अन्दर सुसंगठित नहीं है और उस दशा में इस कुर्सी पर आप अध्यक्ष की हैसियत से विराजमान नहीं हैं जब तक कि प्रस्ताव न हो जाय कि सदन का विश्वास अध्यक्ष महोदय में है और उसी हालत में सदन चल सकता है. . . . .

श्री अध्यक्ष—आप लिख कर दें।

श्री काशीनाथ मिश्र—यह वैधानिक व्यवस्था है कि किसी को जब नेम किया जाय तो नेता सदन या उन की जगह कोई और सदस्य प्रस्ताव करें। कल आपने जब श्री दीपनारायण सिंह जी को नेम किया तो उस के बाद फौरन मुख्य मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव नहीं आया। और

[श्री काशीनाथ मिश्र]

इस के माने यह हुये कि चेयर में नोकांफिडेंस हो गया । अगर तुरन्त ही आप के इंगित करने पर मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव नहीं किया तो वह सीधा अध्यक्ष में अविश्वास है ।

"Naming should be immediately followed by the resolution by the Leader of the house. No busines should crop up in between naming and resolution by the Leader of the House"

आप के नेमिंग के बाद माननीय गेंदा सिंह जी ने दूसरा प्रस्ताव. . . . .

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं, मैंने समझ लिया ।

श्री काशीनाथ मिश्र--मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज ४४६ पर इस सम्बन्ध में साफ लिखा है कि--

"When the Member had withdrawn, the House either proceeded to consider what punishment should be inflicted on him or deferred consideration of his conduct to a subsequent day."

जब सवाल उठ गया तो इंगित होने के बाद ही नेता सदन की तरफ से उनको किसी अवधि के लिये यहां से हटाये जाने का प्रस्ताव आना चाहिये था और जब मेम्बर विथड्रा कर ले तो उस के बाद उन को क्या सजा दी जाय यह सवाल पेश हुये हैं और बहस हुई है, यही प्रश्न गेंदा सिंह जी ने उठाया था कि पेश किया जाय । मैं यह भी पढ़ देता हूः--

"When a Member had been adjudged guilty of a contempt of the House, he was not allowed to take his place at a subsequent sitting, if some delay had occurred in agreeing to a further motion for his suspension or committal. When the House was moved to take action with regard to the conduct of a Member who had been named, the motion was open to debate and to amendment."

यह रिफ्रेन्स है । इस पर बहस होनी चाहिये थी लेकिन मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव नहीं किया । इसलिये मैं समझता हूं कि उस वक्त से अभी तक इस सदन की वैधानिक मर्यादा की व्यवस्था नहीं है जब तक कि मुख्य मंत्री जी प्रस्ताव न लायें कि हम अध्यक्ष में अपना विश्वास प्रकट करते हैं और उस पर सदन अपना मत व्यक्त न कर दें ; आप इस पर व्यवस्था दें, मैंने अपना वैधानिक प्रश्न उपस्थित कर दिया ।

श्री अध्यक्ष--इस प्रश्न को आप पहले लिख कर देते तो मैं देख कर आ जाता, अब मैं इस पर विचार कर लूं और इस पर अध्ययन कर लूं तब व्यवस्था दूंगा ।

श्री काशीनाथ मिश्र--तो इस समय फिर सदन चलेगा कैसे ?

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--पहले मैं काशी नाथ जी का तो जवाब दे दूं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जो प्रश्न अभी उठाया गया है वह आप से सम्बन्धित है, तो आप ही उस पर कैसे व्यवस्था दे सकते हैं यही मैं जानना चाहता हूं ।

श्री राधेश्याम शर्मा--अध्यक्ष महोदय. . . . . .

श्री अध्यक्ष--आप बैठ जायं ।

श्री राधेश्याम शर्मा--श्रीमन्, काशीनाथ जी के प्रश्न के अनुसार आप अध्यक्ष नहीं हैं तो आप उस पर व्यवस्था कसे दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री राधेश्याम शर्मा—आप अध्यक्ष नहीं हैं, व्यवस्था कैसे दे सकते हैं ? पहले तय कीजिये कि अध्यक्ष हैं कि नहीं ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, मैं समझता हूं, एक बड़ा मौलिक सिद्धान्त का प्रश्न उपस्थित हो गया है और आपने अगर तुरन्त ही रिजेक्ट कर दिया होता माननीय काशीनाथ की बात को, जो उन्होंने यह प्रश्न उठाया कि इस समय आपको किसी प्रकार से यह अधिकार नहीं है कि आप उस आसन को ग्रहण करें । मैंने जहां तक समझा, उनकी आपत्ति यही है, और जरा आप गौर करें, और आपने उसको रिजेक्ट नहीं किया, आपने विचाराधीन रखा है । अब कोई उपाय नहीं मालूम होता है जबतक कि आप उस पर निर्णय न दे दें तब तक आप हाउस के कार्य का संचालन करें ? मैं समझता हूं यह बहुत मुनासिब बात है ।

श्री उग्रसेन—जो प्रश्न माननीय राधेश्याम जी ने उठाया कि क्या आप सक्षम हैं इस विषय पर निर्णय देने के लिये, इस पर व्यवस्था दे दें । यह प्रिलिमिनरी इश्यू है ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें ।

श्री उग्रसेन—चूंकि आप कानून के माहिर हैं इसलिये "प्रिलिमिनरी" शब्द का मैंने इस्तेमाल किया ।

श्री अध्यक्ष—Article 19 of the constitution कहता है :

"A member holding office as Speaker or Deputy Speaker of an Assembly—

(*a*) shall vacate his office if he ceases to be a member of the Assembly ;

(*b*) may at any time by writing under his hand addressed, if such member is the Speaker, to the Deputy Speaker, and if such member is the Deputy Speaker, to the Speaker, resign his office ; and

(*c*) may be removed from his office by a resolution of the Assembly passed by a majority of all the then Members of the Assembly ;"

इनमें से कोई बात नहीं हुई इसलिये जो आपत्ति रखी गई है, वह गलत है और अस्वीकार की जाती है ।

(श्री टम्ब्रेश्वरी प्रसाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—हमारे प्वाइंट आफ आर्डर पर आपने व्यवस्था नहीं दी ।

श्री अध्यक्ष—मैं सक्षम हूं जब तक कि.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आप निवेदन तो करने दें ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये ।

श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं । मैंने टम्ब्रेश्वरी प्रसाद जी को बुलाया है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—संविधान की धारा १९४ (३) को जरा देखें जिसमें लिखा है :

"१९४—(३) अन्य बातों में राज्य के विधान मंडलके प्रत्येक सदन की, ऐसे विधान मंडल के तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की, शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी, जैसी वह विधान मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा पारिभाषित करे, तथा जब तक इस प्रकार पारिभाषित नहीं की जाती तब तक वे ही होंगी जो इस संविधान के प्रारम्भ पर इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट के हाउस आफ कामन्स की तथा उसके सदस्यों और समितियों की है।"

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपकी रूलिंग के बाद कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। (शोर)

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मेरे विचार से काशीनाथ जी ने जो प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया है उस सम्बन्ध में हाउस आफ कामन्स में क्या होता है यह आपको देखना पड़ेगा और उसी को देख कर आप निर्णय दे सकते हैं। संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उसमें इस प्रकार के अधिकार वर्णित नहीं हैं अतः जो हाउस आफ कामन्स की प्रथायें हैं उनको, जब तक अदर-वाइज न करें नियमों द्वारा, तब तक नहीं तोड़ सकते।

श्री अध्यक्ष—एक बात मैं कह दूं। जो माननीय बैजनाथ सिंह ने प्रश्न उठाया है वह यह है कि प्वाइंट आफ आर्डर पर किसी औचित्य....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—मान्यवर, आप ने उनको प्रश्न उठाने नहीं दिया। आप कहिये उनको कि प्रश्न उठावें। आप दूसरे की बात बिना कहे समझ जाते हैं, यह तो अजीब तरीका है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—बैजनाथ सिंह जी से आप कहिये कि वे प्रश्न उठायें। अभी उन्होंने प्रश्न उपस्थित नहीं किया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—एक वैधानिक आपत्ति होते हुये वह कैसे बीच में दूसरी वधानिक आपत्ति उठा सकते हैं? आप पहले मेरे प्रश्न पर रूलिंग दे दें।

श्री उग्रसेन—आप किस सम्बन्ध में निवेदन कर रहे हैं और निवेदन का क्या असर हो रहा है और यह वाद विवाद किस विषय पर हो रहा है? काशीनाथ जी ने जो प्रश्न उठाया है उसके तहत में व्यवस्था के ये प्रश्न उठ रहे हैं? उसके ऊपर ध्यान आप के द्वारा दिया जा रहा है या बैजनाथ जी के सवाल पर विचार कर रहे हैं या कोई अन्य निवेदन कर रहे हैं, स्थिति आप अपनी स्पष्ट कीजिये।

श्री अध्यक्ष—मैं स्पष्ट कर रहा हूं। काशीनाथ जी द्वारा प्रश्न उठाया गया था। वह एक प्वाइंट आफ आर्डर था। उनका कहना यह था कि इस समय यह हाउस प्रापर्ली कांस्टीट्युटेड नहीं है क्योंकि स्पीकर यहां मौजूद नहीं है। अब उस सम्बन्ध में मैंने एक व्यवस्था दी।

श्री काशीनाथ मिश्र—मेरा प्रश्न यह था.....

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आप बैठें।

श्री काशीनाथ मिश्र—When I am being misinterpreted by the chair, I have got every right to speak. आप गलत तरीके से मेरी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। मेरा यह प्रश्न था कि इस सदन में अब कार्यवाही नहीं होगी। श्रीमन् पर अब अविश्वास हो गया है। कल जब आपने नेम किया तो फौरन ही मुख्य मंत्री को उठना चाहिये था मगर वह नहीं उठे। तो इसके मानी यह हुये कि आप पर वोट आफ नो कांफिडेन्स है।

दूसरी आपत्ति यह है कि जब दीपनारायण जी को आपने इंगित किया तो वह चले गये । माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि आपके इंगित करने पर वह चले गये और प्रस्ताव कोई नहीं आया । हाउस आफ कामन्स की परम्परा के अनुसार ऐसे प्रस्तावों पर अमेंडमेंट हुए हैं और बहस हुई है । इस पर आपने मुख्य मंत्री की तरफ इंशारा किया कि हमारे इंगित करने पर वह प्रस्ताव लावें । तो सारी प्रक्रियायें जो हाउस आफ कामन्स की हैं उनके प्रतिकूल हुआ और उन प्रक्रियाओं ने यह हालत पैदा कर दी है कि आप में विश्वास नहीं रहा । सदन का आपमें विश्वास सोक करने के लिये कोई प्रस्ताव आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—परिणाम सारी बहस का यह होता है चूंकि हाउस का अविश्वास हो गया है इस कारण आप इस आसन पर नहीं बैठ सकते, न व्यवस्था दे सकते हैं। यही बहस तो हुई । यही मैं कह रहा हूं कि मैं स्पीकर नहीं रहा, यदि एक नो कॉंफिडेंस की स्थिति पैदा हो गयी है । अतः मैं स्पीकर नहीं हूं । स्पीकर चूंकि नहीं हूं इस वजह से यह हाउस हमारे नियमानुसार प्रापर्ली कॉंस्टीट्यूटेड नहीं है । यही तो आपका प्रश्न हो जाता है ? इसका उत्तर मैं दे रहा हूं (व्यवधान) आप नहीं सुनना चाहते क्या ?

श्री काशीनाथ मिश्र—फिर एक वैधानिक स्थिति पैदा हो जाती है । जब आप स्पीकर नही हैं, जब आप पर अविश्वास है सदन को जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो आप सक्षम हैं इस सीट पर बैठे रहने के ?

श्री अध्यक्ष—अब इसकी व्यवस्था कौन देगा ? जो प्रश्न आपने उठाया है कोई तय करेगा अथवा नहीं ।

श्री राधेश्याम शर्मा—जो प्रश्न है . . .

श्री अध्यक्ष—बैठिये, मुझे समाप्त कर लेने दीजिये । अविश्वास हुआ या नहीं यह तय करने वाला मैं हूं । यह बात नहीं मानी जा सकती है कि आपने बहस कर दी और वह ठीक हो गयी । बहस आपकी है वह मैं अस्वीकार करता हूं और जब एक मर्तबा वह अस्वीकार हो गयी तो अब कोई प्रश्न नो-कॉंफीडेंस का नहीं रहता । अब आप उसके ऊपर कुछ तर्क रखना चाहते हैं । मैं आपका ध्यान नियम ३०० (४) के प्रति आकर्षित करता हूं कि किसी अनुचित प्रश्न पर वादविवाद की अनुज्ञा नहीं दी जायगी । अतः मैं उस पर वाद विवाद की अनुज्ञा नहीं देता । अब आप कृपा कर के बैठ जाइये । (व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त—अध्यक्ष महोदय, अभी आज ही सारे विरोधी दलों ने मिल कर एक प्रस्ताव श्रीमान् के पास भेजा है जिसमें जो आपने कल रूलिंग दी है उसको गलत कहा गया है । अब अगर वह प्रस्ताव पास होता है तो वह एक नो-कान्फीडेन्स की स्थिति लायेगा । ऐसी स्थिति में क्या श्रीमान् सक्षम हैं कि आज की कार्यवाही उस प्रस्ताव के रहते हुये. . . .

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—हां, अधिकार है ।

श्री उग्रसेन—क्या उन्हें अधिकार है सीधे बात करने का ? आप इस पर क्यों नहीं व्यवस्था देते हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—मैंने कहा तो है । माननीय दुबेजी, आप जारी रखें ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—तो उस प्रस्ताव के रहते क्या आज की सारी कार्यवाही और आज के सारे निर्णय नियमतः सक्षम होंगे या नहीं ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि एक प्रस्ताव की नोटिस आ गयी लिहाजा You have ceased to be the Speaker. रेजोल्यूशन जब तक पास न हो, कौन कहता है कि रेजोल्यूशन पास हो जायगा । अगर न पास हुआ तो कैसे सीज कर जायेंगे, मेरी समझ में यह बात नहीं आयी । (व्यवधान)

श्री गेंदा सिंह—माननीय उपनेता सदन की बात मैंने सुनी और आपने जो आदेश दिया वह भी सुना । मैं ऐसा समझता हूं कि काशीनाथ जी का जो प्रश्न था उसको आपन उस वक्त अस्वीकार नहीं किया जिस वक्त उन्होंने उसको उठाया । आपने अस्वीकार उस वक्त किया जब मैंने यह प्वाँइट आउट किया कि उस प्रस्ताव के विचाराधीन रहते हुये यह हाउस प्रापरली कांस्टीट्यूटेड नहीं हैं, इसका कार्य संचालन नहीं हो सकता । आप जरा गौर करें कि एक बार तो आपने माननीय काशीनाथ जी द्वारा उठाये गये प्रश्न को बिचाराधीन रखा और दूसरी बार जब हमने कहा कि अब इस हाउस का कार्य नहीं चल सकता तो आपने उस बात को देखते हुये उसको रिजेक्ट कर दिया । जरा इस बात को देखें कि यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि स्पीकर के विरुद्ध इस तरह कहने की नौबत किसी को आये लेकिन अगर यह नौबत आ गयी तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल उचित है, क्या बात है ? उसमें तो सिर्फ इतनी ही बात है कि नेता सदन को उठ कर विश्वास का प्रस्ताव ले आना चाहिये । (नहीं, नहीं की आवाजें) न लाइये । लेकिन अब उस पर कुछ विचार हो जाने दें । सवाल एक ही है कि क्या काशीनाथजी वाले प्रश्न पर आप व्यवस्था दे सकते हैं या नहीं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—देखिये, मैं व्यवस्था दे सकता हूं, यही समझ कर मैंने व्यवस्था दी और जब तक कोई प्रस्ताव स्वीकृत न हो जाय कोई प्रश्न मेरे अधिकारों से वंचित होने का नहीं है । माननीय नेता विरोधी दल ने एक प्रश्न रखा । मैं माननीय उपनेता सदन से सहमत हूं और उसके साथ-साथ एक और बात बता दूं कि अगर कोई प्रस्ताव इस प्रकार का आये जो कि नियमतः नहीं आ सकता है तो यह विदाउट जूरिस्डिक्शन आर एबनिशियो इनवैलिड है यानी जो चीज नहीं आ सकती है अगर वह आ जाय तो प्रारम्भ से ही अनुचित और नियम विपरीत है । इसमें कोई नोटिस नहीं ले सकते हैं । नियम ३१८ में यह है कि अध्यक्ष के विनिश्चय पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी। नियम इस प्रकार है कि—"३१८—अध्यक्ष के विनिश्चय पर आपत्ति नहीं की जायगी—किसी संकल्प या प्रश्न की अनुज्ञा के बारे में या किसी अन्य विषय में अध्यक्ष का जो विनिश्चय हो, उस पर कोई आपत्ति नहीं की जायगी ।" तो जब एक मर्तबा कोई प्वाइंट आफ आर्डर या कोई भी विनिश्चय कर दिया है तो उसके संबंध में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है ।

अब मेरे सामने जो प्रस्ताव आया है कि आपकी रूलिंग अनियमित थी या अनुचित थी और सदन उसे अस्वीकार करे तो आपके सामने प्रश्न यह है कि क्या इस सदन को मेरे विनिश्चय पर विचार करने का अधिकार है ?

श्री दीपनारायणसिंह—जी हां ।

श्री अध्यक्ष—दीपनारायण जी, आप बैठिये ।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं रूलिंग दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—आप रूलिंग दें । लेकिन प्रश्न यह है कि एक मर्तबा विनिश्चय हो चुका है तो सवाल आता है कि क्या सदन इस पर विचार कर सकता है ?

श्री दीपनारायणसिंह—अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष—इस पर वादविवाद नहीं हो सकता....

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, एक वाक्य....

श्री अध्यक्ष—माननीय रामसुन्दर जी, बैठ जाइये । पहले मैं समाप्त कर लूं तब आप बोल सकते हैं । जब तक मैं बोल रहा हूं, आप नहीं बोल सकते हैं ।

श्री उमाशंकर—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—आप खामोश रहिये । माननीय उमाशंकर जी, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बैठ जायं । नियम ३१८ में यह है कि—

"318. Speaker's decision not to be questioned—No decision of the Speaker in respect of disallowance of any resolution or question or in respect of any other matter shall be questioned."

इसके संबंध में यहां कोई तर्क पैदा नहीं हो सकता है ।

श्री दीपनारायणसिंह—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—माननीय दीपनारायण जी, मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बैठ जायं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष जी, आपने वायदा किया था कि आपके बोलने के बाद मैं कहूं, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि .....

श्री अध्यक्ष—इसके बारे में कुछ नहीं होगा ।

श्री उमाशंकर—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे कहता हूं कि आप बैठ जायं । अब कोई बात नहीं होगी । जो हमारे नियम हैं उनके अन्तर्गत कोई बात नहीं सुनी जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—जो कुछ आपको कहना हो, मुझे लिखकर सूचना द्वारा बता सकते हैं, इस तरह से नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—आप सुनना नहीं चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष—अब कोई बात नहीं होगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, एक नहीं....

श्री अध्यक्ष—मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बैठ जायं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—आप हमारी बात सुन लें....

श्री अध्यक्ष—अब कोई बात नहीं सुनी जायगी । माननीय रामसुन्दर जी, आप बैठ जायं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, हमारा बड़ा वैधानिक प्रश्न है । ऐसे कैसे चलेगा ? आप माननीय सदन के अध्यक्ष हैं । सारी कार्यवाही कानून और कायदे के अनुसार संचालित होगी ।

श्री अध्यक्ष—काशीनाथ जी, आप बैठ जाइये । कृपा कर आप आसन ग्रहण करें, मैं कोई बहस नहीं सुनना चाहता ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न....

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर प्लीज । मैं नियम ५२ की सूचनाएं डील कर रहा हूं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं....

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर प्लीज ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—आप एजेंडे के मुताबिक चलेंगे या बगैर एजेंडे के ? तीन नम्बर पर है कि उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ के संबंध में एक याचिका उपस्थित करेंगे । जरा आप देख लें ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय अध्यक्ष जी . . . .

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मेरी बात सुन लें । एक व्यवस्था का सवाल है ।

श्री अध्यक्ष—कहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—हमारा बारह साल का तजुरबा यह है कि आपके पहले जितने माननीय अध्यक्ष रहे उन्होंने सदन में दिये हुए अपने विनिश्चयों पर ३० बार, ५० बार विचार किया और उनको बदला है । आपने कहा कि हमने जो निश्चय किर लिया है उस पर विचार नहीं हो सकता है, सदन को अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि पिछले बारह सालों में माननीय अध्यक्ष महोदयों ने, हमने दो तीन अध्यक्षों को देखा है, उन्होंने अपने विनिश्चयों को कई बार बदला है और सदन को सुनाया है । अगर आप कहेंगे तो मैं सबूत दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं खुद कह चुका हूं कि मैं इंसान हूं । मैं गलती कर सकता हूं । गलती हो सकती है लेकिन गलती का परिमार्जन इस तरह से सदन में नहीं हो सकता । हम बैठ कर हमेशा विचार कर सकते हैं ।

(श्री उग्रसेन के खड़े होने पर) माननीय उग्रसेन जी, बैठिये ।

श्री उग्रसेन—अगर आप कहते हैं कि बैठ कर बात करें, तो आपने उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन कर दिया कि कहाँ बैठ कर बात करें । माननीय अध्यक्षों को नाराज नहीं होना चाहिये । आप नाराज न हों । हम तो नौजवान हैं । आप तो बुड्ढे हुए । हमारा कहना यह है कि जो अन्यान्य नेता विरोधी दलों ने आपको लिख कर दिया है, जो व्यवस्था आपने माननीय चन्द्रजीत यादव, रामायण राय और नरसिंह नारायण के विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्नों पर दी थी, उसको आप वापस लें, उस पर आप पुनर्विचार करें ।

श्री अध्यक्ष—वह तो आप कह चुके ।

श्री उग्रसेन—उसके संबंध में सफाई तो हुई नहीं । नेता विरोधी दल को पाँच मिनट का समय दे दें कि उसको साफ करें । उसकी सफाई नहीं हुई तो हमें संतोष कैसे हो ?

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—मैं आपकी रूलिंग कोट करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—अब कोई बहस नहीं होगी ।

उत्तर प्रदेश जोत कर विधेयक, १९६२ के संबंध में याचिका

श्री अध्यक्ष—माननीय नरसिंह नारायण पाँडेय एक याचिका उपस्थित करेंगे जो मेरे पास आयी है, जो नियमानुसार है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो याचिका उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा दी गयी है, मैं आपकी आज्ञा से सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं और आपसे प्रार्थना है कि आप इसको याचिका समिति के पास भेजने की कृपा करें ।

सेवा में,

आदरणीय विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
द्वारा श्री नरसिंहनारायण पांडेय,
सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

हम उत्तर प्रदेश के किसान आपके द्वारा माननीय सदन का ध्यान अपनी दुर्दशा तथा गरीबी की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं ।

१—कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन के समय हम किसानों को आश्वासन दिया गया था कि ४० वर्षों तक किसी प्रकार की मालगुजारी हम किसानों के ऊपर नहीं लगाई जायेगी ।

२—कि १९३६-३७ में ऐग्रेरियन कमेटी तथा टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि हम किसानों के ऊपर उत्तर प्रदेश में कर-भार उत्पादन से अनुपात में अधिक है अतः आर्थिक स्थिति को देखते हुए किसी प्रकार का कर-भार आगे नहीं बढ़ाया जायगा ।

३—कि स्वराज्य के पहले और बाद में भी शासनारूढ़ पार्टी ने वादा किया था कि साढ़े छः एकड़ यानी १० बीघा जो अलाभकर जोत है उस पर किसी प्रकार की मालजुजारी हम किसानों से नहीं ली जायेगी ।

४—कि सरकार ने अपनी घोषित नीति को कि चीजों का मूल्य स्थिर कर प्रदेश में जन-कल्याणकारी मूल्य नीति कायम की जायगी और कृषि वस्तुओं तथा कारखाने में बनी चीजों के मूल्य में समानता तथा एकरूपता लाई जायगी, इस नीति को प्रतिपादित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप चीजों का भाव दिन प्रतिदिन ऊंचा होता जा रहा है और हम किसानों को महंगी का सामना करना पड़ रहा है . . . .

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठें । बातचीत अगर करना चाहते हैं तो लाबीज में चले जायं । मैं सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनों से कह देना चाहता हूं कि सदन में बात बहुत होती है, ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—५—कि प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजनाओं के पूर्ण होने पर भी हम किसानों की आय में बढ़ोतरी के स्थान पर ह्रास हुआ है जिससे आर्थिक स्थिति जर्जर हो गई है ।

६—कि सिंचाई के रिबेट को वापस लेकर तथा बिजली की दर को बढ़ाकर हम किसानों के सामने सिंचाई की एक विकट स्थिति पैदा कर दिया गया है जिससे किसान नलकूपों से पानी नहीं ले पायेंगे और इस प्रकार देश के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ेगा और उपज में भी कमी होगी ।

७—कि गन्ने का भाव अब चीनी के परते से दिया जायगा के सरकारी आदेश से हम किसानों को करोड़ों रुपये की हानि उठानी पड़ेगी तथा ट्यूबवेल पर खर्चा भी बेकार हो जायगा ।

८—कि स्कूल-फीस, रेल भाड़ा, बिक्री-कर, बस भाड़ा तथा स्टाम्प ड्यूटी इत्यादि में बढ़ोत्तरी के कारण हमारा जीवनयापन पहले से दूभर हो चुका है ।

९—कि प्रदेश में नदियों की बाढ़ के कारण जो कुछ भी खेत और घर में था वह बाढ़ में समाप्त हो गया है, अतः दयनीय स्थिति हो गई है और भुखमरी की स्थिति व्याप्त है तथा क्रय-शक्ति क्षीण हो गई है ।

[श्री नरसिंहनारायण पांडेय]

उपरोक्त बातों तथा हमारी दयनीय तथा अधिक कर न देने की शक्ति को ध्यान में रखते हुए हमारी आपसे प्रार्थना है कि :—

उत्तर प्रदेश जोतकर विधेयक, १९६२ जो सदन में पुरःस्थापित किया गया है को वापस लिया जाय तथा इस विधेयक द्वारा किसानों की जोत पर किसी प्रकार का भी कर-भार न लगाया जाये ।

प्रार्थीगण

१—मदन पाँडेय, ग्राम पो० सिसवा बाजार, तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर ।

२—अमरनाथ मिश्र, ग्राम ढकही, पो० घुघली बाजार, तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर ।

३—अब्दुल रऊफ लारी, ग्रा० पो० नौतनवां बाजार, तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर ।

४—छोटकन दास, ग्रा० खालिकगढ़, तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर ।

५—राज बली पाँडेय, ग्रा० बनियादारी, तहसील खलीलाबाद, जिला बस्ती ।

६—बलिराज यादव, ग्रा० मटिहनवां, तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर ।

७—महादेव प्रसाद सिंहानियाँ, ग्रा० पो० बृजमनगंज, तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर ।

८—चन्द्र मौलेश्वर मणि त्रिपाठी, ग्राम धानीं, तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर ।

९—दुनियां मणि त्रिपाठी, ग्राम धानी, तहसील फरेंदा, जिला गोरखपुर ।

यह याचिका प्रस्तुत है और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसको याचिका समिति के पास भेजा जाय ।

श्री अध्यक्ष—यह नियमानुकूल है और मैं इसको याचिका समिति को निर्दिष्ट करता हूं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—कार्य-स्थगन प्रस्ताव एक चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के संबंध में है । उसको मैंने अस्वीकार किया है इस वास्ते कि उस पर पर्याप्त बहस हो चुकी है । अब नियम ५२ के अन्तर्गत. . . . (व्यवधान)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, यह जो कार्य-स्थगन प्रस्ताव चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के संबंध में हमने दिया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस पर गवर्नमेंट को हस्तक्षेप करना चाहिये . . . .

श्री अध्यक्ष—देखिए, मैं बता दूं रामकिशोर जी, कि यह जितनी भी सूचनायें आती हैं उन पर मैं अपने हाथ से वह कारण लिख देता हूं जिन कारणों से वह अस्वीकृत होते हैं । तो जो माननीय सदस्य आवश्यक समझें वह मेरे दफ्तर में उन आदेशों को देख लें । अगर उसमें, जैसा मैंने कल कहा था कि कोई अड़चन मालूम हो या आपके समझ में आता हो कि यह गलत है, तो हम और आप बातचीत करके दूसरे दिन के लिये उसे रख सकते हैं । (व्यवधान)

(श्री काशीनाथ के खड़े होने पर) आप बैठ जाइए ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—आप हमारी इतनी बात सुन लें कि चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में १८ आदमी गिरफ्तार हैं । पी० ए० सी० लगी हुई है । उसके बारे में आप सरकार को निर्दिष्ट करें कि सरकार उस पर तुरन्त कार्यवाही करे ।

श्री अध्यक्ष—मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय राधेश्याम जी का एक प्रस्ताव आया है जो इस प्रकार है :—

"मथुरा जिले में गत सप्ताह भारी वर्षा होने के कारण तहसील माट क्षेत्र के लगभग छोटे बड़े सौ गांव गरकी से बिल्कुल तबाह हो गये हैं, फसल बिल्कुल नष्ट हो गई है, मवेशी चारे बिना भूखे मर रहे हैं। नाना प्रकार के भयंकर मलेरिया जैसे रोग जोर पकड़ रहे हैं। इस गरकी क्षेत्र के विद्यालय बन्द हो गये हैं। पानी इतना ज्यादा भरा पड़ा है कि एक गांव से दूसरे गांव जाने तक को बिलकुल निकलना मुश्किल है। गांव में कच्चे घर ७० प्रतिशत गिर चुके हैं। क्षेत्र के नाले नालियां इतने पानी से उफन कर चल रहे हैं कि एक दूसरे में मिल गये हैं। सिचाई विभाग नाले खोद कर ही रह गया है। उनकी सफाई का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया है। कुछ नाले अधूरे छोड़ दिये हैं जिनके कारण अन्य जगहों का पानी भी इस गरकी क्षेत्रों में जोरों से आ रहा है। जो गांव इस समय बिल्कुल आपदाग्रस्त प्रलय के मुंह में हैं उनके नाम संक्षेप में ये हैं : राजागढ़ी, तुलागढ़ी, नयाबास, सुदामा गढ़ी, जाबरा, चौकड़ा, कराहरी, डडीसरा, इरौली, कुडवारा, लालगढ़ी, नीवगांव जैसे आदि प्रमुख १०० गांव हैं। इस गरकी के प्रकोप से क्षेत्र की लगभग २० हजार जनता व अगण्य पशुधन काल के गाल में है। संकट का निवारण शीघ्र नहीं किया गया तो हजारों दुर्घटनाओं के समाचार निकट भविष्य में घट सकते हैं" तो मैं माननीय राजस्व मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह इस पर कब तक वक्तव्य देंगे ?

माल मंत्री (श्री हुकमसिंह विसेन)—इसमें एक सप्ताह लगेगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—इसमें स्पष्ट तारीख बतला दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—वह एक सप्ताह में बयान दे देंगे।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—मैंने जो अपना प्रस्ताव भेजा था उसके सम्बन्ध में तीन रोज का समय हो चुका है। हजारों आदमी शिकोहाबाद में इस समय परेशान हैं।

श्री अध्यक्ष—मैंने आप से कहा था कि आप उसमें लिख दीजियेगा कि केवल वक्तव्य से आप सन्तुष्ट हो जायंगे। वह आपने नहीं लिखा।

श्री बलवानसिंह—मैंने लिखकर दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—आपने दे दिया है तो मैं भेज दूंगा।

श्री बलवानसिंह—वहां पर दुकानें बन्द हैं और स्कूल कालेज भी बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष—उसमें अगर आपने लिख दिया है तो वह हो जायगा।

श्री बलवानसिंह—कब तक वह अपना वक्तव्य देंगे ?

श्री अध्यक्ष—मैं उसको उनके पास भेज दूंगा।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—मैंने भी एक प्रस्ताव नियम ५२ के अन्तर्गत आपके पास भेजा था। मौनीदास साधू हैं उनको साइकिल की चोरी में पकड़ लिया गया है।

श्री अध्यक्ष—मैं उसको देख कर बतला सकता हूं। अभी मैंने उसको देखा नहीं है।

श्री चन्द्रबलीसिंह—वह बड़ा जरूरी है....

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठ जायें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किसी विषय पर कामरोको प्रस्ताव या नियम ५२ के अन्दर कोई प्रस्ताव इस सदन में अगर आ चुका है और उस पर बहस हो चुकी है तो वह समाप्त हो गया लेकिन जिस स्थिति पर वह कामरोको प्रस्ताव या नियम ५२ के अन्तर्गत प्रस्ताव आया है वह स्थिति जारी है और उसमें बदतरी

[श्री झारखंडेराय]

आ गयी, तो क्या उस पर काम रोको प्रस्ताव या नियम ५२ द्वारा नहीं आ सकता केवल इसलिये कि उस पर एक बार बहस हो चुकी है और इस बुनियाद पर उसे अस्वीकार करना कहां तक सही है इस पर मैं आप की व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—एक कानूनी सवाल का, इस तरह से जवाब नहीं दिया जा सकता जब तक कि घटनायें या तथ्य, जो उसमें दिए हुए हैं, वे न देखे जायं। यह हो सकता है कि जो तथ्य पहली बार दिये गये थे उन्हीं तथ्यों को लेकर भीषण दशा दूसरी बार हो सकती है। तो यह तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर किसी विशेष बात के लिये आप को कहना हो तो मेरे कमरे में आकर बात कर लें।

श्री झारखंडेराय—चुर्क सीमेंट फैक्ट्री के बारे में जो कामरोको प्रस्ताव या नियम ५२ आया था उस पर जब आपने बहस की आज्ञा दी थी उसके बाद परिस्थिति बहुत बदल गयी है। गिरफ्तारियां, पुलिस का आतंक और मारपीट की घटनाएं वहां हुई हैं। उसके आगे अनेक गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। इसलिये आपको कोई न कोई आज्ञा उस सम्बन्ध में अवश्य देनी चाहिये यह मेरी प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष—माननीय झारखंडे राय जी, आप मेरे कमरे में आकर बात कर लें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैंने भी एक नियम ५२ में दिया था। न हो तो कम से कम उसे पढ़ कर तो सुना ही दें, उसी से मुझे सन्तोष हो जायगा। मैंने उसमें एक ही बात लिखी है कि आपको डांटा गया, साथ ही साथ जो अधिनायक तंत्री व्यवस्था कायम की जा रही है यह गलत बात है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—कमला सिंह जी, मैं आप से निवेदन कर दूं कि इस समय सदन के सामने कोई विषय नहीं है। आप क्या व्यवस्था उठा रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—सदन के कार्य के बारे में मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो यह समाप्त कर लूं। जो नियम ५२ के या कार्य-स्थगन प्रस्ताव हैं उनको पहले समाप्त कर लूं। उसके बाद जब कार्य प्रारम्भ होगा उस समय आप कहियेगा। अभी वह नहीं आ सकता।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—एक निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—नहीं, इस समय कोई निवेदन नहीं होना चाहिये।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—बहुत ही महत्वपर्ण विषय है.....

श्री अध्यक्ष—बैठ जाइये। जब समय आयेगा तब आप बोलेंगे।

गृह मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के संबंध में प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—यह मेरे पास दो प्रस्ताव आये हैं। एक तो माननीय गेंदासिंह जी का है और एक पर हमारे विरोधी दल के सभी नेताओं के हस्ताक्षर किये हुए हैं, केवल माननीय राहत मौलाई के नहीं हैं। दोनों की शब्दावली एक ही है। निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। "गत दिनांक २०-९-६२ को माननीय अध्यक्ष द्वारा रामायण राय, नरसिंह नारायण

पाण्डेय तथा चन्द्रजीत यादव जी द्वारा गृह मंत्री आदि के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर दी गयी व्यवस्था को सदन अस्वीकृत करे।" यही शब्द इस के भी हैं। "निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। गत दिनांक २०-९-६२ को माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री रामायण राय, श्री नरसिंह नारायण पांडेय तथा श्री चन्द्रजीत यादव द्वारा गृह मंत्री आदि के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर दी गयी व्यवस्था को यह सदन अस्वीकृत करता है।"

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—अच्छा होगा श्रीमन्, कि सब की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया है उस पर व्यवस्था दी जाय।

श्री अध्यक्ष—शब्द एक ही हैं। तो जैसा मैंने निवेदन किया कि नियम ३१८ के अन्तर्गत ऐसा विषय सदन के समक्ष नहीं आ सकता और इसलिये नियम के विरुद्ध होने के कारण मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हो रहा हूं।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं और मैं आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह मोशन अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष—उसके लिये दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप लिख कर प्वाइन्ट्स दे दें, तो मैं स्वयं देख लूंगा और उस पर विचार हो जाय। दूसरा तरीका यह है कि आप दूसरा मोशन भी दे सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था देने के बाद फिर आप उसके ऊपर देंगे। परन्तु व्यवस्था उसी सूरत में बदलूंगा जब आप कोई दूसरा नोटिस दे दें।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जब आप कोई व्यवस्था देते हैं, अन्तिम रूप से, मैं पहले भी अपील कर चुका हूं कि उस पर आप १-२ बात सुन तो लेते। परन्तु आप रूलिंग दे देते हैं। फिर उस पर कोई क्या बहस करेगा?

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—अध्यक्ष महोदय, आप स्वर्गीय टंडन जी का उदाहरण लें। उन्होंने सदन के बाहर अखबारों में छपी हुई बात पर कहा था कि मैं अब अध्यक्ष पद नहीं ग्रहण करूंगा, हमारे माननीय सदस्य हमारे खिलाफ क्यों गए। इसलिये मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि जब हम लोग बार बार कहते हैं आपसे इस पर व्यवस्था चाहते हैं, इसलिये आप स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन जी की परम्पराओं को देखें और उनका अनुसरण करें।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठिये।

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)—श्रीमन्, यदि आप की आज्ञा हो तो मैं भी कुछ निवेदन करूं। माननीय उग्रसेन जी जो कभी-कभी स्वर्गीय टंडन जी का उदाहरण देते हैं तो वे उस जमाने में तो स्वयं थे नहीं और न ऐसा विरोधी दल ही था।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जब एक सदस्य का आपने नाम पुकारा तो यह कैसे बीच में बोलने लगे।

श्री अध्यक्ष—आप जरा मेरी बात तो सुनिये। यदि कोई माननीय सदस्य स्वयं बैठ जायें तो अध्यक्ष दूसरे को इजाजत देता है कि बोलें। यदि वह खड़े रहें तो यह नहीं बोल सकते।

(व्यवधान)

श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आप ने एक व्यवस्था दी.....

श्री अध्यक्ष—मैंने यह कहा कि मैं असमर्थ अपने को पा रहा हूं।

श्री गेंदासिंह—श्रीमन्, मैं आप को समर्थ कर रहा हूं। यदि आप आज्ञा दें तो मैं यह हाउस आफ कामन्स की प्रोसीडिंग्स आप की सेवा में पढ़ दूं। इसके वाल्यूम नम्बर ६२७, पृष्ठ २३५५ पर इसमें यह स्पष्ट लिखा है कि—

"I have given the matter the best consideration I can and I have reached the firm conclusion that is not so with regard to either position. I think it best to emphasize once again the effect of my opinion thus expressed. It has no bearing whatever on the substantive question of whether a breach of privilege has been committed. Only the House can decide that."

श्री नवलकिशोर जी तो इसे समझ गये होंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—मैं चाहूंगा कि इसे आप मेरे पास भेज दें, मैं उसको देखूंगा।

श्री गेंदासिंह—तो जो उस पर आपने विचार किया, उसको अन्डर कन्सीडरेशन रखें आप?

श्री अध्यक्ष—वह अन्डर कन्सीडरेशन रहेगा।

असरकारी कार्य को पूर्व निश्चयानुसार न लेने पर आपत्ति

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—तो यह प्रस्ताव लिया है आपने....

श्री अध्यक्ष—जी हां। माननीय गेंदासिंह जी ने जो दिया है मैं उसे स्टडी कर लूंगा।

श्री यादवेन्द्र दत्त—तो आप, आगे बहस की जाय यह लेने जा रहे हैं?

श्री अध्यक्ष—हां।

श्री यादवेन्द्रदत्त—इसमें मुझे आपत्ति है। इस सदन की यह परिपाटी रही है कि जब कोई चीज म्युचुअल तरीके से तय हो जाती है तो वह हाउस में आ जाती है। जहां तक मेरी याददाश्त है वह यह है, शायद माननीय गेंदा सिंह जी, उग्रसेन जी, झारखंडे राय जी सभी को स्मरण होगा, तय यह हो गया था कि असरकारी दिन २२ को लिया जायेगा, लेकिन बिना हमसे कन्सल्टेशन किये हुये और बिना हमारी सहमति के यह आज कैसे आ गया? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कल सारे विधेयक १५ मिनट में पास हो गये। श्रीमन्, आपकी कल की व्यवस्था और कल के कार्यक्रम से मुझे दुख है। सन् १९२६ में सरदार विट्ठल भाई पटेल, जो उस समय सेन्ट्रल असेम्बली के स्पीकर थे, द्वारा दी गयी एक व्यवस्था पर कुठाराघात हो गया। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसे आपके सामने रख दूं। उस समय भी करीब-करीब ऐसी ही स्थिति थी और उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू विरोधी दल में बैठे हुये थे और उस समय उनका मुख्य विरोधी दल था। उन्होंने उस समय वाक आउट किया था।

श्री अध्यक्ष—मैं एक बात निवेदन कर दूं। मैं यह समझा, आप यह कह रहे थे कि चूंकि असरकारी दिन कल था, आज कैसे बिना हमारी सहमति के आया। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि यदि आपको बिल्कुल यह मंजूर नहीं है कि असरकारी कार्य आज लिया जाय, तो मैं उसको कल ले सकता हूं, आज उसको स्थगित कर दूंगा। मुझे उसमें एतराज नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—लंच का आधा घंटा ले लिया जाय आज...

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त—आप कृपया मेरी बात सुन लें। मैं यह कहा रहा था कि जब उन्होंने सदन में वाक आउट किया तो उस समय सरदार पटेल साहब ने एक रूलिंग दी...

श्री अध्यक्ष—कौन-सा पेज है ?

श्री यादवेन्द्रदत्त—पृष्ठ २१४८ है। लेजिस्लेटिव असेम्बली की रिपोर्ट है, ३–४ मार्च, १९२६ की। उसका निष्कर्ष यह है—

तो उन्होंने इस प्रकार उसको कांक्लूड किया है—

"I hope and trust that the Government will so act in carrying on the business of this Assembly hereafter that the chair will not be compelled to resort to its extraordinary powers. I think it is necessary in the present atmosphere to adjourn this House till tomorrow morning at 11 o'clock." [The Legislative Assembly (Central) Debates, dated 8th March, 1926, page 2148].

जब मुख्य विरोधी दल ने वाक् आउट वहां किया था तो यह हुआ था और यहां पर मैं समझता हूं कि कल सारे विरोधी दलों न अपने को हाउस से विदड्रा किया तो, अध्यक्ष महोदय, उचित यह था कि आप कल यहां पर प्रोसीडिंग्ज न करते लेकिन उस रूलिंग पर कुठाराघात करते हुये जबरदस्ती प्रोसीडिंग्ज की गयी और सारे विधेयकों को एक साथ तत्काल ही विरोधी दलों की उपस्थिति का ख्याल न किये हुये ले लिया गया, मैं समझता हूं कि दोनों बातों पर ध्यान दिया जाय। मैं समझता हूं कि जनतंत्र के मूल की एक भित्ति विरोधी दल भी हैं। जनतंत्र के लिये जितनी आवश्यकता सरकार की है उतनी ही विरोधी दल की भी आवश्यकता है। तो उस भित्ति पर कुठाराघात होने के कारण हमें बड़ा क्षोभ है और जो यहां की परम्परा रही है कि म्यूचुअल ऐकार्ड होने पर ही यहां प्रोग्राम होते रहे हैं उसी प्रकार अगर नहीं किया जाता है तो जनतंत्र का क्या भविष्य हो सकता है इसे आप विचार कर लें।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—आप हमें भी तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष—अगर आप नहीं चाहते तो हम आज बन्द कर दें और कल इस आगे के कार्यक्रम को ले लेंगे इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री उग्रसेन—कल आपने क्यों ऐडजर्न नहीं कर दिया और १४ मिनट में एक साथ इतने सारे बिल पास हो गये, आप इसकी सफाई जरा दे दें।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय उग्रसेन जी से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिन शब्दों का वह प्रयोग करते हैं वह बिल्कुल असंसदीय हैं। आप उन शब्दों को वापस लें।

श्री उग्रसेन—मैंने कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—आप वापस लीजिये।

श्री उग्रसेन—मैंने कोई असंसदीय शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो क्या वापस लें।

श्री अध्यक्ष—आप ने जो शब्द 'आप सफाई दें' कहे हैं चेयर के प्रति, वह असंसदीय है। आप इन शब्दों को वापस लीजिये।

श्री उग्रसेन—इसमें कोई असंसदीय बात नहीं कही गई है। स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आप इसकी सफाई दें। सफाई से मेरा मतलब स्पष्टीकरण से था कोई गवाही नहीं कोर्ट की है और हर एक माननीय सदस्य आप से किसी बात के लिये स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—फिर भी, जिस तरह से आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, वह गलत है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—अध्यक्ष जी, मैं हाथ जोड़ कर आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप माननीय सदस्यों को कुछ कहें तो बहुत क्रोध लाकर न कहें। जिस तरह से किसी कुत्ते को डांटा जाता है उसी तरह से आप माननीय सदस्यों को डांटते हैं। यह आपके लिये शोभाजनक बात नहीं है। यह ठीक नहीं, आप जरा अपने रवैये को तब्दील कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—स्वभाव से न तो मैं किसी से क्रूरता बरतना चाहता हूं और न क्रूरता मेरे हृदय में रही है, जो बातें यहां कभी-कभी कही जाती हैं उनके लिये मैं कभी किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं रखता हूं। मेरा व्यवहार किसी भी व्यक्ति के प्रति उसके कारण नहीं बनता और न मैं कोई अशोभनीय और अशिष्ट शब्द कहता हूं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मैं इतना स्वाभिमानहीन हो जाऊं कि यहां पर कोई भी बात कही जाय इस प्रकार की और मैं नाराज भी न होऊं; नहीं हो सकता।

श्री उग्रसेन—आप यहां भी नाराज न हों और बाहर भी नाराज न हों।

श्री अध्यक्ष—चाहे जो भी बात अशिष्ट और असभ्य तरीके से कही जाय ?

श्री उग्रसेन—मैं जो भी बात यहां कहता हूं किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिये नहीं कहता, नियम और कानून के अन्दर बात कहता हूं और जब मैं ऐसा करता हूं तो आप नाराज हो जाते हैं ?

(श्री वीरसेन के खड़े होने पर व्यवधान)

अनेक सदस्य—माननीय वीरसेन कैसे खड़े हो गये ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—देखिये, जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो वह इसलिये...

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—लेकिन श्रीमन् जब बोल रहे हों तो भी खड़े रहें, इनको बैठाइये। जब आप बोल रहे हैं तो क्यों खड़े हैं ?

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर, प्लीज। कोई व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो वह इसलिये खड़ा होता है कि उसको बोलने का अवसर मिले और मैं उसे बुला लूं। अगर वह बिना मेरे आदेश के बोलने लगते हैं तब तो मेरे आदेश को और सदन के नियमों को भंग करते हैं। अगर वह खड़े होते हैं तो मैं बुला सकता हूं।

अब १ बज गया है, हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर २ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री यादवेन्द्र दत्त—अध्यक्ष महोदय, मैंने जो शुरू में प्रश्न उठाया था उस समय गैर-सरकारी प्रस्ताव के संबंध में आपने यह कहा था कि अगर आप चाहते हैं तो शनिवार को वह ले लिया जायगा और आज हाउस एडजर्न कर दिया जायगा। तो हम सब लोगों की इच्छा है कि गैरसरकारी कार्यक्रम ओरीजिनल प्रोग्राम के अनुसार शनिवार को ही लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—धन्यवाद। एक विधेयक कौंसिल से आया है, वह आपके सामने रखा जा रहा है।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२

सचिव, विधान सभा—अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित एवं विधान सभा को स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२ को सदन की भेज पर रखता हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १११७–११२६ पर)

विरोधी दलों की अनुपस्थिति में विधेयकों के पारण पर आपत्ति

***श्री कमला सिंह यादव** (जिला गाजीपुर)—श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल एक विधेयक हिन्दू मैरेज ऐक्ट इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था और उस पर विचार किया गया था। श्रीमन्, अगर आप दिनांक १७, १८, १९ और २० की कार्य सूचियों को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह मैरेज बिल १८ तारीख तक की कार्यसूची में नहीं आया था। १९ तारीख को पहले पहल यह आया है जो आइटम नंबर १९ और २० पर है और २० को यह पास कर दिया गया। अब इसके बाद मैं श्रीमन्, का ध्यान नियम १६५ की ओर दिलाना चाहता हूं। जहां तक १६४ का सवाल है उसमें "विधेयक पर विचार करने के लिये प्रस्ताव की सूचना है" लेकिन नियम १६५ इस प्रकार है—

> "विचार करने के लिये प्रस्ताव—जिस दिन प्रस्ताव कार्यसूची में रखा जाय, तो जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, सूचना पाने के बाद से दो दिन से कम का न होगा, उस दिन सूचना देने वाला सदस्य प्रस्ताव कर सकेगा कि विधेयक विचारार्थ लिया जाय।"

मैंने श्रीमन् के सामने यह अर्ज किया कि पहले पहल १९ सितम्बर को यह कार्यसूची में दर्ज किया गया। इसके पहले कभी भी किसी भी दिन यह कार्यसूची पर नहीं आया। अब उस पर बहस करने के लिये हमें कम से कम दो दिन का समय मिलना चाहिये था। उससे हम लोगों को वंचित किया गया है। इसलिये मैं श्रीमन् से प्रार्थना करता हूं कि आप इस पर पुनः विचार करके आज्ञा दें कि सदन इस पर फिर से बहस करे। एक और प्वाइंट आफ आर्डर है, अगर आप आज्ञा दें तो वह भी मैं रख दूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, एक बात मैं प्रारम्भ में ही बतला दूं कि जो विधेयक १८ की कार्यसूची में है वह भी नियम १६५ के अनुसार २० को नहीं लाया जा सकता। क्योंकि उसके बाद दो दिन लिखा है नियम १६५ में। जहां तक श्रीमन्, दिन की बात है, वह आधी रात से अगले दिन की आधी रात तक होता है, तो इस तरह से भी दो दिन नहीं होता है। उन विधेयकों के संबंध में जिनका कि जिक्र माननीय कमलासिंह जी ने किया, दो और विधेयक हैं जो १८ की कार्यसूची में आये हैं, वे १७ को नहीं थे।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्रक्रिया नियमावली १३३ को अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है—

"133. Persons by whom motions in respect of Bills may be made—No motion that a Bill be taken into consideration or be passed shall be made by any member other than the member in charge of the Bill, and no motion that a Bill be referred to a Select Committee or a Joint Select Committee or

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

be circulated or re-circulated for the purpose of eliciting opinion thereon, shall be made by a member other than the member in charge of the Bill, except by way of amendment to a motion made by the member in charge of the Bill.

Provided that, if the member in charge of a Bill is unable for reasons which the Speaker considers adequate to move the next motion in regard to his Bill at any subsequent stage after introduction, he may authorize another member to move that particular motion with the approval of the Speaker."

श्रीमन्, मैं मेम्बर इन्चार्ज आफ दि बिल की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। तो यह विधेयक जो कल सदन के सामने रखा गया था, उसे सिर्फ न्याय मंत्री को ही रखने का अधिकार था जो कि इन चार्ज मिनिस्टर हैं, यह अधिकार पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को नहीं था। इस संबंध में श्रीमन् की रूलिंग भी हो चुकी है कि जो इन्चार्ज मिनिस्टर होगा वही विधेयक को सदन के सामने रख सकता है। तो मैं श्रीमन् का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यदि यह भी मान लिया जाय कि मिनिस्टर साहब बीमार थे या किसी वजह से सदन के सम्मुख प्रस्तुत नहीं हो सकते थे या और किसी वजह से नहीं बोल सकते थे या और कोई कारण था जिसकी वजह से इस विधेयक को उन्होंने नहीं प्रस्तुत किया तो उस वक्त केवल श्रीमान् को पावर था कि किसी को अथाराइज्ड कर देते कि वे विधेयक को सदन के सामने प्रस्तुत करें लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस तरीके से नियम १३४ के प्रतिकूल यह कार्य किया गया है। तो इन दोनों नियमों की तरफ मैं श्रीमान् का ध्यान दिलाना चाहता हूं और मैं प्रार्थना करूंगा कि यह विधेयक बहुत मेटिरिअल है और इसलिये मेटिरिअल है कि जहां तक हिन्दू मैरेज का संबंध है—मैं थोड़े समय में दो तीन बातें कह देना चाहता हूं क्योंकि डिटेल में मैं खुद नहीं जाना चाहता हूं और न बहस करना चाहता हूं, लेकिन इतना मैं बतला देना चाहता हूं कि हिन्दू मैरेज सोलमनाइज होता है, कोई कंट्रेक्ट नहीं होता है। लेकिन जहां तक इस विधेयक का संबंध है इसके जरिये उसे कंट्रैक्ट बनाया गया है। तो आप सोचें कि कोई मर्द हो और उसकी औरत····

श्री अध्यक्ष—उसे अधिक विस्तार में करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि उस विधेयक को फिर सदन के सामने लाकर उस पर बहस करने की आप आज्ञा दें।

एक और प्वाइंट आफ आर्डर दूसरे विधेयक के बारे में है। अगर आप आदेश दें तो मैं अभी कह दूं, नहीं तो थोड़ी देर बाद कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष—अभी कह दें।

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, २० सितम्बर, ६२ की कार्यसूची में आइटम नं० १३ पर यह विधेयक है जिसे न्याय मंत्री को प्रस्तुत करना था। यह उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ विचार किया जाय।

आप देखेंगे कि इसके नीचे ही श्री शारदाभक्त सिंह का एक संशोधन है, वह यह है कि "उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेन्ट अपील समाप्ति) विधेयक, १९६२ को सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो कि अपनी रिपोर्ट सदन को एक मास में दे दे।" अब एक बात की ओर मैं श्रीमन् का ध्यान दिलाऊंगा कि जिस वक्त नेता विरोधी दल ने आदेश दिया और हमारी पार्टी ने वाक आउट किया तो मैंने उस वक्त की प्रोसीडिंग मंगाकर देखी, तो ११.४७ या ११.४८ पर वाकआउट किया। इस के माने यह हैं कि ११.४८ पर और बिल यहां पर १२.२५ पर आया और इस तरह से आप देखें कि आधा घंटा

गुजर गया था। तो श्रीमान् का धर्म था कि जब विचार के लिये बिल रखा गया तो जिस माननीय सदस्य ने इसे प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा था उन का नाम आप को पुकारना चाहिये था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया जिस से वह अपने संशोधन को प्रस्तुत कर सकते, शायद वह यहां बगल में रहे हों, माननीय सदस्य बराबर में कह रहे हैं कि वह लाबी में थे। अगर आप उन का नाम पुकारते तो वह स्वयं आकर अपने प्रस्ताव को रख सकते थे क्योंकि आधा घंटा उस समय बीत चुका था और उन का प्रवर समिति में विधेयक को भेजने का संशोधन मौजूद था। इस तरह से उन को मौका नहीं मिला। तो मैं कहूंगा कि यह विधेयक कतई इगुर्रेलर तरीके पर पास हुआ है और नियम में निश्चित है कि ऐसे वक्त में जब कि कोई प्रवर समिति में भेजने का संशोधन होता है तो आप का कर्त्तव्य है कि आप उसको मौका दें और अगर वह गैर हाजिर हों, नाम पुकारने के बाद न उठें और अपने प्रस्ताव को पेश न कर सकें तब आप जो चाहें कर सकते हैं लेकिन प्रोसीडिंग कल की देखने से साफ जाहिर है कि आपने उनका नाम नहीं पुकारा। तो जब श्री शारदाभक्त सिंह का नाम नहीं लिया गया और उनको मौका नहीं दिया गया और न सदन को ही विचार करने का मौका दिया गया तो आप पुनः इस पर विचार कर के विवाद के लिये मौका दें। (श्री शारदाभक्तसिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—उन्होंने तो कह दिया, क्या आप भी इस को सपोर्ट कर रहे हैं ?

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—जी नहीं।

श्री कमलासिंह यादव—मुझे एक बात और कहना है कि लेटर्स पेटेन्ट का भी एक विधेयक इस में था जो बहुत इम्पार्टेन्ट था। मैं आप का ध्यान संविधान के आर्टिकिल २२५ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें दिया हुआ है कि "इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, तथा इस संविधान द्वारा विधान मंडल को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर समुचित विधान मंडल द्वारा बनाई हुई किसी विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी वर्तमान उच्च-न्यायालय का क्षेत्राधिकार तथा उस में प्रशासित विधि, तथा उस न्यायालय में न्याय प्रशासन के संबंध में उस के न्यायाधीशों की अपनी अपनी शक्तियां, जिन के अन्तर्गत न्यायालय के नियम बनाने की किसी शक्ति का तथा उस न्यायालय की बैठकों और उस के सदस्यों के अकेले या खंड न्यायालयों में बैठने के विनियमन करने की शक्ति भी है, वैसी ही रहेगी, जैसी इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले थी।

तो यह जो बिल लाया गया है इसके मुताल्लिक कायदा यह था कि एक हाईकोर्ट का जज अपील सुनता था.....

श्री अध्यक्ष—वह तो ठीक है, आप अपना प्वाइंट आफ आर्डर रखिये।

श्री कमलासिंह यादव—तो मैं यह कह रहा था कि यह बिल संविधान के आर्टिकिल २२५ को कन्ट्रोडिक्ट करता है और इस पर आप को विवाद का मौका देना चाहिये ताकि हर माननीय सदस्य अपनी राय सदन के सामने रख सके।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र कमला सिंह जी ने दो तीन पहलुओं के बारे में आपत्तियां उठाईं। एक तो यह कहा कि कुछ बिल ऐसे हैं जिनको सदन में रखे तीन दिन पूरे नहीं हुए थे। लिहाजा नियम १६५ को पढ़ कर सुनाया। श्रीमन्, आप खुद उस नियम को पढ़ लें, उसमें यह भी दिया है "अनलेस दी स्पीकर अदरवाइज डायरेक्ट्स", तब तीन दिन का है। जब लिस्ट में आ गया तो इमप्लाइड है कि.....

श्री अध्यक्ष—"टू डेज नोटिस अनलेस स्पीकर अदरवाइज डायरेक्ट्स"। (Two days notice unless Speaker otherwise directs)

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, दो दिन। तो हम यह नतीजा निकालते हैं कि श्रीमान् की आज्ञा से, आपको अधिकार है कि नोटिस को कनडोन कर दें, और दो दिन के अन्दर ही आ जाना चाहिये।

दूसरी बात हमारे मित्र ने यह कही कि मिनिस्टर इन्चार्ज ने नहीं मूव किया, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने किया। मिनिस्टर की डेफीनीशन जो दी है उसकी रू से किसी मेम्बर को कोई मिनिस्टर अथोराइज कर दे तो मूव कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—मेम्बर इन्चार्ज आफ दि बिल मीन्स, एज रिस्पेक्ट्स गवर्नमेंट बिल, एनी मिनिस्टर (Member in charge of the Bill" means, as respects a Government Bill, any Minister) .. .. ..

श्री हुकुमसिंह विसेन—मिनिस्टर की डेफनीशन पढ़ ली जाय। जहां तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का ताल्लुक है क्योंकि कोई पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मिनिस्टर नहीं है तो कोई मिनिस्टर किसी मेम्बर को अथोराइज कर सकता है और उसकी तरफ से काम कर सकता है। इसलिये तीनों एतराज "दे हैव नो लेग्स टु स्टैन्ड"।

वह कौन-सा नियम है, जिसकी रू से जो बिल पास हो चुके, उनके संबंध में कोई इर्रेगुलरिटी हो तो बाद को उठायी जा सकती है। मेरा तो खयाल ऐसा है कि, इस वक्त मुझे याद नहीं, एक रूल ऐसा है, अगर कोई इर्रेगुलरिटी प्रोसीजर में हो जाय तो उसके आधार पर कार्यवाही रद्द नहीं हो सकती।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—अभी मंत्री जी ने कहा कि कौन सा नियम है जिसके द्वारा पास किये हुये बिल को ला सकते हैं? तो वह नियम है २७७। उसके अन्तर्गत अध्यक्ष राज्यपाल को सदन की इच्छा भेज सकते हैं और राज्यपाल उसे पुनः वापस कर सकते हैं उस बिल को विचारार्थ।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं इस सिलसिले में।

श्री हुकुमसिंह विसेन—नियम २७७ पढ़ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—माननीय गेंदा सिंह जी इसमें बहस की गुंजायश नहीं है। माननीय कमला सिंह जी ने अपनी बात रख दी और इन्होंने भी रख दी। तीन, चार बातें जो सदन के सामने आयी हैं उनके बारे में कहा।

श्री गेंदासिंह—मैं आपसे श्रीमन्, जो बहुत कानूनी और पेचीदगी की बात है वह नहीं कहूंगा, उस पर माननीय कमला सिंह और राजस्व मंत्री जी ने कह दिया है। लेकिन मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि कल जो ५ बिल १५ मिनट में पास हुए उसका कितना कष्ट है लोगों को यह कुछ मैं बयान नहीं कर सकता और कोई रास्ता अगर उसके लिये निकल सके जिससे वह कष्ट लोगों का कम हो सके तो वह रास्ता निकालने में उपनेता सदन को और आपको भी थोड़ी सहायता करनी चाहिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम तो नामुमकिन को मुमकिन नहीं बना सकते।

श्री गेंदासिंह—नामुमकिन को मुमकिन बनाने का रास्ता माननीय श्रीपाल सिंह जी ने बिखाया। आप सुनें। आप जैसे बुजुर्ग लोग शोर करने लगें....

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम शोर नहीं करते हैं, आपसे ही कन्टेजियन कैच करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गेंदासिंह—एक ही बात मुझको कहनी है। ५ बिल १५ मिनट में पास हुये, दो बिलों के लिये तो बहुत सम्मानजनक रास्ता माननीय कमला सिंह जी ने बताया। बाकी तीन बिल रह जाते हैं उनके लिये भी सोचेंगे, कितने इमपार्टेन्ट बिल थे, कितने जनता के इंटरेस्ट और स्वार्थों पर वह ज्यादती करते हैं। उन पर अपोजीशन को कुछ कहना था और कभी भी यह कल्पना हमने नहीं की थी, मैं अपनी इगनोरेंस या बेवकूफी कह दूं। मैं यह समझता हूं कि आज तक संसदीय इतिहास में इस प्रकार की कार्यवाही का नमूना नहीं मिलेगा कि ५,५ बिल १५ मिनट में पास किये जायं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई रास्ता निकल सकता हो तो इसके लिये मार्ग निकालना चाहिये और इसके लिये सबसे अधिक जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार जरूर थोड़ा संकोच करेगी कि १५ मिनट में पास कराने का लोभ संवरण कर सके लेकिन वह यह न समझे कि उसने कोई बड़े भारी तीसमार खां का काम कर लिया। वह मेजारिटी में है और मेजारिटी में रह कर किसी बिल को, चाहे अनुचित भी हो, पास कराने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमारे कुछ अधिकार हैं और सारी जनता इस बात को जानती है कि हम उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं पहले डाक्टर जेड०ए० अहमद से कुछ कहना चाहता हूं। वह एक व्यक्ति हैं जिन्होंने एक परम्परा का पालन यहां पर किया। जब उनको प्रोटेस्ट करना था मेरी रूलिंग पर तो यह कहा कि इन प्रोटेस्ट आई वाक आउट। भाषण में और कोई बात नहीं कही। इस तरह की परम्परा जो है वह ठीक है, कोई भी खड़े हो कर कह सकता है कि इन प्रोटेस्ट आई वाक आउट। लेकिन उसके साथ साथ और बहस करने लगना, इससे परम्परा सुरक्षित नहीं रहती। तो मैं डाक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि एक मर्तबा जब मैंने यह कहा प्वाइंट आफ आर्डर पर बहस नहीं होना चाहिये तो उस परम्परा को स्वयं स्वीकार करने के बाद उस पर कुछ न बोलें तो उससे इस सदन की भी प्रतिष्ठा रहेगी और आपकी प्रतिष्ठा तो है ही।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मैं बहस नहीं करना चाहता। सही बात है कि प्वाइंट आफ आर्डर पर बहस नहीं होना चाहिये लेकिन अभी गेंदा सिंह ने कुछ बातें कही हैं और चूंकि मैं भी परेशान हूं उन घटनाओं से जो पिछले एक दो दिन के अन्दर हुई हैं और जो बिल पास हुये हैं मैं चाहता था कि दो, तीन मिनट मिल जाते और मैं राय का इजहार कर लेता लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो बैठे जाता हूं।

श्री अध्यक्ष—जो बिल पास हुये हैं उनके पास होने से, और जल्दी में पास होने से, अगर कोई यह समझता हो कि लोग खुश हैं, जहां तक मैं समझ पाया हूं, कोई भी पार्टी यहां खुश नहीं है। लेकिन हमारे सामने जो मौलिक प्रश्न है वह यह कि क्या कोई बिल सदन ने स्वीकार कर लिया हो, वह वापस हो सकता है? माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह ने २७७ का हवाला दिया, आप जरा मुलाहजा कीजिये। इट हेज एब्सोलूटली नथिंग टु डु।

कुंवर श्रीपालसिंह—आगे संविधान के अनुच्छेद २०० के परन्तुक २ को भी देख लें।

श्री अध्यक्ष—पास होने की बात दूसरी होती है, एसेंट का सवाल दूसरा होता है। अभी कौंसिल में जायगा और वहां पास होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—वहां से हो आया है।

श्री अध्यक्ष—भेजने वाले वहीं होते हैं जहां से ओरिजिनेट होता है। बिल कौंसिल से ही भेजे जायेंगे, हम तो नहीं भेजेंगे।

कुंवर श्रीपालसिंह—कौंसिल से पास हो कर आये हैं। यहां से गवर्नर साहब के पास जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—यही तो दिक्कत है कि यहां नहीं आयेंगे। कौंसिल से ही जायेंगे। अब डाक्टर साहब इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हों तो कह सकते हैं।

*श्री जेड० ए० अहमद—मैं दो मिनट लूंगा। कानूनी पहलू अपनी जगह पर हैं। लेकिन अगर इस बात का अहसास इस तरफ और उस तरफ भी हो जाय कि १५ मिनट में ५ बिलों का पास करना ठीक बात नहीं है। टेक्निकली चाहे कुछ कह दें लेकिन अगर यह तरीका और चला तो फिर बहुत सी पेचीदगियां पैदा हो जायेंगीं। इसलिये अगर यह एहसास पैदा हो जाय कि यह ठीक नहीं था तो रास्ते निकाले जा सकते हैं। हमारा विधान, हमारा आईन, हमारे कानून कायदे ऐसे हैं कि अगर पूरा हाउस तय कर ले तो यकीनन रास्ते निकाले जा सकते हैं। इस सिलसिले में मैं खासतौर से अपने कांग्रेसी दोस्तों से कहूंगा कि जो घटना हुई उस पर जरा खुद सोचें कि इत्तफाक से १५ मिनट के लिये अपोजीशन बाहर जाता है और यकायक बिल पास हो जाते हैं। यह एक मामूली घटना नहीं है और अगर इन चीजों को न रोका गया तो यह और बढ़ेंगी और दुहाई तो हम और आप सभी देते हैं जनवाद की। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस सवाल के ऊपर गौर किया जाय, हम अपोजीशन के लोग इसके ऊपर जरूर गौर करेंगे क्योंकि यह चीजें ऐसी हुई हैं जिनको हम अनचैलेन्ज्ड नहीं जानें देंगे और न जाने देना चाहिये लेकिन साथ ही हम यह भी अपील करना चाहते हैं अपने कांग्रेसी दोस्तों से कि आप भी सोचिये कि अगर यह चीज ऐसे ही चलेगी तो नतीजा क्या होगा। इसलिये आप भी रास्ता निकालें और अगर हम और आप तैयार हो जायेंगे तो रास्ता निकल आयेगा।

श्री उग्रसेन—श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष—जी नहीं, आप बैठिये।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, दो मिनट सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष—अब आप बैठिये।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, बिलों के बारे में सोशलिस्ट पार्टी की क्या नीति है ....

श्री अध्यक्ष—देखिये, सवाल यह है (व्यवधान) न माननीय अहमद साहब ने, न माननीय गेंदा सिंह ने, न माननीय नेता विरोधी दल ने यह कहा कि हमारी पार्टी का क्या दृष्टिकोण है। यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि हाउस का क्या दृष्टिकोण होना चाहिये।

श्री उग्रसेन—इसी लिये आप हमारी राय सुन लें।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आप बैठ जाइये। सोशलिस्ट पार्टी का क्या व्यू है, यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री उग्रसेन—अच्छा उग्रसेन की राय तो आप सुनेंगे। इस पर आप व्यवस्था दें तो मैं बैठ जाऊं। (हंसी) मुसीबत यह है कि जब मैं खड़ा होता हूं तो मैं क्या कहूं, मैं कोई गरमाहट की बात नहीं कहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह जो १४ मिनट में ५ बिल पास हो गये, अगर ऐसे ही पास होते जायेंगे तो हम अपोजीशन के लोग यहां क्या करेंगे? विरोधी पक्ष बहुत गम्भीरता से इस पर सोच रहा है कि अगर सदन का यही तरीका रहा तो आया हम यहां बैठें या न बैठें।

श्री अध्यक्ष—अब यह समाप्त होता है।

(श्री टम्बेश्वरीप्रसाद के खड़े होने पर) आप कृपा कर के बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप ऐसे उलझे हुये मामले को और माननीय कमलासिंह ने जो सवाल उठाया है उसके कानूनी पहलू को देखते हुये आज इस पर न व्यवस्था दें, जल्दी न करें, सोमवार को व्यवस्था दें, यह मैं चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—माननीय झारखंडे राय जी, यह तो ठीक है, लेकिन कुछ नियम तो हमारे निश्चित हैं।

गृह मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था के संबंध में दिये गये प्रस्ताव पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—माननीय गेंदा सिंह ने हाउस आफ कामन्स की एक नजीर हमारे सामने रखी कि हाउस को यह अधिकार है कि स्पीकर की व्यवस्थाओं के ऊपर विचार करे। मैं निवेदन कर रहा था कि जो हमारे सामने नजीर रखी गयी है उसको मैं आपको पढ़ के सुना दूं और आप स्वयं इस बात को अनुभव करेंगे कि वह हमारे नियम ३१८ से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। वह यह कहते हैं (व्यवधान) आर्डर।

अब "आर्डर" के सम्बन्ध में हमारे बहुत से माननीय मित्रों को शिकायत है। इसलिये उसके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग करूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन्, आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यह बतला दीजिये।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता रहा हूं। जरा सुन लीजिये।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—श्रीमन् .....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें। यह पढ़कर सुनाया है कि सदन को यह अधिकार प्राप्त है कि अध्यक्ष द्वारा दी हुई व्यवस्था पर सदन विचार कर सकता है और इसके सम्बन्ध में नजीर जो उपस्थित की गई है उसके बारे में मैं बतला रहा हूं कि यह हमारे नियमों में लागू नहीं हो सकती है। वह इस प्रकार है कि—

"I have given the matter the best consideration I can and I have reached the firm conclusion that that is not so with regard to either position. I think it best to emphasise once again the effect of my opinion best expressed."

प्रिविलेज मोशन का प्रश्न था और स्पीकर महोदय ने व्यवस्था दी थी कि प्रिविलेज का प्रश्न पैदा नहीं होता है। अब कहते हैं कि मैंने व्यवस्था दे दी है। लेकिन कायदा यह है कि—

"It has no bearing whatever on the substantive question of whether a breach of privilege has been committed."

मेरी व्यवस्था देने पर भी जो मौलिक प्रश्न है कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं। मेरी व्यवस्था कोई प्रभाव नहीं रखती।

"The sole effect of what I have said is that it does not enable me to give to the Hon'ble Members' complaint priority over orders of the day."

वहां नियम यह है कि अगर कोई प्रिविलेज मोशन आये और अध्यक्ष महोदय इस परिणाम पर पहुंचे कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है तो उसको प्राथमिकता अन्य कामों की अपेक्षा मिलेगी। अगर वह इस मत के न हों कि ब्रीच आफ प्रिविलेज हुआ है तो वहां क्या कार्यवाही होती है? वे कहते हैं कि—

'If the Hon'ble Member wants to test the feeling of the House he is, of course, perfectly free to put down an appropriate motion."

[श्री अध्यक्ष]

अगर माननीय सदस्य इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि ब्रीच आफ प्रिविलेज है तो हाउस के समक्ष रख सकते हैं। यह उनका नियम है। लेकिन हमारे यहां नियम यह है कि अध्यक्ष अपने कक्ष में चाहे किसी प्रिविलेज मोशन को अस्वीकार कर सकता है और इसके साथ ही साथ यह एक मर्तबा अस्वीकार हो गया तो फिर सदन को अधिकार नहीं होता कि उस पर विचार करे। इस दृष्टि से मैं, माननीय विभिन्न नेताओं ने जो.....

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---श्रीमन्, मैं ऐसा समझता हूं कि मेरी गुस्ताखी को माफ करें, अगर आप अपनी रूलिंग को रिजर्व कर दें तो बेहतर होगा। हमें आप मौका दें कि हम आपको कनवीन्स कर सकें। रूलिंग के बाद कनवीन्स करना मुश्किल होता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आप हम लोगों को सुनने की कोशिश करें। हमने बहुत जल्दी-जल्दी में यह उदाहरण रख दिया है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---श्रीमन्, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपके सामने माननीय कमला सिंह जी का प्वाइंट आफ आर्डर है। उस पर आपने कुछ सदस्यों के बोलने की बात कही। लेकिन आपने निर्णय दिया नहीं और बीच में दूसरा ईश्यू ले लिया है। यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष---आपने सुना नहीं, मैंने माननीय गेंदा सिंह जी की आपत्ति पर कहा था कि वह नजीर भेज दें तो मैं निर्णय दूंगा। वह निर्णय मैं दे रहा हूं। आप कह रहे हैं कि नहीं दिया। माननीय गेंदा सिंह जी कह रहे हैं कि अभी निर्णय न दूं। यह गलत चीज है। मैं निर्णय दे रहा हूं।

श्री दीपनारायणसिंह---अध्यक्ष महोदय, एक बात मेरी सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष---दीपनारायण सिंह जी, बैठ जाइये।

श्री उग्रसेन---कई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न हैं, किस पर आप निर्णय दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष---विभिन्न नेताओं ने मोशन दिया है, प्रिविलेज मोशन नहीं, जो मोशन माननीय गेंदा सिंह ने, माननीय नेतागण ने दिये हैं मैं उनको अस्वीकार कर रहा हूं, इस बुनियाद पर कि जो मेरे सामने नजीर दी गयी है वह हमारे नियमों पर लागू नहीं होती।

दूसरी बात यह तय हो गयी कि हम बैठेंगे असरकारी दिवस के लिये।

तीसरी बात के सम्बन्ध में आपसे निवेदन किया कि हमें किसी को बिल पास करने की इस बात की खुशी नहीं है। जो सदन में पिछली बार भी जब कारपोरेशन ऐक्ट पास हुआ था वह विरोधी दलों की अनुपस्थिति में पास हुआ था इस वास्ते कि मजबूरियां थीं।

श्री ऊदल---उस में कुछ लोग अपोजीशन की तरफ से उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष---जहां तक मुझे मालूम है माननीय लहरी साहब को छोड़ कर कोई नहीं था।

श्री दीपनारायणसिंह---जो कार्यवृत्त....

श्री अध्यक्ष---दीपनारायण सिंह जी आप बैठ जाइये। मैं बोल रहा हूं। आर्डर प्लीज।

श्री दीपनारायणसिंह---गलत छपा है.....

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये। दीपनारायण सिंह जी आप वह स्थिति पैदा कर देते हैं जिसमें विवश हो कर आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ती है।

श्री दीपनारायणसिंह---अगर गलत भी छप जाय उस पर भी नहीं ऐतराज कर सकता ? आज के कार्य वृत्त में.....

श्री अध्यक्ष---मैं निर्णय दे रहा हूं। आप नहीं बोल सकते। अगर भेजना चाहें तो लिख कर भेज दें।

श्री दीपनारायणसिंह---कार्यवाही में गलत छप गया है। मैं उधर ध्यान खींच रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---तो वह मैं ठीक कर दूंगा। वह आ जाय। आप बैठ जाइये।

विरोधी दलों की अनुपस्थिति में विधेयकों के पारण पर उठाई गई आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---दूसरा प्रश्न यह है, माननीय कमलासिंह की बातों का मैं आदर करता हूं।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---एक बात और अध्यक्ष महोदय। श्रीमन् की मदद के लिये कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---दूसरे भी आप का अनुकरण करेंगे। आप बैठ जाइये।

अब मैं यह निवेदन कर रहा था कि कल जो हमारे विधेयक पास हो गये थे, मैं समझता हूं कि वह इर्रिवोकेबिल हैं, वह अब वापस नहीं हो सकते। यह न मेरे अधिकार की बात है और मैं समझता हूं कि न इस सदन को ही अधिकार है कि एक बात जो पास कर दी हो, उसे फिर पलटे तो मैं समझता हूं कि जो इर्रिवोकेबिल हो गये हैं उसके सम्बन्ध में माननीय कमला सिंह की जो आपत्ति है कि अनियमितताएं हुई हैं, वह ऐसी थीं जो १९ तारीख को हमारे सामने लायी जा सकती थीं, २० तारीख को लायी जा सकती थीं, और उन अनियमितताओं को सदन के सामने ला कर उनके सम्बन्ध में मुझ से निवेदन किया जाता। अब जो बात समाप्त हो चुकी वह वापस नहीं हो सकती। इसलिये मैं उसको मानने में असमर्थ हूं।

अब हम उठते हैं, कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन २ बजकर ३९ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
२१ सितम्बर, १९६२।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १–२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३० पर।)

११ वें शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या १ और २ से संबंधित तालिका उन जिलों के नाम जिनमें सन् १९६१ की बाढ़ के कारण इंटरमीडिएट कक्षा तक के विद्यार्थियों को आपद्कालीन छात्रवृत्ति देने के लिये धन दिया गया था तथा दिये गये धन और व्यय किये गये धन की धनराशियां

क्रम-संख्या	जिले का नाम	धनराशि जो वितरित करन के लिये जिलाधीश को दी गई	धनराशि जो व्यय हुई
१	२	३	४
		रु०	रु० न० प०
१	मेरठ	१०,०००	१०,०००.००
२	बुलन्दशहर	२०,०००	१७,८४४.२५
३	अलीगढ़	१०,०००	९,९९७.००
४	मथुरा	१०,०००	८,७५५.००
५	बदायूं	२०,०००	१०,३६८.७०
६	फर्रुखाबाद	१०,०००	९,६५८.०३
७	इटावा	१०,०००	१०,०००.००
८	कानपुर	१५,०००	३,८८१.००
९	वाराणसी	२०,०००	२०,०००.००
१०	जौनपुर	१०,०००	१०,०००.००
११	बलिया	२०,०००	२०,०००.००
१२	गोरखपुर	२०,०००	१९,१०६.००
१३	बस्ती	२०,०००	२०,०००.००
१४	आजमगढ़	२०,०००	१६,५८२.९९
१५	देवरिया	२०,०००	२०,०००.००
१६	लखनऊ	१५,०००	४,३५३.००
१७	उन्नाव	२०,०००	१४,६०८.००
१८	रायबरेली	१०,०००	२,६७३.००
१९	सीतापुर	१०,०००	२,४१७.००
२०	हरदोई	१०,०००	९,९९९.६४
२१	गोंडा	२०,०००	१९,९६४.००
२२	बहराइच	२०,०००	२०,०००.००
२३	सुल्तानपुर	१०,०००	९,९९०.००
२४	बाराबंकी	१०,०००	४,५३१.८५
२५	चमोली	१०,०००	१,३७२.५०
२६	पिथौरागढ़	१०,०००	९७१.७०
	योग ..	३,८०,०००	२,९७,०७३.६६

१९६१ की बाढ़ के कारण बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों व डिग्री कालेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आपद्कालीन छात्रवृत्ति देने के लिये उप-कुलपतियों को दिये गये धन तथा उसमें से व्यय किये गये धन की धनराशियों की तालिका

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम		धनराशि जो वितरित करने के लिये दी गई	धनराशि जो व्यय की गई
			रु०	रु०
१	आगरा विश्वविद्यालय ..	..	५,०००	५,०००
२	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	..	५,०००	२,४५०
३	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	..	१०,०००	८,६६०
४	संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी	..	२,५००	२,२००
५	काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय	..	१,५००	१,५००
६	गोरखपुर विश्वविद्यालय ..	..	५०,०००	५०,०००
७	लखनऊ विश्वविद्यालय ..	..	१०,०००	१०,०००
८	इलाहाबाद विश्वविद्यालय ..	..	५,०००	५,०००
		योग ..	८९,०००	८४,८१०

मेरठ विश्वविद्यालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ १,०४१ पर।)

Rules relating to Provident Fund in respect of teachers and other salaried staff of the Lucknow University.

Every officer, teacher or other servant of the University holding a substantive appointment shall be required to subscribe at the rate of 8 per cent of his salary to the Provident Fund and the University shall make a contribution of 12 1/2 per cent of the subscribers' salary to the Fund in the case of subscribers, drawing a salary not exceeding Rs. 40 per mensem and 12 per cent. of the subscribers' salary, in the case of subscribers drawing a salary exceeding Rs. 40 but not exceeding Rs.500 and 10 per cent. of the subscriber's salary, in the case of subscribers drawing a salary exceeding Rs.500 but not exceeding Rs.1,000 and 8 per cent. of the salary in the case of subscribers drawing a salary exceeding Rs.1,000, subject to the conditions contained in the following provisos :

(*a*) Provided that the contribution of the University shall be at the rate of 12 per cent. in the case of officers and teachers of the University appointed before April 1, 1926, irrespective of the salaries drawn by the subscribers ;

(*b*) Provided that no employee of the University shall be entitled to the benefits of the Provident Fund, whose services in the University entitle him to a pension or on whose account the University contributes towards his pension and leave allowance ;

(*c*) Provided that such permanent employees as were in service of the University on April 1, 1962, and were not entitled to benefits of Provident Fund will be entitled to gratuity according to existing regulations for the period of their service preceding April 1, 1962. Persons recruited on or after April 1, 1962 will not be entitled to any gratuity."

नत्थी 'ग'

(सूची क)

(देखिये तारांकित प्रश्न ५९–६० का उत्तर पीछे पृष्ठ १,०४२ पर)

हायर सेकेन्डरी स्कूल, मछलीशहर की पहली प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची

(१) सभापति	..	श्री बाबूमहादेव प्रसाद मुख्तार
(२) उप सभापति	..	श्री सै० अबरार हुसैन
(३) उप सभापति	..	श्री केदारनाथ साहू
(४) प्रबन्धक एवं मंत्री	..	श्री राधेश्याम
(५) सहायक मंत्री	..	श्री जादाद जैदी
(६) खजांची	..	पं० बैजनाथ तिवारी
(७) आय-व्यय निरीक्षक सीनियर	..	पं० सरजूप्रसाद तिवारी अवकाश प्राप्त रजिस्ट्रार कानूनगो।
(८) आय-व्यय निरीक्षक जूनियर	..	श्री बाबूराम साहू
(९) सदस्य गण	..	श्री कड़ेदीन पाठक प्रधान
(१०) ,,	..	श्री सरोज कुमार
(११) ,,	..	श्री मंगल दास साहू
(१२) ,,	..	श्री हजारी लाल साहू

हायर सेकेन्डरी स्कूल, मछलीशहर की दूसरी प्रबंध समिति के सदस्यों की सूची

१—प्रेसीडेन्ट	..	श्री मुहम्मद रऊफ जाफरी
२—सीनियर वाइस प्रेसीडेन्ट	..	श्री महादेव प्रसाद मुख्तार
३—जूनियर वाइस प्रेसीडेन्ट	..	श्री अब्दुल मजीद मुख्तार
४—मैनेजर	..	श्री अमर नाथ वकील
५—सेक्रेटरी	..	श्री सै० मुमताज हुसेन
६—ज्वाइन्ट सेक्रेटरी	..	श्री सरस्वती प्रसाद
७—कोषाध्यक्ष	..	श्री सरदार जुम्मन
८—सीनियर आडिटर	..	श्री सूर्य नारायण
९—जूनियर आडिटर	..	अली जव्वाद जैदी
१०—कार्यकारिणी के सदस्य	..	डा० अवध नारायण
११— ,,	..	पं० राम नारायन दुबे
१२— ,,	..	श्री बांके कृष्ण सिनहा।

विधान सभा

सूची 'ख'

अध्यापकों की योग्यता

क्रम-संख्या	अध्यापक के नाम		योग्यता
१	श्री राजबल मिश्रा, प्रधानाचार्य		एम० ए०, ट्रेनिंग से मुक्त किये गये।
२	श्री के० एन० शुक्ला	..	एम० ए०, एल० टी०, साहित्यरत्न
३	श्री हाफिज साह मेंहदी	..	एम० ए०, एल० टी०, कामिल आदिल कामिल, मध्यमा
४	श्री कृष्णलाल	..	एम० ए०
५	श्री मलबहादुर	..	एम० ए०
६	श्री वागीश दत्त मिश्रा	..	शास्त्री, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी
७	श्री राजाराम	..	बी० ए०
८	श्री अख्तर हुसेन नकवी	..	बी० ए०, मुन्शी परीक्षा
९	श्री वी० एन० वर्मा	..	बी० ए०
१०	श्री एस० एन० दुबे	..	बी० ए०, एल० टी०
११	श्री जी० के० त्रिपाठी	..	मध्यमा (राजकीय संस्कृत कालेज, वाराणसी, विशारद, साहित्य सम्मेलन, प्रयाग)
१२	श्री एस० पी० सिंह	..	हाई स्कूल, कताई बुनाई में जूनियर डिप्लोमा
१३	श्री आर० के० तिवारी	..	इन्टरमीडियेट शारीरिक प्रशिक्षण डिप्लोमा
१४	श्री ए० पी० पांडेय	..	बी० ए०
१५	श्री बी० एन० सिंह	..	बी० ए०
१६	उदय भान सिंह (संगीताध्यापक)		संगीत गायन (तृतीय वर्ष डिप्लोमा)
१७	माता प्रसाद	..	हाई स्कूल जे० टी० सी०
१८	मुरारी लाल	..	इन्टरमीडियेट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १,०५३ पर)

१—मथुरा
२—मुजफ्फरनगर
३—सहारनपुर
४—मेरठ
५—आगरा
६—अलीगढ़
७—मैनपुरी
८—इटावा
९—कानपुर
१०—बुलन्दशहर
११—शाहजहांपुर
१२—हरदोई
१३—बदायूं
१४—लखनऊ
१५—फर्रुखाबाद
१६—रायबरेली
१७—मुरादाबाद
१८—एटा
१९—देहरादून
२०—हमीरपुर
२१—सीतापुर
२२—अल्मोड़ा
२३—लखीमपुर
२४—रामपुर
२५—बिजनौर
२६—पीलीभीत
२७—नैनीताल
२८—टेहरी गढ़वाल
२९—बरेली
३०—बाराबंकी ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५५ पर)

प्रश्न संख्या १२२ में उल्लिखित ट्रेनिंग में सरकार द्वारा मनोनीत अभ्यर्थियों की संख्या तथा उनकी ट्रेनिंग व शैक्षिक योग्यतायें

ट्रेनिंग का नाम	बी० ए०	इन्टरमीडियेट	हाईस्कूल अथवा उसके समकक्ष	जूनियर हाई स्कूल	योग
१—एल० टी०	१२०	—	—	—	१२०
२—जे० टी० सी०	—	—	—	—	—
३—एच० टी० सी०	—	—	४२	—	४२

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०५७ पर)

परिशिष्ट

विद्यालय का नाम	परीक्षा वर्ष
(१) रतसर हायर सेकेंडरी स्कूल, रतसर (बलिया) (ग्रामीण क्षेत्र)	१९६४ की इन्टरमीडियेट परीक्षा से

आवेदित मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
वैज्ञानिक	१—हिन्दी २—अंग्रेजी अथवा संस्कृत अथवा उर्दू	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित।

विशेष प्रतिबन्ध :—

(क) उपर्युक्त विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अध्यापकों की नियुक्ति ११ वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व नियमानुसार की जाये, साथ ही अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की भी नियुक्ति शीघ्र की जाय।

(ख) ५०० रु० की पुस्तकें पुस्तकालय के लिए शीघ्र क्रय की जायें।

(ग) प्राभूत में जो ५,००० रु० नकद हैं उन्हें फिक्स्ड डिपाजिट में जमा कर निरीक्षक के पद पक्ष में प्लेज किया जाय तथा उसके वार्षिक ब्याज को प्रतिवर्ष लेकर उसे विद्यालय के अनुपालन कोष में नियमित रूप से जमा किया जाय। प्राभूत में जो अचल सम्पति है उसकी वार्षिक आय भी विद्यालय के अनुपालन कोष में नियमित रूप से जमा की जाय। प्राभूत की अचल सम्पत्ति के बारे में इस आशय का एक डीड और शपथ-पत्र निरीक्षक के पद के पक्ष में प्रस्तुत किया जाय कि यह सम्पत्ति बिना उनकी अनुमति के न तो गिरवी रखी जायगी न बेची जायगी और न हस्तांतरित ही की जायगी तथा उसकी सम्पूर्ण वार्षिक आय विद्यालय के अनुपालन कोष में प्रतिवर्ष जमा की जायगी।

आवश्यक प्रतिबन्ध :—

(क) भवन हस्तांतरित हो जाय।

(ब) भौतिक विज्ञान के लिए २,८३४ रु० के तथा रसायन विज्ञान के लिये २,८८० रु० के यन्त्रादि और क्रय कर सम्पूर्ण १६,००० रु० के निर्धारित यन्त्रादि पूर्ण हो जायं।

विद्यालय का नाम	परीक्षा वर्ष
(२) के० जी० एस० जे० हायर सेकेन्डरी स्कूल, रसरा, (बलिया)	१९६४ की इन्टर परीक्षा से।

आवेदित मान्यता का विवरण

वर्ग	वैकल्पिक विषय
वैज्ञानिक	जीव विज्ञान

विशेष प्रतिबन्ध :—

(क) जीव विज्ञान विषय के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से विभूषित अध्यापक की नियुक्ति ११ वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व नियमानुसार की जाय, साथ ही अप्रशिक्षित अध्यापकों के स्थान पर योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापक की भी नियुक्ति की जाय ।

(ख) १,००० रु० की सज्जा तथा २५० रु० की पुस्तकें पुस्तकालय के लिये शीघ्र क्रय की जायं ।

(ग) सुरक्षित कोष जिला विद्यालय निरीक्षक के पद में प्लेज किया जाय ।

(घ) विद्यालय के प्राभूत में जो २०,६६० रु० के एन० एस० सी० व सिक्योरिटी हैं उन्हें भुनाकर किसी प्रमाणिक बैंक अथवा डाकखाना में फिक्स्ड डिपाजिट में जमा कर निरीक्षक के पद में प्लेज किया जाय तथा उनके वार्षिक ब्याज को प्रतिवर्ष लेकर उसे विद्यालय के अनुपालन कोष में नियमित रूप से जमा किया जाय ।

(ङ) परीक्षाफल में सुधार हेतु चेतावनी दी जाय ।

आवश्यक प्रतिबन्ध :—

(१) ७,००० रु० के सुरक्षित धन के यन्त्रादि उपर्युक्त विषय के शिक्षणार्थ और क्रय किये जायं ।

(२) भवन का एक कमरा जो निर्माण में है उसे पूर्ण कराया जाय ।

नोट:—मान्यता समिति की संस्तुति थी कि आवश्यक प्रतिबन्धों की पूर्ति हो जाने पर विद्यालय को मान्यता-पत्र प्रेषित किया जाय ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०६४ पर)

No. 1908(1)A/XXX—2D-59

FROM

SRI, S. N. MEHROTRA, I. A. S.,
SANYUKT SACHIV U. P. SHASAN,
PARIVAHAN VIBHAG.

TO

THE DIRECTOR OF EDUCATION,
UTTAR PRADESH,
ALLAHABAD.

Dated Lucknow, September 2, 1959.

SIR,

With reference to your letter No. F(2)/532—1-3(6)/59-60, dated July 29, 1959, I am directed to say that the rate of 25 Naya Paise per mile is chargeable from Deputy Minister, Heads of Departments, etc. for private use of the Vehicle maintained for their use on tour in all the districts; otherwise charges for the private use of Government vehicles have been prescribed in sub-para (3) of para 1 of G. O. No. 386-TP/XXX—1045-T/58, dated February 17, 1959. These being the latest orders automatically supersede the instructions contained in O. M. 3624/TP—1078/55, dated January 4, 1956.

Yours faithfully,
(Sd.) S. N. MEHROTRA,
Sanyukt Sachiv.

उत्तर प्रदेश पुस्तकालय

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ १०६८ पर)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६२

उत्तर प्रदेश में प्रचलित कतिपय भूमि विधियों को संशोधित करने का

(जैसा कि विधान-परिषद् द्वारा पारित हुआ)

विधेयक

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१, १९५१ ई० का उ०प्र० अधिनियम सं० १, उ० प्र० अधिनियम सं० १०, १९५४, उ०प्र० अधिनियम सं० ९, १९५७, उ०प्र० अधिनियम सं० १, १९६१

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१, "१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था, अधिनियम", रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, १९६०, का संशोधन किया जाय;

अतएव भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा १४—ए, १६०, १६१ और २१० का संशोधन

२—यू०पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ में—

(१) धारा १४-ए की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(3) An Additional Collector shall exercise such powers and discharge such duties of a Collector in such cases or classes of cases as the Collector concerned may direct."

Act No. XVIII of 1876.

(२) धारा १६० में शब्द "previous sanction of the State Government" के स्थान पर शब्द और अंक "previous sanction of the Commissioner, or, in the case of an ancestral land within the meaning of section 20 of the Oudh Laws Act, 1876, of the State Government" रख दिये जायं।

(३) धारा १६१ की उप-धारा (३) में शब्द "State Government" के स्थान पर शब्द "authority sanctioning the sale" रख दिये जायं, और

(४) धारा २१० की उप-धारा (६) में अंक "33" के स्थान पर अंक और कामा "28, 33" रख दिये जायं।

१९५१ ई० के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ में नयी धारा २-क का रखा जाना

३—"१९५० ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा २ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय:—

"२-क—(१) यदि किसी नदी की क्रिया से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम को उक्त क्षेत्र में प्रसारित कर सकती है।

(२) राज्य सरकार, उसी या किसी अनुवर्ती विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम में, उक्त क्षेत्र में इसकी (अधिनियम की) प्रवृत्ति के संबंध में ऐसा परिष्कार कर सकती है जिसे वह उक्त क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों में आवश्यक समझे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस क्षेत्र में अधिनियम के प्रसारण के दिनांक से १ वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उक्त कोई परिष्कार न किया जायगा और न वह दो वर्ष से अधिक के लिये प्रचलित रहेगा।"

१९५१ ई० के उ० प्र० अधिनियम संख्या १ की धारा ११७ का प्रतिस्थापन

४—मूल अधिनियम की धारा ११७ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

कुछ भूमि आदि का गांव सभा में निहित होना

"११७—(१) धारा ४ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने पर किसी समय राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से (जो इस अध्याय में आगे निर्दिष्ट दिनांक कहा जायगा)—

(१) तत्समय किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़ कर अन्य सभी भूमि चाहे वह कृषि-योग्य हो या न हो,

(२) गांव की सीमाओं के भीतर स्थित सब जंगल,

(३) सभी पेड़ (खाते में या खाते की सीमा पर या बाग या आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़ कर),

(४) मीनाशय,

(५) ऐसी भूमि पर, जिस पर धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) तक के उपबन्ध लागू होते हों या धारा ९ में अभिदिष्ट भूमि पर लगने वाली हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेले, और

(६) तालाब, पोखर, निजी नाव घाट, जल प्रणालियां (water channels), रास्ते और आबादी के स्थल (abadi sites), जो मंडल में स्थित हों और इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हुये हों, उस मंडल के लिये स्थापित गांव सभा में निहित हो जायेंगे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के लिये यह वैध होगा कि वह खंड (१) से (६) तक में उल्लिखित सभी या किसी वस्तु के संबंध में पूर्वोक्त प्रख्यापन करे और ऐसा करने में वह ऐसा अपवाद करे अथवा ऐसी शर्तें लगाये जिन्हें वह विज्ञप्ति में निर्दिष्ट करे।

(२) इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से उपधारा (१) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई भी वस्तुयें जो, गांव के किसी ऐसे भाग के संबंध में जो ७ जुलाई, १९४९ ई० के बाद, उत्तर प्रदेश नगर-महापालिका अधिनियम, १९५९, यूनाइटेड प्राविन्सेज म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, यूनाइटेड प्राविंसेज टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४ अथवा कन्टोनमेंट्स ऐक्ट, १९२४ के उपबन्धों के अधीन, यथास्थिति, किसी नगर, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया, या छावनी में सम्मिलित हो गया हो, इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हुई हों, उस गांव सभा में निहित होंगी जो उस गांव के शेष भाग के लिये स्थापित की गयी हो ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २, १९५९
यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१६
यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९१४
ऐक्ट संख्या २, १९२४

(३) यदि उप-धारा (१) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट प्रकार की कोई वस्तु उप-धारा (२) के अधीन किसी गांव सभा में निहित कर दी गयी हो तो, यथास्थिति, वह गांव सभा या उसकी भूमि प्रबन्धक समिति गांव के उस भाग के लिये उस वस्तु के सम्बन्ध में तथा गांव के उस भाग में स्थित खातों के क्षेत्रों के संबंध में ऐसे कृत्यों का संपादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगी जो कि ऐसी वस्तु या क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गांव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को अभ्यर्पित या उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त हों ।

(४) राज्य सरकार, किसी भी समय गजट में विज्ञप्ति द्वारा उपरोक्त किसी वस्तु के सम्बन्ध में या तो सामान्य रूप में, या किसी गांव सभा के संबंध में, उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति को संशोधित या रद्द कर सकती है और ऐसी वस्तु वापस ले सकती है, और जब कभी राज्य सरकार इस प्रकार कोई वस्तु वापस ले तो गांव सभा केवल किसी ऐसे विकास के लिये, यदि कोई हो, जो उसके द्वारा वस्तु में या उस पर किया गया हो, प्रतिकर पाने की हकदार होगी और उसे इस प्रतिकर का भुगतान किया जायगा ।

१९५१ ई० के उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १ की धारा ११७-क का प्रतिस्थापन

५—मूल अधिनियम की धारा ११७-क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

कतिपय भूमि आदि का स्थानिक अधिकारिकी में निहित होना

"११७-क—(१) धारा ११७ में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो निर्दिष्ट किया जाय किसी गांव में स्थित उक्त धारा की उप-धारा (१) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई वस्तु जो इस अधिनियम के अधीन या अन्य रूप से राज्य में निहित थी, उक्त पूरे गांव के लिये स्थापित किसी भी अन्य स्थानिक अधिकारिकी (local authority) में निहित होगी ।

(२) यदि धारा ११७ की उप-धारा (१) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट प्रकार की कोई वस्तु, इस धारा की उपधारा (१) के अधीन या उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १२६ के अधीन किसी स्थानिक अधिकारिकी में निहित कर दी गयी हो तो ऐसा स्थानिक अधिकारिकी उस पूरे गांव के लिये उस वस्तु के संबंध में तथा उस पूरे गांव में स्थित खातों के क्षेत्रों के संबंध में ऐसे कृत्यों का संपादन कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगा जो कि ऐसी वस्तु या

क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन गांव सभा या भूमि प्रबन्धक समिति को अभ्यर्पित या उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त हो।

(३) स्थानिक अधिकारिकी इस धारा के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन, कर्त्तव्यों के पालन और अधिकारों के प्रयोग में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय।

(४) धारा १२६ और १२७ के उपबन्ध, ऐसे अपवादों और परिष्कारों के अधीन रहते हुये जिन्हें राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, उपधारा (१) में अभिविष्ट स्थानिक अधिकारिकी पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(५) धारा ११७ की उपधारा (४) के उपबन्ध, उपधारा (१) के अधीन स्थानिक अधिकारिकी में निहित वस्तुओं के वापस लेने पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।"

६—मूल अधिनियम की धारा १२७—ख के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय—

१९५१ ई० के उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ में नयी धारा १२७—ग का रखा जाना

गांव सभा के संबंध में संक्रमण-कालीन उपबन्ध

"१२७-ग—(१) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ द्वारा संशोधित होने के पूर्व इस अधिनियम के अधीन संगठित समस्त गांव समाज समाप्त हो जायेंगे और तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम या उक्त विधि के अधीन जारी की गयी किसी विज्ञप्ति नियम या आज्ञा में अथवा किसी संविदा या अन्य लेख में किसी गांव समाज का निर्देश, यथासंभव उस गांव समाज के क्षेत्र के लिये स्थापित गांव सभा का निर्देश समझा जायगा।

(२) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियमिति या किसी संविदा के अधीन किसी गाँव समाज में निहित या उसकी अपनी, सभी प्रकार की संपत्ति, कोष तथा अधिकार और उस पर आरोपित समस्त दायित्व, उनसे संबंधित सभी शर्तों और प्रासंगिक बातों (incidents) के अधीन रहते हुए, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ द्वारा इसके संशोधित किये जाने के दिनांक से, गाँव समाज के क्षेत्र के लिये संघटित गाँव सभा की सम्पत्ति, कोष, अधिकार तथा दायित्व हो जायेंगे।

(३) सभी वादों तथा कार्यवाहियों में, जिनमें गाँव समाज एक पक्ष हो, उक्त गाँव समाज के क्षेत्र के लिये संघटित गाँव-सभा एक पक्ष के रूप में गाँव समाज के स्थान पर प्रतिस्थापित की जायगी और की गयी समझी जायेगी और वह ऐसी सभी कार्यवाही करने की हकदार होगी जिसे करने की हकदार वह उस दशा में होती जब वह प्रारम्भ से ही वाद या कार्यवाही का एक पक्ष होती।"

१९५१ ई० के उ० प्र० अधिनियम सं० १ की धारा १३७ का संशोधन

७—मूल अधिनियम की धारा १३७ में—

(१) उपधारा (२) में शब्द "उसके दिनाँक से" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उस दिनाँक से जब धारा १३४ में अभिदिष्ट धनराशि जमा कर दी गयी हो" रख दिये जायं, और

(२) उपधारा (२-क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(२-क) यदि उपधारा (१) में अभिदिष्ट धनराशि कृषि-वर्ष के प्रथम दिनाँक से भिन्न किसी दिनाँक को जमा की जाय तो भूमिधर द्वारा उपधारा (२) के खंड (ख) के अधीन उस कृषि वर्ष के अवशिष्ट भाग के लिये, जिसमें धनराशि जमा की जाय, देय मालगुजारी उस रीति से अवधारित की जायगी, जो नियत की जाय।"

१९५१ ई० के उ० प्र० अधिनियम सं० १ की धारा १५४ का प्रतिस्थापन

८—मूल अधिनियम की धारा १५४ के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय:—

भूमिधर द्वारा संक्रमण पर प्रतिबन्ध

"१५४—(१) उपधारा (२) और (३) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये, किसी भी भूमिधर को चाय के बागान से भिन्न कोई भूमि (दानोत्तर प्रयोजन के निमित्त स्थापित संस्था से भिन्न) किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा संक्रामित करने का अधिकार न होगा यदि वह व्यक्ति उक्त विक्रय या दान के परिणामस्वरूप अपने द्वारा पहले से धृत भूमि को, यदि कोई हो तो, मिलाकर अथवा अपने परिवार के साथ उत्तर प्रदेश में १२ १/२ एकड़ से अधिक भूमि का हकदार हो जाय।

(२) भूमिधर किसी भूमि को निर्दिष्ट औद्योगिक प्रयोजन के लिये विक्रय या दान द्वारा किसी भी व्यक्ति को संक्रामित कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त भूमि का क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से अधिक न हो जो औद्योगिक प्रयोजन के लिये उक्त व्यक्ति द्वारा अपेक्षित निर्दिष्ट किया जाय।

(३) राज्य सरकार उपधारा (१) में नियत सीमा से अधिक का संक्रामण करने का प्राधिकार दे सकती है यदि उसकी यह राय हो कि ऐसा संक्रामण किसी ऐसे निबंधित (रजिस्टर्ड) सहकारी समिति के हक में है, जिसके पास उसकी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त भूमि नहीं है, अथवा संक्रामण सर्वसाधारण के हित में है।

(४) यदि कोई भूमि जो निर्दिष्ट औद्योगिक प्रयोजन के लिये संक्रामित की गई हो, या ऐसी भूमि का कोई भाग, जो उपधारा (१) में नियत सीमा से अधिक हो, निर्दिष्ट औद्योगिक प्रयोजन के निमित्त, निर्दिष्ट अवधि या ऐसी बढ़ायी गई अवधि, जिसकी अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी जाय, उपयोग में न लाई जाये, या उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जाय, तो धारा १६३ के प्रयोजन के लिये ऐसी अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में संक्रामण इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके किया गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण १—इस धारा के प्रयोजनों के निमित्त परिवार के अन्तर्गत गृहीता स्वयमेव, उसकी पत्नी या पति, जैसी भी दशा हो, तथा उसके अल्पवयस्क बच्चे होंगे।

स्पष्टीकरण २—"निर्दिष्ट" का तात्पर्य उद्योग निदेशक (Director of Industries), उत्तर प्रदेश द्वारा नियत आकार-पत्र में अनुदत्त प्रमाण-पत्र में निर्दिष्ट से है।"

९—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा २०९ को संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (१) कर दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय:— १९५१ ई० के उ० प्र० अधिनियम सं० १ की धारा २०९ का संशोधन

"(२) उपधारा (१) के खंड (क) में अभिदिष्ट प्रत्येक ऐसे वाद में जो भूमि से सम्बद्ध हो, राज्य सरकार को आवश्यक पक्ष के रूप में सम्मिलित किया जायगा।"

१०—मूल अधिनियम की धारा ३४३-क में शब्द और अंक "धारा ११७ या ११७-क के अधीन निहित भूमि या अन्य वस्तुओं के संबंध में" निकाल दिये जायं। १९५१ ई० के उ० प्र० अधिनियम सं० १ की धारा ३४३-क का संशोधन

११—रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ की धारा १६ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय:— उ०प्र० अधिनियम संख्या १०, १९५४ की धारा १६ का संशोधन

"(३) धारा १५ में अभिदिष्ट अंतिम प्रतिकर विवरण में उल्लिखित प्रतिकर की धनराशि पर राज्य सरकार २ १/२ प्रतिशत वार्षिक की दर से पट्टे के अवसान के दिनाँक से प्रतिकर के भुगतान के दिनाँक तक का ब्याज देगी।"

१२—उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र-जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ५९ के अन्त का पूर्ण विराम निकाल दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:— उ० प्र० अधिनियम सं० ९, १९५७ की धारा ५९ का संशोधन

"और इस अधिनियम की धारा ६७ के अधीन नियुक्त प्रतिकर अधिकारी पूर्वोक्त अधिनियम की धारा ३१९ के अधीन नियुक्त पुनर्वासन अनुदान अधिकारी (Rehabilitation Grants Officer) हों।"

१३—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० की धारा २२ की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय और सदैव से रखी गयी समझी जाय:— उ० प्र० अधिनियम सं० १, १९६१ की धारा २२ का संशोधन

"(२) प्रतिकर उस दिनाँक से दातव्य होगा, जब धारा १४ की उपधारा (८) के अधीन भूमि पर कब्जा किया जाय और, जब प्रतिकर पाने के हकदार व्यक्ति को भिन्न-भिन्न भूमियों पर कब्जा विभिन्न दिनाँकों पर किया जाय तो उक्त दिनाँकों में अंतिम में दिनाँक से दातव्य होगा और वह अवधारण के दिनाँक से देय होगा।"

उद्देश्य और कारण

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम (१९५१ ई० का उ०प्र० अधिनियम सं० १) की कतिपय धाराओं के प्रवर्तन के संबंध में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हुआ है। उक्त अधिनियम का प्रसार केवल उन्हीं क्षेत्रों में है जो २६ जनवरी, १९५१ को उत्तर प्रदेश राज्य के भाग थे और उन क्षेत्रों में नहीं है जो इस राज्य के क्षेत्र में नदी की क्रिया (river action) द्वारा उक्त दिनांक के पश्चात् बढ़ गये। अतएव उक्त अधिनियम का प्रसार उन क्षेत्रों में किया जाना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, द्रुत औद्योगीकरण तथा सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि औद्योगिक तथा सहकारिता के वास्तविक प्रयोजनों के निमित्त १२ १/२ एकड़ की सीमा से अधिक भूमि के संक्रामणों के लिये उक्त अधिनियम की धारा १५४ में व्यवस्था की जाय। यू०पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ (यू०पी० ऐक्ट संख्या ३,१९०१), रामपुर ठेकेदारी तथा पट्टेदारी विनाश अधिनियम, १९५३ (१९५४ का उ०प्र० अधिनियम संख्या १०), उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९,१९५७) तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १,१९६१ में भी कुछ छोटी-मोटी त्रुटियां देखने में आयी हैं। अतएव इन त्रुटियों को दूर करने तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये आवश्यक व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

हुकुम सिंह विश्वेन,
राजस्व मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ १०९१ पर)

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋण विधि प्रवृत्ति विधेयक, १९६२

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कतिपय अधिनियमों का संशोधन करके ऐसे मध्यवर्तियों के ऋणों को कम करने के लिये जिनके कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन अर्जित कर लिये गये हैं, और उससे सम्बद्ध प्रयोजनों के लिये, व्यवस्था करने का

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५७

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋणविधि प्रवृत्ति अधिनियम, १९६२ कहलायेगा।

संक्षिप्त शीर्षनाम

२—यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ और "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" के उपबन्ध, निहित होने के दिनांक से, नागर क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्रमशः अनुसूची १ और २ में उल्लिखित परिष्कारों के साथ, इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित था।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिये पद "नागर क्षेत्र" और "निहित होने का दिनांक" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ में हैं।

उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५७

३—यदि यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ या "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२," का कोई उपबन्ध, इस अधिनियम द्वारा निरस्त, परिवर्तित या संशोधित किया गया हो तो, जब तक कि कोई अन्य अभिप्राय प्रतीत न हो, वह निरसन, परिवर्तन या संशोधन—

व्यावृत्ति यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३

(क) किसी ऐसी बात को फिर से प्रवर्तित न करेगा, जो उस समय प्रचलित या विद्यमान न रही हो जब कि निरसन, परिवर्तन या संशोधन प्रभावी हुआ हो,

(ख) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित या संशोधित किसी उपबन्ध के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर, या तदन्तर्गत यथाविधि की गयी या हुई बात पर प्रभाव न डालेगा,

(ग) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित या संशोधित किसी उपबंध के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व पर प्रभाव न डालेगा,

(घ) उपर्युक्त किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के संबंध में, किसी ऐसे उपचार या किसी ऐसी जांच या वैधिक कार्यवाही पर प्रभाव न डालेगा जो इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पूर्व प्रारम्भ की गयी हो,

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३

और यथास्थिति, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ या "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" के उपबन्धों के अनुसार उक्त किसी भी उपचार को कार्यान्वित किया जा सकता है और उक्त कोई भी जांच या वैधिक कार्यवाही जारी रखी जा सकती है और समाप्त की जा सकती है।

सन्देह का निवारण यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५७

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५४

४—सन्देह के निवारणार्थ यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम द्वारा यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के किसी भी उपबन्ध के निरसन या संशोधन का निम्नलिखित पर प्रभाव न पड़ेगा :—

(क) उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा १० के उपबन्धों के अधीन रहते हुये यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा २५, [जो उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा निरस्त कर दी गयी] के अधीन स्वीकृत किये गये किसी ऐसे बंधक का बराबर बने रहना जिसमें बंधक की गयी संपत्ति का कब्जा बंधकधारी को सौंप दिया गया हो,

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५४

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४

(ख) ऋणी का किसी ऐसी किस्त के भुगतान का दायित्व जिसका भुगतान उसके द्वारा किये जाने का आदेश यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा २७ या २८ [जो उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा निरस्त कर दी गयीं] के अनुसार दिया गया हो, अथवा राज्य सरकार का उक्त किस्तों या उनके किसी भाग को यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा २९ के अधीन मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने का अधिकार,

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४ उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५४

(ग) यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ३० या ३१ [जो उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५४ द्वारा निरस्त कर दी गयी] के अधीन बन्धों को जारी करने के लिये पहले ही से दिये जा चुके आदेश का प्रवर्तन या उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन पहले ही जारी किये जा चुके किन्हीं बंधों का बराबर बंध बना रहना,

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४ यू० पी० ऐक्ट संख्या १३, १९५४

(घ) भूमि में स्वामित्वाधिकारों (proprietary rights) का ऐसा हस्तान्तरण अथवा विक्रय जो यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ३१, ३३ तथा ३४ [जो उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५४ के द्वारा निरस्त की गयीं] के अधीन किया गया हो,

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४

(ङ) भूमि में स्वामित्वाधिकारों के हस्तान्तरण या विक्रय के लिये यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ३१, ३३ तथा ३४ के अधीन दिये गये किसी आदेश का प्रवर्तन जब उस आदेश के अनुसरण में स्वामित्वाधिकारों पर कब्जा, यथास्थिति, उस व्यक्ति का जिसे वे हस्तान्तरित किये गये हों या उनके क्रेता को दे दिया गया हो; और

(च) वह भार जो यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ४ के अधीन प्रार्थना-पत्र दिये जाने के दिनांक के पश्चात् ऋणी की मृत्यु होने पर, अवध सेटिल्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९५७ या यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, १९२० में किसी बात के होते हुये भी, यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ की धारा ४० के अधीन सृजित किया गया हो।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४
यू० पी० ऐक्ट संख्या ५, १९५७
यू० पी० ऐक्ट संख्या ७, १९२०
यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४

५—किसी प्रलम्बमान कार्यवाही या जांच पर इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ तथा "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" की प्रवृत्ति को अथवा इस अधिनियम द्वारा उनके संशोधन के पूर्व उक्त अधिनियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के प्रवर्तन को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ कोई भी न्यायालय या प्राधिकारी, यथास्थिति, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित यू० पी इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ तथा "उत्तर प्रदेश जमींदारी के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" के उपबन्धों का ऐसे परिवर्तनों या परिष्कारों के साथ, जिससे मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, ऐसा अर्थ लगा सकता है जो उसे न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत विषय के अनुकूल बनाने के लिये आवश्यक या उचित हो।

न्यायालय और अन्य प्राधिकारी के अनुकूलन संबंधी अधिकार
यू०पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३
यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३

६—राज्य सरकार किसी भी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिये जो यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ अथवा "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियमों के उपबन्धों में संक्रमण के संबंध में उत्पन्न हो, आदेश द्वारा,

कठिनाइयों को दूर करने के अधिकार
यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३

(क) यथास्थिति, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ या "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२" इस अधिनियम के आरम्भ के पश्चात् दो वर्ष की अवधि पर्यन्त ऐसे अनुकूलन के, चाहे वह परिष्कार के रूप में हो या परिवर्द्धन या लोप के रूप में, अधीन रहते हुये प्रभावी होगा, जिसे राज्य सरकार आवश्यक या इष्टकर समझे; और

यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४
उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३

(ख) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जो उसमें निर्दिष्ट किये जायें।

अनुसूची १
(धारा २)

उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, १९५४ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १३, १९५४) द्वारा यथासंशोधित यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ (यू० पी० ऐक्ट संख्या २५, १९३४)

क्रम-संख्या	परिष्कार या संशोधन
१ धारा २ में	(क) खंड (एन) और (ओ) में :— (१) पार्श्व में आये हुये शब्द, अक्षर और अंक "U. P. Act I of 1951" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "U. P. Act No. IX of 1957" रख दिये जायं; (२) शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय; और (३) शब्द तथा अंक "Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950" के स्थान पर शब्द तथा अंक "Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956" रख दिये जायं; (ख) खंड (ओ) में, कामा, शब्द और अंक, "and includes in the case of compensation, interim compensation payable under section 29 of the said Act" निकाल दिये जांय; और (ग) खंड (ओ) के पश्चात् नये खंड (पी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय— "(*p*) the expressions "agricultural area", "date of vesting" and "urban area" shall have the meanings assigned to them in the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956."
२ धारा ९-ए में	उपधारा (४) में, शब्द तथा अंक "estates under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950" के स्थान पर शब्द तथा अंक "agricultural areas under the U. P. Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956" रख दिये जांय।
३ धारा १४ में	उपधारा (७) में— (१) अंक "1952" और तत्पश्चात् आये हुये, कामा, के बीच में, जहां कहीं भी वे आये हों, कामा, शब्द तथा अंक, "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं, और (२) शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय।
४ धारा १५ में	अंक "1952" के पश्चात् शब्द, अंक तथा कामा "a amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं।

क्रम-संख्या		परिष्कार या संशोधन
५	धारा १६ में	खंड (३-ए) में शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय ।
६	धारा १८ में	प्रतिबन्धात्मक खंड में :— (१) अंक "1952" और तत्पश्चात् आये हुये कामा के बीच में कामा, शब्द तथा अंक, "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं, और (२) शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय ।
७	धारा १९ में	उपधारा (२) में शब्द "rehabilitation grant" और शब्द "estate" के स्थान पर क्रमशः शब्द "annuity" और शब्द "agricultural area" रख दिये जांय ।
८	धारा १९-ए में	(क) शब्द, कामा तथा अंक "U. P. Encumbered Estates (Amendment) Act, 1954" के स्थान पर शब्द, कामा तथा अंक "Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं, (ख) अंक "1952" और शब्द "applies" के बीच में कामा, अंक तथा शब्द "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं, (ग) शब्द "said Act" के स्थान पर शब्द "Act last aforesaid" रख दिये जांय, और (घ) शब्द "rehabilitation grant" और शब्द "estate" के स्थान पर क्रमशः शब्द "annuity" तथा "agricultural area" रख दिये जायं ।
९	धारा २३-ए में	(क) पार्श्व तथा धारा में आये हुये शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय; (ख) शब्द "and Rehabilitation Grants Officer, as may be necessary" निकाल दिये जायं; और (ग) कामा, शब्द तथा अंक "section 70 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950" के स्थान पर कामा, शब्द और अंक "section 55 of the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956" रख दिये जायं ।
१०	धारा २३-बी में	(क) शब्द "rehabilitation grant" पार्श्व में और जहां भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "annuity" रख दिये जायं, और (ख) अंक "1952" और तत्पश्चात् आये हुय "कामा" के बीच में कामा, अंक और शब्द "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं ।

क्रम-संख्या	परिष्कार या संशोधन
११ धारा २४ में	शब्द, अंक और कामा "but including proprietary rights in land in the areas which on the 7th day of July, 1949, were included in a Municipality or a Notified Area under the provisions of the U. P. Municipalities Act, 1916, or a Cantonment under the provisions of the Cantonments Act, 1924, or a Town Area under the provisions of U. P. Town Areas Act, 1914" निकाल दिये जायं ।
१२ धारा ४८ में	शब्द तथा अंक ""section 23 or section 24, section 23-B or section 24" के स्थान पर कामा, शब्द और अंक " section 23, section 23-B or section 24" रख दिये जायं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अनुसूची २

(धारा २)

उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १५, १९५३ ई०)

क्रम-संख्या		परिष्कार या संशोधन
१		बड़े शीर्षक और प्रस्तावना में— (क) पार्श्व में जहां भी शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१" आये हों उनके स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ९, १९५७" रख दिये जायं, (ख) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, और (ग) जहां भी शब्द तथा अंक "१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" आये हों, उनके स्थान पर शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६" रख दिये जायें।
२	धारा २ में	(क) खंड (ग) के पश्चात् नये खंड (गग) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिये जायें :— "(गग) किसी कृषि क्षेत्र के संबंध में 'निहित होने का दिनांक' का तात्पर्य उस दिनांक से है, जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८ के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति में उस क्षेत्र के संबंध में निहित होने के दिनांक के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो," (ख) खंड (च) में अंक तथा शब्द "१ जुलाई, १९५२" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायें, (ग) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—
	उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ९, १९५७	"(छ) 'कृषि क्षेत्र', 'वार्षिक वृत्ति', 'प्रतिकर' तथा 'नागर क्षेत्र' के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ में है", (घ) खंड (ट) में जहां भी शब्द "आस्थान", आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें; तथा (ङ) खंड (ड) में जहां भी शब्द "आस्थान", आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायं।
३	धारा ३ में	(क) उपधारा (२) में— (१) पार्श्व में आये हुये शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५७" रख दिये जायें, (२) जहां भी शब्द "आस्थान", आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें,

क्रम-संख्या	परिष्कार या संशोधन
	(३) अक्षर, शब्द तथा अंक "१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" के स्थान पर अक्षर, शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६" रख दिये जायें, और (४) जहां भी शब्द, अक्षर तथा अंक "३० जून, १९५२" आये हों उनके स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक" रख दिये जायें, तथा (ख) उपधारा (३) में— (१) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जांय, तथा (२) जहां भी शब्द तथा अंक "३० जून, १९५२", आये हों उनके स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक" रख दियें जायें ।
४ धारा ४ में	(क) उपधारा (२) में— (१) पार्श्व में आये हुये शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "उ० प्र० अधिनियम संख्या ९, १९५७" रख दिये जायें, (२) जहां भी शब्द "आस्थान", आया हो, उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, (३) शब्द, अक्षर तथा अंक "१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम" के स्थान पर शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६" रख दिये जायें, (४) अंक तथा शब्द "३० जून, १९५२" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक" रख दिये जायें, तथा (५) जहां भी अंक तथा शब्द " १ जुलाई, १९५२" आये हों उनके स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायें, तथा (ख) उपधारा ३ में— (१) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, (२) अंक तथा शब्द " १ जुलाई, १९५२" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायें, तथा (३) जहां भी अंक तथा शब्द " ३० जून, १९५२", आये हों उनके स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक" रख दिये जायें ।

क्रम-संख्या		परिष्कार या संशोधन
५	धारा ५ में	(क) शब्द "आस्थान" के स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, तथा (ख) प्रतिबन्धात्मक खंड तथा स्पष्टीकरण निकाल दिये जायें ।
६	धारा ६ में	(क) उपधारा (१) में जहां भी शब्द "आस्थान", आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, तथा (ख) उपधारा (२) में, शब्द "आस्थानों" के स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्रों" रख दिये जायें ।
७	धारा ८ में	(क) जहां भी शब्द "आस्थान" तथा "आस्थानों", आये हों उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "कृषि क्षेत्र" तथा "कृषि क्षेत्रों" रख दिये जायें, (ख) पार्श्व शीर्षक में तथा जहां भी शब्द "पुनर्वासन अनुदान" आये हों उनके स्थान पर शब्द "वार्षिक वृत्ति" रख दिये जायें, तथा (ग) शब्द "अनुदान" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक वर्ष में देय वार्षिक वृत्ति" रख दिये जायें ।
८	धारा ९ में	शब्द "उसके आस्थान के विषय में प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान के रूप में दिये गये बन्धों (bonds) की कुर्की या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय" के स्थान पर शब्द "उसके कृषि क्षेत्र के लिये प्रतिकर के रूप में दिये गये बन्धों की कुर्की या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय अथवा उसकी वार्षिक वृत्ति की कुर्की करके निष्पादित की जाय" रख दिये जायें ।
९	धारा १० में	शब्द "आस्थान" के स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें ।
१०	अनुसूची १ में	(क) पैरा १ में दिये हुये सूत्र में अंक "8" के स्थान पर अंक "16" रख दिया जाय, (ख) पैरा २ की मद (२) के खंड (क) में शब्द "आस्थान" के स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जांय, तथा (ग) पैरा २ की मद (३) में जहां भी शब्द "आस्थान" तथा शब्द "आस्थानों" आये हों उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "कृषि क्षेत्र" तथा शब्द "कृषि क्षेत्रों" रख दिये जायें ।
११	अनुसूची २ में	(क) शब्द "अंकित मूल्य" तथा शब्द "के प्रत्येक रुपये" के बीच में शब्द "या कुर्क की गयी वार्षिक वृत्ति" बढ़ा दिये जायें, तथा (ख) अंक "8" के स्थान पर अंक "16" रख दिया जाय ।

उद्देश्य और कारण

नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन ऐसे मध्यवर्तियों को जिनकी कृषि भूमि उक्त अधिनियम के अधीन अध्याप्त की गयी है, दिया जाने वाला प्रतिकर उक्त भूमि के बाजार मूल्य से कम है इसलिये यह आवश्यक है कि देय प्रतिकर के अनुपात में उनके ऋणों को कम करने की व्यवस्था की जाय। अतएव, ऐसे नागर क्षेत्रों में जिनमें उपर्युक्त अधिनियम प्रवृत्त है, यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, १९३४ और उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२ के उपबन्धों को उपयुक्त परिष्कारों के साथ प्रवृत्त करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

हुकुम सिंह विश्वेन,
राजस्व मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१८९ एल० ए०—१९६२—८४५ (प्रो०)।